लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १४, १९६३/१८८४ (शक)

[४ से १६ मार्च, १९६३/१३ से २५ फाल्गुन १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
1-6-97
Fumigated On 8.12.87
Parliament Library

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १४ में अंक ११ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक ११—सोमवार, ४ मार्च, १९६३/१३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २२३ से २३७ . . . ८९७—९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४९ . . . ९२५—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१, ३६२ और ३६४ से ४३२ . . . ९३१—५१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

३-३-६३ को इलाहाबाद स्टेशन पर हुई कथित रेल दुर्घटना . . . ९५१-५२

निधन संबंधी उल्लेख . . . ९५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ९५२-५३

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पारित किया गया . . . ९५३

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . ९५३—८३

दैनिक संक्षेपिका . . . ९८४—८७

अंक १२—मंगलवार, ५ मार्च, १९६३/१४ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २५२, २५४ से २५७, २५९ और २६१ से २६७ . . . ९८९—१०१४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . १०१४—१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५३, २५७, २६० और २६८ से २७४ . . . १०१७—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४८८ और ४९० से ४९७ . . . १०२५—५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता . . . १०५४—५८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १०५८

राज्य सभा में सामान्य आयव्ययक पर पहले चर्चा किये जाने के बारे में . . . १०५८-५९

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . १०५९—८६

स्वर्ण नियंत्रण योजना के बारे में चर्चा . . . १०८६—१११७

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	११११७
दैनिक संक्षेपिका	१११८—२२
अंक १३—बुधवार, ६ मार्च, १९६३/१५ फाल्गुन, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २७६, २७८, २८० से २८६, २८८, २८९ और २९१	११२३—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८७, २९०, २९२ से २९६ और २९८	११४८—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४९८ से ५२३, ५२५ से ५३३ और ५३५ से ५५५	११५२—७४
मिट्टी के तेल पर चर्चा के बारे में	११७४-७५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	११७५
कार्य मंत्रणा समिति	११७५—७८
चौदहवां प्रतिवेदन	
रेलवे आयव्ययक सामान्य चर्चा	११७८—१२०५
अनुदानों की मांगें (रेलवे)	१२०५—२७
स्वर्ण नियंत्रण योजना के बारे में चर्चा	१२२७—४४
दैनिक संक्षेपिका	१२४५—४८
अंक १४—वीरवार, ७ मार्च, १९६३/१६ फाल्गुन, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २९९ से ३१२	१२४९—७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ३२१	१२८०—८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५५६ से ५९९	१२८४—१३०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१३०३-०४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	१३०४
प्राक्कलन समिति	
चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन	१३०४

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (रेलवे)	१३०४—५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
गृह-कार्य मंत्री की नेपाल नरेश से बातचीत . . .	१३०८
दैनिक संक्षेपिका	१३६०—६३

अंक १५—शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३/१७ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२२ से ३२६, ३२८ से ३३२, ३३४ और ३३५	१३६५—९०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२७, ३३३ और ३३६ से ३४१ .	१३९१—९६
अतारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६२१ और ६२३ से ६३६ .	१३९६—१४११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
६ मार्च १९६३ को पुलिस के टाउन हाल तक पहुंचने में विलम्ब .	१४१२—१५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१४१५
विधेयक पर राय . .	१४१५
संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१४१५—१६
विधेयक पर साक्ष्य	
लोक लेखा समिति	
सातवां प्रतिवेदन . . .	१४१६
सभा का कार्य	१४१६—२०
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक	
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति . .	१४२०
अनुदानों की मांगें (रेलवे) . .	१४२०—४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	१४४३—४५
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक धारा २ और ३ का (संशोधन)	
(श्री दी० चं० शर्मा का)	१४४५—४७
परिचालित करने का प्रस्ताव	

विषय	पृष्ठ
श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नयी धारा ७क का रखा जाना) श्री च० का० भट्टाचार्य का	
विचार करने का प्रस्ताव .	१४५७
दैनिक संक्षेपिका .	१४५८—६१
अंक १६—मंगलवार, १२ मार्च, १९६३/२१ फाल्गुन, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४३ से ३५५ और ३५७ . .	१४६३—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३५६ और ३५८ से ३६६ . .	१४८८—९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६८० और ६८३ से ६९४ . .	१४९३—१५१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५१७–१८
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति	
प्रतिवेदन का उपस्थापन	१५१८
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६३—पुरस्थापित .	१५१८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ .	१५१९—३६
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१५३६—५६
दैनिक संक्षेपिका	१५५७—६१
अंक १७—बुधवार, १३ मार्च, १९६३/२२ फाल्गुन, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६७, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७७, ३७८, ३८० और ३८२ से ३८५	१५६३—८[illegible]
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६८, ३७३, ३७५, ३७६, ३७९, ३८१, ३८६ और ३८७	१५८६—[illegible]
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ से ७३२	१५८९—१६०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६०५—०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	१६०६
प्राक्कलन समिति	
उन्नीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन . . .	१६०६

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक	१६०७
विनियोग विधेयक, १९६३—पुरस्थापित और पारित	१६०७–०८
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६३—पारित	१६०८–०९
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	
सदस्य की रिहाई	१६०९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१६४८—५१

अंक १८—गुरुवार, १४ मार्च, १९६३/२३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८८ से ३९७	१६५३—७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४०८	१६७७—८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७३३ से ७६६	१६८५—१७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७०१
राज्य सभा से सन्देश	१७०१
समुद्री बीमा विधेयक	१७०२
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	१७०२—४६
दैनिक संक्षेपिका	१७४७—५०

अंक १९—शुक्रवार, १५ मार्च, १९६३/२४ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१४, ४१६ और ४१८ से ४२५	१७५१—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४१५, ४१७ और ४२७	१७७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८०२, ८०४ और ८०५	१७७६—९३
निधन संबंधी उल्लेख	१७९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७९४–९५
राज्य सभा से सन्देश	१७९५
भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	१७९५

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति	
आठवां प्रतिवेदन	१७९५
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा .	. १७९६—१८२४
संघ राज्य क्षेत्र विधेयक के बारे में . .	, १७९७–९८
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	१८२४
पन्द्रहवां प्रतिवेदन .	१८२४
आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में संकल्प	१८२४–४०
क्षेत्रों के विकास में विषमता के बारे में संकल्प	१८४०—४३
दैनिक संक्षेपिका	१८४४—४८

अंक २०—शनिवार, १६ मार्च, १९६३/२५ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४३० और ४३२ से ४४०	१८४९—७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४४१ से ४५० . . .	१८७४—७९
अतारांकित प्रश्न संख्या ८०६ से ८०८, ८१० से ८६९, ८७२ और ८७३	१८८०—१९०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९०५–०६
सभा का कार्य	१९०६–०७
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	१९०८—२९
लेखानुदानों की मांग, १९६३–६४	१९२९—३६
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३–६४—पुरस्थापित तथा पारित	१९३६—३८
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक	ध
विचार करने का प्रस्ताव	१९३८—५१
खंड १ और २	१९५०
पारित करने का प्रस्ताव .	१९५१
नियम ७४ के पहिले परन्तुक का निलम्बन	१९५१–५२
संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१९५२—६७
दैनिक संक्षेपिका	१९६८—७३

नोटः—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

तृतीय माला, खण्ड १४—अंक ११

सोमवार, ४ मार्च, १९६३

१३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
*तारांकित प्रश्नण संख्या २२३ से २३७	८९७–९२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४९	९२५–३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९१, ३९२ और ३९४ से ४३२	९३१–५१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	९५१–५२
३–३–६३ को इलाहाबाद स्टेशन पर हुई कथित रेल दुर्घटना	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	९५२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९५२–५३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३——पारित	९५३
रेलवे आयव्ययक——सामान्य चर्चा	९५३–८३
श्री फ्रैंक एंथनी	९५३–५४
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	९५४–५५
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	९५५–५८
श्रीमती त्रिमला देवी	९५८–५९
डा० क० ला० राव	९५९–६०
श्री भागवत झा आज़ाद	९६०–६१
श्री नरसिम्हा रेड्डी	९६१
श्री मलाइछामी	९६२
श्री अ० शं० आल्वा	९६२–६३
श्री बड़े	९६३–६७
श्री मि० सू० मूर्ति	९६७–६८
श्री गो० महंती	९६८
श्री बिशनचन्द्र सेठ	९६८–७२
श्री पू० चं० देवभंज	९७२–७३
श्री द्वा० ना० तिवारी	९७३–७४
श्री मौर्य	९७४–७९
श्री बसुमतारी	९७९
श्री काशीनाथ पांडे	९७९–८०
श्री बसवंत	९८०–८३
श्री विश्वनाथ राय	९८३
दैनिक संक्षेपिका	९८४–८७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ४ मार्च, १९६३

१३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टस्कर परियोजना

†*२२३.
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बेरवा कोटा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टस्कर संगठन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

2981 (Ai) LSD—1.

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टस्कर नामक इस संगठन ने उचित ढंग से काम न करके नेफा क्षेत्र को बड़ी हानि पहुंचाई है और यदि हां, तो अभी तक क्या उपाय किये गये हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं समझता हूं कि वास्तव में यह ऐसा प्रश्न है जिस का सम्बन्ध शायद उस जांच से है जिस के परिणाम के बारे में मैं कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी तक किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है और दंडित किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जबकि जांच अभी की जा रही है, तो अभी यह प्रश्न कैसे उठ सकता है ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस समिति द्वारा की जाने वाली जांच के अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रत्यक्षतः सिद्ध हो चुकी हैं और सरकार कुछेक व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर ही है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जी हां । भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में जांच की जा रही है । मैं सदन को यह बता सकता हूं कि चार अपराध दर्ज कर लिये गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच किस अधिकारी या किन अधिकारियों द्वारा की जा रही है, और क्या उन्हों ने बतलाया है कि वे कब तक अपनी रिपोर्ट दे सकेंगे ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण** : जैसा मैं ने कहा, कई केसेज़ स्पेशल पुलिस के हाथों में हैं और कई टेकनिकल तरह के जो काम हैं वे टेकनिकल अफसरों के हाथों में हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि किन व्यक्तियों के विरुद्ध यह जांच हो रही है और प्रत्यक्ष आरोप क्या है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं सदन को वह जानकारी दे सकता हूं जो, वास्तव में, पिछले किसी दिन एक प्रश्न के उत्तर में दी गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, पिछले अवसर पर एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया था । वह उस का उल्लेख कर सकते हैं ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यदि सदन चाहे तो मैं उसे दुहराने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जिन के विरुद्ध यह जांच हो रही है उन के नाम नहीं बताये गये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आरोप तब बता दिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कौन से व्यक्ति हैं जिन के विरुद्ध यह जांच की जा रही है, यह प्रश्न का भाग (क) था; और फिर, आरोप क्या है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : नाम बताना शायद इस समय अनुपयुक्त होगा जबकि जांच-पड़ताल हो रही है । परन्तु, मान लीजिये अन्त में आरोप आदि सिद्ध हो जाते हैं तो इसे संसद् के सामने अवश्य लाया जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सिद्ध हो या न हो, परन्तु कुछेक व्यक्ति तो ऐसे अवश्य होंगे जिन के विरुद्ध आरोप हैं—जिन पर ये अनियमिततायें करने का आरोप है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : कुछ भी हो, खेद है कि वे नाम इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री त्यागी** : पिछली बार माननीय मंत्री ने उन बातों के बारे में सदन को बताया था जिस पर जांच हो रही है ; उन में से एक भ्रष्टाचार था । मैं नहीं समझता कि अभी तक किसी अधिकारी को नौकरी से हटाया गया हो; मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारियों के अभी तक अपने अपने पदों पर रहते हुए जांच की जा रही है और क्या उस आरोपित ठेकेदार का खाता, जिस से वस्तुएं बहुत भारी दामों पर खरीदी गई थीं, ढूंढा गया है और जांच समिति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा १२० के अधीन चार अधिकारियों के विरुद्ध विधिवत् मामले दर्ज कर लिये गए हैं । दुर्भाग्य-वश वे नाम मेरे पास नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या किसी को निलम्बित किया गया है और क्या ठेकेदार के खाते पर कब्जा कर लिया गया है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध ये आरोप लगाये गये थे उन्हें उस क्षेत्र से हस्तांतरित कर दिया गया है ।

†**श्री त्यागी** : इस का यह अर्थ हुआ कि उन्हें नौकरी से नहीं हटाया गया है ।

†**श्री रंगा** : श्री त्यागी ने पूछा था कि क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । उत्तर यह दिया गया है कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तान्तरित किया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया गया है । यही उत्तर है ।

†**श्री त्यागी** : यह प्रथा के विरुद्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम तर्क करने जा रहे हैं । वह जानकारी प्राप्त करना चाहते थे और वह दे दी गई है । श्री बनर्जी ।

†**श्री रंगा** : क्षमा करें, श्रीमन् । साधारणतः होता यह है कि जब माननीय मंत्री के पास वह जानकारी नहीं होती तो वह सामान्यतः माननीय सदस्य को वह जानकारी भेज देने के लिये कह देते हैं । क्या वह माननीय सदस्य को वह जानकारी देने को कृपा करेंगे ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं अवश्य ही उन्हें जानकारी दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री **रामनाथन् चेट्टियार** : एक औचित्य प्रश्न पर । पहले के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्होंने दूसरे सदन में बताये थे और श्रीमन् आप ने भी कहा कि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब दे दिया है । अब वह कहते हैं कि उन के पास नाम नहीं हैं । क्या मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप उन से सदन को जानकारी देने के लिए कहें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से उत्तर को समझा नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं उन्हें हस्तान्तरित कर दिया गया है । मैं उन परिस्थितियों को जानना चाहता हूं जिन में उन अधिकारियों को निलम्बित नहीं किया जा सका । क्या यह सच है कि नौकरी से न हटाये जाने के कारण वे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या नौकरी से न हटाये जाने के कारण जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जी नहीं ; ऐसा नहीं हो रहा है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : जांच समिति २१ जनवरी को, डेढ़ महीना पहले, बनाई गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने में कितना और समय लगेगा और क्या आवश्यकता होने पर जांच समिति के सदस्य नेफा जायेंगे ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : जो लोग जांच कर रहे हैं वे सभी उसी क्षेत्र में ही हैं । समय बताना तो मेरे लिये बड़ा कठिन है । (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री त्यागी** : एक औचित्य प्रश्न पर, श्रीमन् । मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रियों में से कौन तस्कर के लिये उत्तरदायी है । क्या वह इस समिति के प्रधान, अर्थात् माननीय प्रधान मन्त्री हैं, अथवा माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

स्वचालित शस्त्रों का निर्माण

+

†*२२४. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री विभूति मिश्र :
श्री गो० महन्ती :
श्री मलिक : }

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में स्वचालित शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनने के उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग) आयुध कारखानों में स्वचालित राइफलों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है। उस सीमा तक उत्पादन करने के उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि सेनाओं की आवश्यकतायें पूरी हो जायें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन स्वचालित शस्त्रों का निर्माण कुछ विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से किया जा रहा है और यदि हां, तो वे देश कौन से हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : वे हमारे अपने ही आयुध कारखानों में बनाये जा रहे हैं और उनमें हमारे अपने अधिकारी काम करते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि कुछ प्रकार के शस्त्रों और गोला-बारूद का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा होगा और यदि हां तो क्या यह हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति के अनुकूल है ?

†**श्री रघुरामैया** : संकटकाल को देखते हुये, प्रतिरक्षा और आर्थिक समन्वय मन्त्रालय को इस का बोध है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मैं जान सकता हूं कि इससे पहले ऐसे स्वचालित शस्त्रों के निर्माण की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह आधुनिक युद्ध प्रणाली के अज्ञान के कारण था या चीनियों की युद्ध की तैयारियों के बारे में हमारी अपर्याप्त जानकारी के कारण अथवा हमारी सेना नीति और कार्यक्रम में किसी विचित्र परिवर्तन के कारण था ?

†**श्री रघुरामैया** : प्रश्न उन लोगों द्वारा जिनके हाथ में बागडोर थी, उस समय की हमारी आवश्यकताओं का निर्धारण करने का है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, यह तो मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। आप कृपया मेरा बचाव करेंगे। मैंने अपने प्रश्न में तीन वैकल्पों के बारे में पूछा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भी उन्हें समझने में कुछ कठिनाई हुई थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उत्तर समझने में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न समझने में। यदि वह सीधा पूछें तो उत्तर भी निश्चय ही सीधा होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानना चाहता था कि इससे पहले स्वचालित शस्त्रों के निर्माण की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसका कारण . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर भी क्यों दे रहे हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उत्तर अस्पष्ट है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री को उत्तर देने दीजिये।

†**श्री रघुरामैया** : आयुध कारखाने सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण करते हैं और तब का निर्माण कार्यक्रम उस समय की आवश्यकताओं पर आधारित था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उस समय की आवश्यकताएं क्या थीं ? क्या हमें कोई स्पष्ट विचार मिल सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मन्त्री महोदय यह कह दें कि यह हमारे अज्ञान के कारण था ? वह स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** :यह बहुत बड़ी भूल है । महात्मा गांधी भी अपनी बड़ी से बड़ी भूलें स्वीकार कर लेते थे । सरकार क्यों न अपनी घोर गलतियां स्वीकार करे ?

†**श्री दाजी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे आयुध कारखाने इन स्वचालित शस्त्रों के निर्माण में स्वावलम्बी हैं अथवा क्या यह सच है कि कुछ पुर्जे बनाने का काम कुछेक गैर-सरकारी इंजीनियरिंग फर्मों को दे दिया गया है और हम केवल उन्हें जोड़ते हैं ।

†**श्री रघुरामैया** : असैनिक क्षेत्र में जो कुछ सूक्ष्मता से किया जा सकता है उसके बारे में उत्पादन के इस क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में प्रयास किये जा रहे हैं ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिरक्षा उपकरण में आत्मनिर्भरता की कुल कितनी प्रतिशतता प्राप्त कर ली गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : यह एक बहुत ही सामान्य विषय है और यह सम्बन्धित मद पर निर्भर करेगा।

†**श्री काशी राम गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गुणात्मक दृष्टि से हमारे द्वारा निर्मित वस्तुयें बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं के बराबर हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : हां, निश्चित रूप से ।

सैनिक पुरस्कार

†*२२५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम सैनिक पुरस्कारों, जैसे कि परम वीर चक्र, के साथ कुछ धन राशि भी दी जाती है और यदि हां, तो ऐसे अनुदान किस रूप में तथा कितने दिये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव की जांच की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

परम वीर चक्र पाने वालों को (कमीशन पाये हुये अधिकारियों को छोड़ कर) केन्द्रीय सरकार द्वारा ५० रुपये मासिक वित्तीय भत्ता मिलता है । इसके अतिरिक्त, सभी परम वीर चक्र पाने वालों को (जिनमें कमीशन-प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) उन राज्यों की सरकारों से, जहां के वे निवासी हैं, एक मुश्त नकद अनुदान या भूमि मिलती है । नकदी और भूमि के अनुदानों की दरें अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हैं ।

सामान्यतः, अशोक चक्र श्रेणी १ के पाने वाले वित्तीय भत्ते के अधिकारी नहीं होते हैं । परन्तु युद्ध की स्थिति में नागा पहाड़ियों और गोआ कार्यवाही में वीरता के कार्यों के लिये अशोक चक्र श्रेणी

†मूल अंग्रेजी में

१ प्राप्त करने वालों को (कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को छोड़ कर) उन्हीं दरों पर वित्तीय भत्ते दिये जाते हैं जिन पर परम वीर चक्र पाने वालों को दिये जाते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण के अनुसार केवल परम वीर चक्र पाने वाले नान-कमीशन अधिकारियों को ही ५० रुपये मासिक का वित्तीय भत्ता मिलता है। क्या इसका यह अभिप्राय है कि जब पुरस्कार मृत्यु के बाद दिया जाता है तो ये सर्वोच्च पुरस्कार पाने वालों के परिवारों को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है? इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के मामले में भी कभी कभी यह राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वह कुछ भी करें। प्रादेशिक स्तर पर राज्य सरकारों के विवेक पर किये गये इस तत्क्षणिक प्रबन्ध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : मेरा विचार है कि परमवीर चक्रों के पुरस्कार के विषय में राज्य सरकारें इसे एक नियम समझ कर कुछ आर्थिक सहायता देती हैं।

†**श्री रंगा** : क्या कारण है कि भारत सरकार ऐसा नहीं करती?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वह क्या दे और और क्या न दे। यह एकरूप नहीं है। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के मामले में भी कोई राज्य तो ५०० रुपये दे सकता है और कोई दूसरा १०,००० रुपये। इस बात का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : राज्य पुरस्कारों के बारे में उन्होंने कुछ विशेष नियम बनाये हुये हैं। निस्सन्देह, वे अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हैं, परन्तु प्रत्येक मामले में वे इसे नियम मान कर देते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कम से कम क्या है और इस सम्बन्ध में क्या नियम है?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : श्रीमान्, यदि आप आज्ञा दें तो मैं विभिन्न राज्यों में पुरस्कारों के बारे में पूरी जानकारी देने को तैयार हूं। यहां मेरे पास पूरी सूची है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं बताने को तैयार हूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह मेरे चाहने का प्रश्न नहीं है; यदि विवरण लम्बा है तो इसे सभा-पटल पर रख दिया जाना चाहिये था;

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : एक विवरण मैंने सभा पटल पर रख दिया है परन्तु यह सारा ब्योरा उसमें नहीं है। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस स्टेटमेंट में यह लिखा है :

"नकदी और भूमि के अनुदानों की दरें अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हैं"।

और इस बात को मिनिस्टर साहब ने भी स्वीकार किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि अलग अलग राज्यों में इस विषय में अन्तर रखने की क्या आवश्यकता है, और सारे देश में यह चीज एक तरह क्यों नही की जाती?

†**श्री रंगा** : अब इस पर जरा सोचिये :

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : अवश्य ही इस पर फिर से विचार किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बेरवा कोटा : मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जो विक्टोरिया क्रास दिया जाता था और जो अब परम वीर चक्र दिया जाता है इनमें कौनसा ज्यादा है और इन दोनों में क्या अन्तर है ?

†अध्यक्ष महोदय : : उसमें ज्यादा दिया जाता था। मुझे पता है कि मिनिस्टर साहब भी यही जवाब देंगे कि उसमें ज्यादा दिया जाता था ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सोच लिया है कि कम से कम ध्यानाकर्षी वीरता के उन मामलों में जिनमें कि पुरस्कार पानेवाला युद्धभूमि में मर जाता है, पाने वालों के परिवारों को क्या आर्थिक अनुदान दिया जाना चाहिये ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार तक भी किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

†श्री यशवन्तराव चव्हाण : वीरता के पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के इस प्रश्न पर सरकार ने निश्चय ही विचार किया है और कुछ के स्थायी भुगतान आदि कर दिये गए हैं। जहां तक दूसरों का सम्बन्ध है, जिन्हें कि पुरस्कार नहीं दिये जाते और यदि माननीय सदस्य का प्रश्न इतना व्यापक है कि उसमें वे भी आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि कुछ विशेष नियम हैं, जिनमें उन्हें निवृत्ति-वेतन उपदान आदि दिये जाने की व्यवस्था है ।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत डाक्टर

+

†*२२६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि १६ जनवरी, १९६३ को पश्चिम बंगाल के जिला नदिया के टेहट्टा नामक स्थान से पूर्व पाकिस्तानी राइफलधारियों द्वारा एक डाक्टर अपहृत कर लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टर के अपहरण के क्या कारण हैं ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) १९ जनवरी, १९६३ को पूर्व पाकिस्तानी राइफल्स के कुछ कर्मचारियों और कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा भारतीय क्षेत्र में शाहपुर गेनपारा, डाकखाना टेहट्टा, जिला नदिया, से एक भारतीय डाक्टर अपहृत कर लिया गया था । अपहरण के कारण ज्ञात नहीं हैं ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि सीमा के उस भाग में जहां से डाक्टर को अपहृत किया गया था, कोई सीमा रक्षक थे ?

†श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य मानेंगे कि सीमा रक्षकों के लिये सारा समय सभी स्थानों पर उपस्थित रहना कठिन है। यह डाक्टर अपने खेत में गया था और वहां से पाकिस्तानी सीमा रक्षक उन्हें अपहृत करके ले गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुबोध हंसदा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या डाक्टर अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों की अभिरक्षा में हैं या कि उन्हें छोड़ दिया गया है। यदि उसे छोड़ा नहीं गया है, तो क्या उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र तैयार किया गया है ?

†श्री दिनेश सिंह : अभी तक उसे छोड़ा नहीं गया है। हमने पाकिस्तान सरकार को कई विरोध पत्र भेजे हैं और उनसे कहा है क कि हमारे एक अधिकारी को उससे मिलने दें। समाचार पत्रों की सूचनाओं से पता चलता है कि उसके विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं। और न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है।

†श्री स०चं०सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय और भी कई व्यक्ति उसके साथ थे और कुछ पड़ोसी भी उसकी सहायता के लिये आये थे ?

†श्री दिनेश सिंह : हमारा विशवस है कि वहां कुछ देखने वाले थे। परन्तु पाकिस्तानी रक्षक क्यों कि सशस्त्र थे, वे कुछ अधिक नहीं कर पाये।

†श्री बी० चं० शर्मा : जिस स्थान से डाक्टर को अपहृत किया गया था वह सीमा से कितना दूर है ?

†श्री दिनेश सिंह : वह बस सीमा पर ही है।

†श्री जोकीम आल्वा : क्या हमारे पास यह देखने के लिये कोई प्रभावी व्यवस्था है कि डाक्टरों जैसे प्रमुख विशेषज्ञों का अपहरण न किया जाय और यदि वे अपहृत कर भी लिये जाते हैं तो उन्हें यथा संभव शीघ्र लौटाया जाय अथवा हम यह पाकिस्तान सरकार की दया पर छोड़ देते हैं कि वह अनिनिश्चित समय तक के लिये उनके विरुद्ध आरोप-पत्र बनाये रखे ?

†श्री दिनेश सिंह : हम ने विरोध किया है। जब से हमें सूचना मिली है, हमने विरोध को दुहराया है। इस समय तो हम केवल यही कर सकते हैं।

†श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न पर। उपमंत्री महोदय ने पहले कहा था कि पाकिस्तानी राइफलधारी इस डाक्टर को हमारे क्षेत्र से ले गये थे। एक अन्य अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि वह सीमा पर था। सच्चाई क्या है ? यदि वह बिल्कुल सीमा पर ही था, तो उससे हमारी बात बलहीन हो जाती है।

†अध्यक्ष महोदय : वह हमारी ही ओर था, हमारे क्षेत्र में, सीमा के बहुत पास, लगभग सीमा पर ही। मैंने तो उन्हें ऐसा ही समझा है।

†श्री दिनेश सिंह : मैंने कहा था कि जिस खेत में वह खड़ा था वह बस सीमा पर ही है।

†श्री त्रिदिबकुमार चौधरी : क्या यह जानने के कोई प्रयत्न किये गये हैं कि इस डाक्टर को कहां रखा जा रहा है और क्या हमारे अधिकारियों ने प्रयत्न किया है ......

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को चिन्ता इस बात की है कि दूसरा देश इस उत्तर से लाभ उठा सकता है कि वह बस सीमा पर ही था।

†श्री त्यागी : इस मंत्रालय के साथ सदा ऐसे ही होता है।

†अध्यक्ष महोदय : जब वह कहते हैं कि डाक्टर हमारे क्षेत्र में था, तो इस कथन पर उन्हें स्पष्ट और अटल रहना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : हमारे अन्दर राजनैयिक बुद्धि की कमी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । श्री त्रि० कु० चौधरी ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि इस डाक्टर को कहां जेल में रखा गया है और किस दिशा में । क्या हमारे मिशन ने सामान्य विधियों से उससे सम्पर्क पैदा करने का कोई प्रयत्न किया है ? मेरा अनुभव है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपना अनुभव बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री दिनेश सिंह** : हमें पता नहीं है कि उसे कहां रखा जा रहा है । परन्तु ढाका में हमारे उच्चायोग और उप-उच्चायोग ने इस व्यक्ति से भेंट करने के लिये पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की है ।

श्री बड़े : क्या गवर्नमेंट ने अपने दूतावास को इन डाक्टर साहब को वकील की कोर्ट में मदद देने के लिये लिखा है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा है कि हम को बतायें कि उनको क्यों पकड़ा गया है और हम क्या कर सकते हैं । इसी लिये हम उन से मिलना भी चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि हम वकील की मदद कर सकते हैं या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : यह सवाल तो उसी वक्त उठेगा जब कि कोई केस उनके खिलाफ चलाया जाय ।

खानों तथा कारखानों से सम्बन्धित कानून

+

†*२२७. { **श्री हरि विष्णु कामत** : / **श्री मरंडी** :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों तथा कारखानों के संचालन से सम्बन्धित कानूनों के किन्ही उपबन्धों को आपात-काल के लिये ढीला कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसी ढिलाई अथवा छूट कहां तक दी गई है ; और

(ग) ऐसी ढिलाई अथवा छूट का क्या प्रयोजन है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) जी, हां ।

(ख) विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—८९७/६३]**

(ग) मुख्य रूप से वर्तमान आपातकाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बढ़े हुये उत्पादन को सुनिश्चित करने के हेतु ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि खान अधिनियम तथा कारखाना अधिनियम से बहुत व्यापक तथा भारी संख्या में छूट तथा ढील दी गई है जिनका कि

---

†**मूल अंग्रेजी में**

लगभग प्रत्येक कार्य क्षेत्र के कारखानों पर प्रभाव पड़ता है तथा अन्त में दी गई छोटी सी टिप्पणी में कहा गया है कि राज्य सरकारें उनको अपने अधिकारों के अन्तर्गत ही छूट तथा ढील दे सकती हैं जिनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है और दुर्भाग्यवश यह छूट कार्य के साप्ताहिक घंटों, साप्ताहिक अवकाश, प्रतिपूरक अवकाश तथा कार्य के दैनिक घन्टों आदि से सम्बन्धित हैं। अब, आपात काल की घोषणा किये जाने के तुरन्त पश्चात् गत नवम्बर में सरकार ने औद्योगिक समझौते पर चर्चा करने के लिये श्रमिक संघों तथा अन्य सम्बन्धित दलों को आमन्त्रित किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन्, यदि मैं पृष्ठ भूमि नहीं बताता हूं तो प्रश्न ही कैसे पूछूंगा ? क्या श्रमिकों के हित में कारखानों में कार्य के सम्बन्ध में छूटों तथा ढीलों के आदेश देने से पूर्व उन संघों से परामर्श लिया गया था तथा उनकी सहमति प्राप्त की गई थी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : त्रिदलीय बातों के परिणामस्वरूप ही अधिकांश कदम उठाये गये हैं। पहला कदम तो उत्पादन बढ़ाने का है तथा दूसरा कारखानों के उन श्रमिकों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का लाभ उठाना है जिन्होंने प्रतिदिन कुछ अतिरिक्त तथा निःशुल्क कार्य करने की तथा उसी प्रकार की अन्य बातों की इच्छा व्यक्त की है। वास्तव में, अब इनमें से अधिकांश मामलों में ढील दे दी गई है क्योंकि कोयले की खानों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है उदाहरणार्थ कोयला खानों के मुंह पर। इसलिये, उठती हुई परिवहन समस्याओं के मध्य, हम बहुत मामलों में अब उन्हें जारी नहीं रख रहे हैं। यह सच है कि राज्य सरकारों को इन उपबन्धों का कारखानों तक विस्तार करने के अधिकार हैं। उन्होंने ऐसा किया है तथा उनका ध्यान रखा जा रहा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या संघों से परामर्श लिया गया था अथवा नहीं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : किसी भी उद्योग से कोई शिकायतें नहीं आई हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह सुनिश्चित करने के लिये कि श्रमिकों को उनके अधिक घंटों तक काम करने पर अतिरिक्त मजूरी दी जाती है तथा यह देखने के लिये कि उनकी रहन सहन की अवस्थाओं तथा अन्य मामलों की भली प्रकार सुरक्षा की जाती है, क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, ढीलों तथा छूटों के सम्बन्ध में मालिकों पर कोई उत्तरदायित्व लादा गया है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : त्रिदलीय सम्मेलन में जो समझौता हुआ था, जहां कि औद्योगिक समझौता संकल्प पारित किया गया था, उसी के अनुसार यह समस्त छूट दी गई हैं। उससे परे कुछ भी नहीं है सब कुछ उसी के अनुसार है। व्यवहार रूप में भी संघों से परामर्श लिया जाता है तथा एक पक्षीय निर्णय नहीं लिये जाते। मैं देखता हूं कि श्रमिक लोग अधिक कार्य करने के लिए मालिकों से भी अधिक उत्सुक हैं ताकि वे इस अवसर पर कुछ और अधिक कर सकें। उत्पादन की अपरिहार्यताओं[1] के कारण, जैसे कि कभी-कभी कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो अथवा अन्य कठिनाइयाँ हो, कभी-कभी हम इस प्रतिक्रिया का लाभ नहीं उठा सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनर्जी :

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमन, मेरे प्रश्न को फिर से टाल दिया गया है। मैंने मजूरी के सम्बन्ध में पूछा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Exigencies

†अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे प्रश्न करने के लिए बाद में कहूंगा। श्री बनर्जी।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि आपातकाल में दी गई इन छूटों के अतिरिक्त. यह खान-मालिक समस्त श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा श्रमिक संघों के लिए समझौता करना असम्भव हो गया है? वे समझौता वार्ताओं के लिए मना कर देते हैं। क्या इस प्रकार की कोई चीज उनके ध्यान में लाई गई है तथा त्रिदलीय निश्चयों का क्या हुआ?

†श्री नन्दा : मैंने श्रमिकों के प्रत्येक संगठन को मुझे उन विशिष्ट मामलों से अवगत कराने का कहा है जो कि उस समझौते के उल्लंघन में हुए है तथा जिनका उन्हें ज्ञान है और हम उन पर कार्यवाही करेंगे। कोई विशिष्ट मामले नहीं ह।

श्री कछवाय : क्या सरकार को इस बात का पता है कि संकटकालीन स्थिति की घोषणा के बाद कारखानों में उत्पादन बढ़ा है या नहीं? यदि बढ़ा है, तो किन-किन उद्योगों में कितना कितना उत्पादन बढ़ा है?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत जेनेरल क्वेस्टियन है।

†श्री हरि विष्णु कामत : कार्य के अतिरिक्त घंटों के लिए अधिक अथवा अतिरिक्त भुगतान करने के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में क्या कहना है? यह और भी कि अतिरिक्त घंटों में कार्य किये जाने से गैर-सरकारी नियोजकों को जो अधिक लाभ होंगे क्या उस लाभ को वे राष्ट्रीय रक्षा कोष में देंगे अथवा स्वयं ही हड़प जायेंगे?

†श्री नन्दा : यह वह प्रबन्ध है जिनकी उन यूनिटस द्वारा चर्चा की जाती है जहाँ कि यह चीजें होती हैं। सिद्धान्त निर्धारित कर दिए गए हैं। हम सैकड़ों कारखानों में नहीं जा सकते और यहाँ से भी उनकी देखभाल नहीं कर सकते जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत न हों।

†श्री रंगा : उन्होंने प्रश्न का उत्तर तो बिलकुल ही नहीं दिया है।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं पुनः महान खेद के साथ आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करता हूं। माननीय मंत्री कहते हैं कि यह किन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है। सरकार की समस्त कारखानों, खानों तथा सोने की खानों आदि के सम्बन्ध में एक नीति है। अब यह उत्तरदायित्व एक विशेष यूनिट पर लादा जा रहा है जिसे यह देखने की स्वतंत्रता है कि सरकार के यह सिद्धान्त उस छोटी सी विशेष यूनिट में लागू किए जाते हैं अथवा नहीं। क्या सरकार के पास इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं ह?

†श्री नन्दा : साधन तो हैं परन्तु प्रत्येक स्थान पर जाकर यह पता नहीं लगाया जाता कि वहाँ कोई शिकायत है अथवा नहीं। श्रमिकगण संगठित हैं तथा यदि उन्हें कोई कठिनाई है तो उसके सम्बन्ध में हमें बता सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआ की अर्थ-व्यवस्था

+
†*२२८. {श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेडा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ की मुक्ति के समय वहां की अर्थ-व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी थी;

(ख) अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(ग) स समय उसकी सामान्य एवं विशेष रुप से लोह-अयस्क उद्योग की स्थिति कैसी है?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** (क) से (ग). मुख्यतः पुर्तगालियों द्वारा उनके जाने से पूर्व की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप गोआ की अर्थ-व्यवस्था कुछ छिन्न–भिन्न हुई थी। पुर्तगाली सेना द्वारा नष्ट की गई सड़कों तथा पुलों की मरम्मत कर दी गई थी तथा नगरपालिका की सेवाओं को अल्प काल में ही पुनः चालू कर दिया गया था। गोआ के बैंक की आस्तियां को भी पुर्तगाली लोग ले गए थे। गोआ में खातेदारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए तथा वहां पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। रोजगार देने के लिए तथा सामान्य रूप में गोआ की अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए अनेक विकास परियोजनायें प्रारम्भ कर दी गई हैं। अयस्कों का खनन तथा निर्यात सामान्य स्थिति में चल रहा है यद्यपि संसार की मंडियों में मन्दी है। वैज्ञानिक आधारों पर खनन प्रसाधनों का विकास करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह विचार करते हुए कि गोआ में स्वतन्त्रता के पूर्व जो कुछ भी उद्योग थे वे साम्राज्यवादी प्रतिरूप के अनुसार बने थे, क्या पुर्तगालियों के स्वामित्व में होने वाले उन औद्योगिक एककों को, स्वतं ता के बाद, गोआनी भारतीयों को अथवा गोआ से बाहर के भारतीय निवासियों को दे दिया गया था अथवा उन पर सरकार रा अधिकार कर लिया गया था?

†**श्री दिनेश सिंह** : मेरा विचार है कि पुर्तगालियों के स्वमित्व में इस प्रकार के कोई औद्योगिक एकक नहीं थे। यदि कुछ होंगे तो शायद उनके गोआ छोड़ने से पूर्व ही वे समाप्त कर दिये गये होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं यह समझ लूं कि गोआ में पुर्तगाली सरकार अथवा पुर्तगाली पूंजीपतियों के स्वामित्व में कोई औद्योगिक एकक नहीं थे? उन्होंने कहा है अधिकतर; उन्होंने यह नहीं कहा कि ....

†अध्यक्ष महोदय : वह वही बता सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है। और कोई प्रश्न ?

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ही लौह अयस्क की खानों में कुछ गड़बड़ हुई थी ? गोआ के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने पिछले महीने अथवा उससे कुछ पूर्व इस विषय में एक भाषण दिया था। और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया था कि आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उस समय से लौह अयस्क उद्योग की स्थिति को पुनः ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ? यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है।

†श्री दिनेश सिंह : उद्योग सामान्य रूप में चल रहा है। संसार की मंडियों में मन्दी के कारण, श्रमिकों की कुछ छंटनी हुई है। हम उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि गोआ में आर्थिक अस्थायित्व आंशिक रूप में उस क्षेत्र में राजनीतिक तथा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाओं में वृद्धि के कारण है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि गोआ को कुछ अवकाश देना सुनिश्चित करने के लिए ताकि वह आर्थिक क्षेत्र में अपनी स्थिति दृढ़ कर सके सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता। गोआ के लिए जो योजना हमने तैयार की है उसमें हम उनकी अर्थ-व्यवस्था को निकटवर्ती क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री दाजी : क्या यह सच है कि गोआ के लिए तैयार की गई सरकारी योजना का गोआ को परामर्शदात्री परिषद ने विरोध किया था कि योजना को अन्तिम रूप देने से पहले उनसे परामर्श नहीं लिया गया ? क्या अब उनसे परामर्श ले लिया गया है ?

†श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि उनसे परामर्श लिया जा रहा है।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखकर कि उनकी अर्थ-व्यवस्था कुछ सीमा तक छिन्न भिन्न हो गई थी, क्या विशेष रूप से गोआ के लिए एक योजना बनाई गई है और क्या उनकी अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने के लिए किन्हीं उद्योगों की स्थापना किए जाने की सम्भावना है ?

†श्री दिनेश सिंह : पिछले सत्र में, मैंने आर्थिक योजना के ब्यौरे बताये थे।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या वहां कोई रोजगार दफतर खोल दिया गया है, बेरोजगार लोगों की सख्या कितनी है, तथा क्या उस रोजगार दफतर तथा भारत के अन्य रोजगार दफतरों में कोई समन्वय है ?

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से तो हम बेरोजगारी के विषय की ओर आ रहे हैं।

†श्री काशी राम गुप्त : स्वतन्त्रता के पश्चात् कुछ आयातकर्ताओं तथा व्यापारियों ने भारी हानि उठाई है। क्या सरकार किसी रूप में उनकी हानि पूर्ति करेगी क्योंकि पुर्तगालियों के समय में जो आयातकर्ता तथा व्यापारी फला फूला करते थे उन्हें स्वतन्त्रता के पश्चात् हानि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिनेश सिंह : सरकार के हानिपूर्ति करने के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है । निश्चित । हम उन्हें कोई प्रतिकर नहीं देंगे । यदि वे कुछ ऐसी वस्तुएं आयात करना चाहते हैं जो हमारी आयात ची में हैं तो हम इस पर विचार करेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : डा० कोलाको ।

†श्री काशी राम गुप्त : क्या इसके लिये उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है ।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैंने डा० कोलाको का नाम लिया है ।

†डा० कोलाको : क्या यैह सच नहीं है कि गोआ की वाणिज्यिक, आर्थिक तथा अन्य नीतियों आकस्मिक परिवर्तन के कारण भी गोआ की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है ौर क्या कम से कम कुछ वर्षों के लिए, जैसी कि हमें सर्वदा आशा थी, तथा नई विकास योजना की ार्यान्विति के दौरान भी, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य नीतियों के मुख्य मुख्य रूपों को नाये रखने का विचार नहीं था ?

†श्री दिनेश सिंह : आपात सम्बन्धी नीति के अतिरिक्त ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री जोकीम आल्वा : श्रीमन्, मैं आपके सम्मुख तर्क उपस्थित करना चाहता हूं । मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे सभा के सम्मुख नहीं कहा गया । संसद् को यह जानना चाहिए. . . .

†अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । मैंने अगले प्रश्न के लिए कहा है ।

†श्री जोकीम आल्वा : कृपया मुझे अनुमति दें ।

†अध्यक्ष महोदय : अब हम केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । जानकारी दे नहीं सकते ।

†श्री जोकीम आल्वा : मुझे खेद है । आपने विरोधी दल के सदस्यों को इतने सारे प्रश्न पूछने की अनुमति दी है किन्तु आप मुझे केवल एक प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण

\+

†*२२९. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भू० ना० मण्डल :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : }

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है ;

(ग) क्या इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्यवाही की गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा या संक्षेप रूपरेखा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) जी, हां ।

(ग) ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : हमें ब्यौरे नहीं चाहिएं । परन्तु मित्र देशों से आने वाले विदेशी सैनिक प्रतिनिधि मण्डलों के साथ, जिन्होंने अब तक इस देश का दौरा किया है, इस सम्बन्ध में क्या कोई परामर्श किया गया है और क्या रूपरेखा तैयार करने में उन दलों के साथ कोई सहयोग किया गया है—हमें ब्यौरे नहीं चाहियें—और क्या मित्र देशों से किन्हीं प्राविधिकों तथा विशेषज्ञों को इन मामलों में हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए आमन्त्रित किया जा रहा है ?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : सामान्य रूप में मैं हां कहूंगा ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं उत्तर नहीं सुन सका ।

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : सामान्य रूप में, मेरा उत्तर 'हां' है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरा विचार है कि 'सामान्य रूप में' का अर्थ है इन तीनों बातों के सम्बन्ध में । क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सशस्त्र सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित कर दी गई है ताकि निकट भविष्य में चीनी आक्रमण की सम्भावित धमकी का मुकाबला किया जा सके ?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : क्या मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई लक्ष्य तिथि बताना कुछ कठिन है क्योंकि आधुनिकीकरण एक बहुत जटिल तथा जारी रहने वाली प्रणाली है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह एक क्रमवार कार्यक्रम है ?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : स्वाभाविक ही, जब हम कहते हैं कि इसके लिए एक कार्यक्रम है, तो यह क्रमवार कार्यक्रम ही होता है, तथा यह क्रमवार कार्यक्रम ही है ।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि तीनों प्रकार की स्थल, जल तथा नभ सेनाओं तीनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, यदि हां, तो इस आधुनिकीकरण का क्या संख्या पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आधुनिकीकरण में जहां और बातें की जाती हैं वहां संख्या भी बढ़ायी जाती है । दोनों ही होती हैं ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह आधुनिकीकरण तीनों सेनाओं का होगा और इस आधुनिकीकरण का स्थल सेना की संख्या पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है कि पड़ेगा । आधुनिकीकरण का संख्या पर भी असर पड़ेगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम विदेशी मन्त्रणादाताओं तथा परामर्शदाताओं पर निर्भर नहीं रहेंगे और यह कि हमने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम पहिले ही उठा लिए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में आश्वासन देने के लिए नहीं कहा जाता । केवल जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

श्री यशपाल सिंह : जैसा कि आनरेबुल मिनिस्टर ने बतलाया है कि पब्लिक इंटरस्ट में नहीं है, तो क्या कोई भी मिलैटरी प्रीपरेशन छिपाना पब्लिक इंटरैस्ट को सर्व कर सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सिद्धान्त की बात है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या आधुनिकीकरण साम्यवादी ढंग से होगा अथवा पाश्चात्य ढंग से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । इसे इतना सहज रूप में न लिया जाय ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मन्त्री ने कहा है कि ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं होगा । ब्यौरों के सम्बन्ध में मैं कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहूंगा । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ व्यवहारात्मक कदम उठा लिए गए हैं और क्या माननीय मन्त्री इसका उत्तरदायित्व सम्भालेंगे ? भविष्य में यदि अस्त्र शस्त्रों अथवा आयुधों आदि की कोई कमी होती है तो क्या तब माननीय मन्त्री इसके लिए व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होंगे ? हमें ब्यौरे नहीं चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई नया उत्तरदायित्व नहीं है ।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : इस अर्थ में कि कोई प्रतिरक्षा मन्त्री किस सीमा तक उत्तरदायी हो सकता है, हां ।

महालनोविस समिति का प्रतिवेदन

+

†*२३०. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आय वितरण सम्बन्धी महालनोविस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री के० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस प्रतिवेदन की उपपत्तियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार समिति को अपनी उपपत्तियों के परिणामों को यथासम्भव शीघ्र बताने के लिए प्रेरित करेगी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : जी हां । हम समिति के सभापति तथा अन्य सदस्यों के सम्पर्क में रहे हैं तथा हमने उनसे प्रतिवेदन शीघ्र देने की प्रार्थना की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : योजना आयोग द्वारा लोगों को जो प्रत्याशायें दिलाई गई थीं उनको देखते हुए, क्या हम कम से कम यह आशा कर सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही हमें समिति की उपपत्तियां प्राप्त हो जायेंगी ?

†श्री नन्दा : सभीपति ने मुझे बताया है कि संसद के इस सत्र की समाप्ति से पूर्व ही समिति अपना प्रतिवेदन योजना आयोग को दे देगी ।

†श्री पु० र० पटेल : एक वर्ष पूर्व 'इंडियन एक्सप्रैस' ने महालनोबिस समिति की उपपत्तियों का वर्णन करते हुए एक सम्पादकीय लेख लिखा था । इतना होते हुए भी, यह कैसे सम्भव है कि सरकार के पास समिति की उपपत्तियां नहीं हैं ?

†श्री नन्दा : अभी तक समिति की कोई उपपत्तियां नहीं हैं ।

†डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि समिति ने सरकार को एक अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया है ?

†श्री नन्दा : जी, नहीं ।

†श्री काशी राम गुप्त : इस अप्रत्याशित असाधारण विलम्ब के क्या कारण है ?

†श्री नन्दा : यह एक असाधारण रूप में कठिन तथा जटिल विषय है ?

†श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि निर्देश पदों के रूप में समिति ने सरकार से कुछ अधिक अधिकार लेने चाहे थे, उदाहरणार्थ, वास्तविक स्थिति को आंकने के लिए लेखा तथा अन्य अभिलेखों की जांच करना ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह अधिकार दे दिए हैं?

†श्री नन्दा : उन्होंने यह मांग की थी कि आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के प्रश्न पर भी वह विचार करे । उसके लिए अनुमति दे दी गई थी ।

नेफा में सैनिक कार्यवाही का अनुसंधान अध्ययन

+

†*२३१. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेंगे कि नेफा क्षेत्र में अक्टूबर-नवम्बर, १९६२ में की गई सैनिक कार्यवाही के अनुसधान अध्ययन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : अनुसन्धान अध्ययन करने का काम जिस अधिकारी दल को सौंपा गया था, उसने इस बीच क्षेत्रीय-कार्य पूरा कर लिया है । अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० चं० शर्मा** : दल की रिपोर्ट कब तक प्रकाशित होगी और क्या वह पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : मैं नहीं समझता कि रिपोर्ट पटल पर रखी जा सकती है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय का ऐतिहासिक विभाग भी इस रिपोर्ट को तैयार करने में इन अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है, या केवल ये अधिकारी ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यह काम वे अधिकारी करते हैं जो इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए तकनीकी दृष्टि से योग्य हैं, जो अनुसन्धान तथा विकास संगठन के हैं और जिनका विशेष कार्य हथियारों संबंधी इस कार्य का मूल्यांकन करना है । वे यह कार्य कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमान्, इस प्रश्न में पूछा गया था कि वार औपरेशस इन नेफा के बारे में क्या जांच की गई, ो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच केवल शस ों के संबंध में थी या जिन अधिकारियों ने गलतियां कीं, उनके बारे में भी जांच की गई है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यह भिन्न बात है जिसके बारे में एक बार प्रधान मंत्री जी ने उल्लेख किया था । वह सैनिक आंकन भिन्न बात है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह जांच वही है जिसके लिए अर्थात चीनी आक्रमण के संबंध में सेना की दृष्टि से तैयार न होने के बारे में प्रधान मंत्री जी ने गत नवम्बर में संसद् के दोनों सदनों में वचन दिया था. या यह कोई पृथक मामला है? यदि वह जांच इसके सा नहीं रही है, तो वह कब होगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक मुझे विदित है, यह वही जांच है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह वही है या भिन्न है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं ने दो जांचों का उल्लेख किया था जिनमें से एक का संबंध सेना अधिकारियों द्वारा सैनिक आंकन से है । यह काम हथियार मूल्यांकन दल ने किया था जो अनुसन्धान तथा विकास संगठन का अंग है । यह तकनीकी किस्म की जांच है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा प्रश्न नेफा में सनिक तैयारी न होने की जांच के बारे में था जिसके संबंध में प्रधान मंत्री ने वचन दिया था । श्रीमान्, उस समय आप यहां थे । आपको स्मरण होगा । क्या यह जांच वही है या यह उससे पृथक जांच है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि यह वही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह वही कैसे हो सकती है ।

†**श्री रंगा** : इसकी जांच तो आक्रमण को रोकने की असफलता के बारे में है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हम इस जांच के निर्देश पद चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को महसूस करना चाहिये कि यदि निश्चित उत्तर मिलता है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वह ठीक है या गलत है । अभी, यह उत्तर स्वीकार करना है, और यदि कोई सदस्य समझते हैं कि वह ठीक उत्तर नहीं है, तो वह मुझे लख सकते हैं । मैं पूछताछ करूंगा ।

†श्री रंगा : हम तत्काल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : हमें इस जांच समिति के निर्देश पद बताये जायें । उससे हम पता लगा सकते हैं कि यह वही जांच है या भिन्न जांच है ।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या इस समिति को उस क्षेत्र के लिए हथियारों की उपयुक्तता के प्रश्न की जांच करने के अलवा उस क्षेत्र में ढलान तथा संबंधित मामलों की कठिमाइयों की जांच करना भी ौंपा गया था ?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं ने कहा था कि दो प्रकार की जांच हो रही है । एक तकनीकी पहलू के बारे में है और दूसरी सामरिक कार्यवाही के बारे में है । सामरिक पहलू संबंधी कार्य, जो सेना अधिकारियों ने किया है, वह वह है जिसे प्रधान मंत्री जी ने सैनिक आंकन कहा है । मेरा ख्याल है कि पिछली वार प्रधान मंत्री जी ने संसद् को इसी का वचन दिया था । यह भिन्न जांच है जिसे हथियारों का मूल्यांकन करने वाले तकनीकी कर्मचारी कर रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि योजना में हमारे जवानों को जो गन्स दी गई थी वे क्या रस्टिड थी ? बी० बी० सी० ने जो ब्राडकास्ट २२ अक्टूबर को किया और जिसमें कहा कि "नेफा में भारतीय सनिकों ने दूसरे महायुद्ध में छोड़ी गई बन्दूकें प्रयोग की" क्या यह रिपोर्ट सही थी या गलत थी ?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि यह प्रश्न जांच के बारे में है । जांच की रिपोर्ट अभी तैयार होनी है । मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

†श्री शिवाजीराव श० देशमुख : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने "डान" में "नेफा में भारतीय विध्वंस" शीर्षक के अन्तर्गत हमारे उच्च सेना पदाधिकारियों द्वारा की गई बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में प्रकाशित समाचार इस समिति के विवेक पर छोड़ दिये है ?

†श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि ऐसा करना आवश्यक है ?

इलमेनाइट के निर्यात में कमी

†*२३२. श्री अ० क० गोपालन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चावरा में खनिज रेत उद्योग इलमेनाइट के निर्यात में कमी हो जाने के कारण संकट में है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हां।

(ख) इलेमेनाइट के लिए निर्यात बाजार पुनः प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही में नम्न बातें सम्मिलित हैं :—

(१) विक्रय-मूल्य में कमी करना ;

(२) विदेशों में जोरदार विक्रय संवर्धन आन्दोलन करना; और

(३) राज्य व्यापार निगम के साधनों का प्रयोग करना।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या हाल में किसी जापानी फर्म से वार्ता हुई थी, और यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हम इलमेनाइट बेचने के लिये जापान से वार्ता कर रहे हैं। एक दल वहां या है और वह विचार विमर्श कर रहा है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या भारतीय इलमेनाइट से अशुद्धता दूर करने के लिये कोई अनुसंधान किया जाता है। यदि हां, तो परिणाम क्या है ; यदि नहीं, तो क्या तत्काल अनुसंधान करने का विचार है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : अशुद्धता दूर करने का उत्तम ढंग मालूम करने के लिये अनुसंधान किया जा रहा है।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार को इस वस्तु के बारे में चैकोस्लोवाकिया द्वारा प्रकट की गई रुचि का जानकारी है, और क्या उनसे तत्काल वार्ता करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ताकि हम उन्हें इसका निर्यात कर सकें ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जैसा कि मैं ने कहा था, हम दिलचस्बी लेने वाले सभी देशों से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वार्ता कर रहे हैं।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : माननीय मंत्री जी ने कहा था कि निर्यात संवर्धन के लिये कार्यवाही की जा रही है। क्या वे ब्रिटेन या अमरीका जैसे देशों को, इस उत्पाद के बाजार ढूंढ़ने के लिये कुछ दल भेजने का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं नहीं कह सकता कि दल भेजना विचाराधीन है या नहीं, परन्तु यह काम उपलब्ध सामान्य साधनों से कर रहे हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या यह जानने के लिये कि अन्य स्पर्धाकारी देश इसे हमारी अपेक्षा सस्ता क्यों बेच सकते हैं, इसके कारणों की जांच की गई है।

†**श्री दिनेश सिंह** : हमने उनकी जांच की है। अनेक कारण हैं। हमारे इलमेनाइट में कुछ अशुद्धतायें हैं, और हमारा उत्पादन-व्यय अधिक है। अन्य साधनों का, उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, आदि में पता लगा है और वे इसे कुछ सस्ते मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्नल भट्टाचार्य

+

†*२३३. श्री प्र० ं० चक्रवर्ती
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कजरोलकर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढाका उच्च न्यायालय की विशेष बेंच ने १ फरवरी, १९६३ को कर्नल भट्टाचार्य, जो ढाका में कारागार में दण्ड भोग रहे हैं, की बन्दी प्रत्यक्षीकरण की लेख याचिका अस्वीकार कर दी है ;

(ख) क्या उस न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पाकिस्तान के संविधान के अन्तर्गत मार्शल ला विनियम "वर्तमान विधियां" माने गये हैं; और

(ग) क्या उच्च न्यायालय की इन उपत्तियों को देखते हुए, सरकार कर्नल भट्टाचार्य का मामला पाकिस्तान के साथ उठाने का विचार करती है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख). जी हां।

(ग) जी नहीं; अभी नहीं। परन्तु लेफ्टीनेंट कर्नल भट्टाचार्य द्वारा आगे अपील किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : अब क्यों कि कर्नल भट्टाचार्य के मामले में सभी वैध तथा संवैधानिक ढंग समाप्त हो गये हैं, क्या सरकार इस बारे में राजनयिक आधार पर कार्यवाही करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : पाकिस्तान तथा भारत के बीच हो रहे विचार विमर्श में यह प्रश्न उठाने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : सभी वैधानिक उपाय पूर्णतया समाप्त नहीं हुए हैं जैसा कि पहिले माननीय सदस्य ने कहा था। हमारे उच्च आयुक्त ने यह मामला अनेक बार पाकिस्तान सरकार के पास भेजा है, और यदि इसे फिर आरम्भ करने की आवश्यकता हुई, तो हम ऐसा करेंगे परन्तु जो वार्ता हो रही है उसमें केवल कुछ विशिष्ट बातों पर ही विचार किया जा रहा है।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या इस मामले की जांच कराने का हमारे पास कोई और वैध उपाय हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : नये संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस मामले की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या पाकिस्तान के प्रेसीडेंट ने कर्नल भट्टाचार्य की सजा कम कर दी है ?

†श्री दिनेश सिंह : हां।

†श्री कछवाय : कर्नल भट्टाचार्य को पाकिस्तान में कब पकड़ा गया था और तब से अब तक हमारी सरकार ने उन्हें ढूंढने में क्या क्या किया है ?

†अध्यक्ष महोदय : अब तो हम बहुत आगे जा चुके हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : एक भाषण में विधि मंत्री जी ने कहा था कि कर्नल भट्टाचार्य शीघ्र ही हमारे पास आ जायेंगे। भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है, क्या उन्होंने इस बात को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ उठाया या इस पर कलकत्ता में विचार विमर्श होगा।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह लिया जा चुका है।

†श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन यह है कि इन सब मामलों का संबंध भारत-पाकिस्तान विवाद से है और उन पर विचार विमर्श हो रहा है।

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस बैठक विशेष का संबंध है, उत्तर यह दिया गया था कि बातें केवल कुछ विशेष मामलों पर हों रही हैं। और वह क्या चहाते हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : बातें सभी विषयों पर हो रही हैं। वे केवल सीमा विवाद के ही बारे में नहीं हैं।

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया गया है कि ये बातें केवल विशेष मामलों पर हो रही हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं यह समझूं कि इसे नहीं लिया जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : इन बैठकों में नहीं लिया जायेगा।

+श्री शिवाजी राव श० देशमुख : क्या सरकार ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के औचित्य पर विचार किया है ?

†श्री दिनेश सिंह : अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

एमरजेंसी कमीशन अफसरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

+

†२३४. { श्री हेम राज :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एमरजेंसी कमीशन में प्रवेश करने वाले अफसरों के प्रशिक्षण के लियें अधिक स्कूल खोलने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां कहां पर; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले वर्ष ऐसे कितने स्कूल खोले गये थे और कहां पर तथा उनमें से प्रत्येक में कितने अफसर लिये गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) से (ग). दो अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, एक पूना में और दूसरा मद्रास में जनवरी, १९६३ में खोले जा चुके हैं। आजकल, और कोई अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल खोलने का विचार नहीं है।

†**श्री हेम राज** : इन एमरजेंसी कमीशन के लिये कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : हमारी योजना जनवरी, १९७४ तक ३५०० अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की है।

†**श्री हेम राज** : क्या इस कार्य के लिये ये दो स्कूल पर्याप्त होंगे और क्या उन क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्कूल खोले जायेंगे जहां पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ?

†**श्री दा० रा० चह्वाण** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि खोले गये दो स्कूलों के अतिरिक्त और कोई स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह विचार किया जा रहा है कि पूना और मद्रास में जो ये अफसरों के लिये विद्यालय खोले गये हैं, उन में अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था की जाए ताकि एक साथ ज्यादा अफसरों को ट्रेनिंग दी जा सके ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : मैं समझता हूं कि उन्हें सभी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह संख्या का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : आजकल, संख्या ४५० है और लगभग दो महीनों में यह संख्या ६०० हो जायेगी।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस प्रशिक्षण की अवधि क्या है।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : २२ सप्ताह।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रख कर कि नेफा में हमारी असफलता का एक कारण यह बताया गया था कि हमारे जवानों को पहाड़ी युद्ध की जानकारी न थी, क्या हमारे सभी व्यक्तियों को पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जाती है।

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे अधिकारियों तथा जवानों को उस विशेष प्रकार के युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि आज भी हमारे कैंडीडेट्स को इसलिये रिजैक्ट किया जाता है कि वे सुन्दर अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वेश्चन।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : श्रीमन्, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल, तो बहुत बार हो चुका है और आप इसको जानते हैं।

गोआ में बेरोजगारी

†*२३५. + श्री बी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है ;

(ख) क्या ऐसा गोआ के विशेष सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के कारण है ; और

(ग) इस समस्या पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). जी नहीं। फिर भी, मुख्यकर विभिन्न पुर्तगाली संस्थाओं के बन्द होने के कारण कुछ बेरोजगारी है। कुछ बेरोजगारी का कारण यह भी है कि संसार में अयस्क की मांगों में कमी हो गई है।

(ग) सरकरा ने सरकारी विभागों तथा विभिन्न विकास रोजनाओं में रोजगार देने की कार्यवाही की है।

†**श्री बी० चं० शर्मा :** कौन कौन पुर्तगाली संस्थायें बन्द हो गई हैं और उनके स्थान पर कौन संस्थायें स्थापित हो रही हैं, ताकि हमारी ओर से वह अन्तर पूरा किया जा सके ?

†**श्री दिनेश सिंह :** पुर्तगीज एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, दि बोर्ड आफ एक्स्टर्नल ट्रेड तथा बैंकों-नेशनल अल्ट्रामरिनो जैसी कुछ संस्थायें बन्द हो गई हैं। हम अपने बैंकों की सुविधायें लागू कर रहे हैं और उनमें कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा।

†**श्री बी० चं० शर्मा :** पिछले कुछ महीनों में वहां रोजगार संभाव्यता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** खुलने वाले नये स्कूलों में काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है और बनने वाली विकास परियोजनाओं में भी ोजगार मिल रहा है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या वहां कोई काम दिलाऊ दफ्तर खोला गया है या नहीं, और पिछले कुछ महीनों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वहां कोई काम दिलाऊ दफ्तर खुला है ?

†**श्री दिनेश सिंह :** हां।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिनेश सिंह : मैं एकदम नहीं बता सकता, परन्तु यह नई रोजगार संभाव्यता जिसकी व्यवस्था की गई है, लगभग १४०० व्यक्तियों के लिये है।

†श्री दाजी : क्या सरकार के पास साधारण अनुमान है कि आजकल गोआ में कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

†श्री दिनेश सिंह : हां, जैसा कि मैंने पहिले कहा था। कुछ संस्थाओं के बन्द होने से लगभग १६६० स्थायी और ६७८ दैनिक मजूरी पाने वाले व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। नये रोजगार में १४०० व्यक्तियों को लगाया जा रहा है खोले जा रहे बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में बहुत से व्यक्तियों को काम दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सभा जानती है, संसार के बाजार में मंदी के कारण लौह अयस्क उद्योग के मजदूर लगभग ६०००—बेरोजगार हो गये हैं। उनके रोजगार के प्रश्न की जांच हो रही है।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : गोआ की अर्थ-व्यवस्था के किस विशेष क्षेत्र में बेरोजगारी में कमी हुई है ? क्या यह खनन के क्षेत्र में भी हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर पहिले ही दे चुके हैं।

श्री बड़े :पिछले समय में जिस गोआ डेवेलपमेंट प्लैन के बारे में इस हाउस में बतलाया था क्या उसका इम्प्लिमेंटेशन अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये किया गया है ? यदि किया गया है तो कहां तक किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी अर्ज किया कि १४०० लोगों का इन्तजाम हो गया है, और औरों का हो रहा है।

श्री बड़े : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले समय में जिस गोवा डेवेलपमेंट प्लैन के बारे में यहां जिक्र किया गया था उसका इम्प्लिमेंटेशन हो रहा है या नहीं और यदि हो रहा है तो उससे अनएम्प्लायमेंट कम हुआ है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने जवाब दिया कि इम्प्लिमेंटेशन हो रहा है और यह बातें हुई हैं।

श्री बड़े : उन्होंने अनएम्प्लायमेंट के बारे में नहीं बतलाया है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें दूसरा अवसर ूगा।

†श्री जोकीम आल्वा : गोआ में प्रशासन के बहुत से मुख्य अधिकारियों का संबंध पुर्तगाली शासन से था और उनमें से कुछ अब भी गोआ में उन प्रशासनों के अध्यक्ष हैं। क्या इसका करण आर्थिक विकास का है और राजनीतिक एकता का न होना है ? क्या यह उन अधिकारियों की रुकावट पैदा करने वाली कार्यवाही और भारत के लिये सहानुभूति के अभाव के कारण है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इन अस्पष्ट आरोपों का उत्तर नहीं दे सकता कि कुछ राष्ट्र विरोधी अधिकारियों को अब भी सेवा में रखा जा रहा है। जैसाकि आप जानते हैं, जो लोग रोजगार में थे, जिन्होंने भारत के प्रति वफादारी की शपथ ली है, उन्हें सेवा में रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : मेरा सवाल यह है कि पिछले वक्त गोवा के बारे में जिस एकानामिक डेवेलपमेन्ट प्लैन का जिक्र किया गया था उसका कितना इम्प्लिमेंटेशन हो गया है और उसकी क्या प्राग्रेस हुई है ।

श्री दिनेश सिंह : उसका इम्प्लिमेंटेशन हो रहा है और इस संबंध में सन् १९६३–६४ के लिये ३ करोड़ की प्लैन्स बन रही हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या यह सत्य है कि इमरजेंसी के कारण इस समय पहले की अपेक्षा अधिक बेरोजगारी बढ़ रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह साधारण प्रश्न है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि वहां अनेक कार्यालय थे और उनमें अनेक कर्मचारी थे, और यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रशासन ने कार्यालयों की और उनके कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है और क्या वहां बेरोजगारी होने का यह भी एक कारण है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह सभी कार्यालयों के बारे में सामान्य प्रश्न है । कुछ कार्यालय बन्द हो गये हैं और कुछ खुल गये हैं ।

माहे में भूमि सुधार

+

†*२३६. { **श्री पोट्टेकाट्ट** : **श्री अ० व० राघवन** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती माहे में भूमि सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या केरल कृषक संबंध अधिनियम १९६१ को माहे में लाग करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है तथा उस पर निर्णय कर लिया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) मलाबार काश्तकारी अधिनियम १९५८ में माहे में लागू किया गया था । बाद में, माहे (निष्कासन कार्यवाही रोक) आदेश, २८ अप्रैल, १९६२ को छः मास के लिये प्रस्थापित किया गया । ३१ दिसम्बर, १९६३ तक इस आदेश का लागू रहना विचाराधीन है ।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय ने केरल कृषि संबंध अधिनियम, १९६१ की कुछ धाराओं को विधान के प्रतिकूल बताया है । भारत सरकार समझती है कि केरल सरकार १९६३ के अन्त से पहिले एक व्यापक काश्तकारी विधान बनाने का विचार कर रही है । इस पर भारत सरकार माहे में उसी काश्तकारी विधि को लागू करने के प्रश्न की जांच करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर

*२३७. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में शक्तिशाली ट्रांसमीटरों का अभाव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नके अभाव के कारण दूरस्थ देशों के लिये प्रसारित कार्यक्रम वहां ठीक ठीक नहीं सुने जा सकते ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बंध में क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, कुछ हद तक ।

(ग) दिल्ली में १०० किलोवाट के दो शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाने का काम चालू है और उम्मीद है कि यह १९६३–६४ के अन्त तक पूरा हो जायेगा। इसके अलावा, तृतीय योजना में आकाशवाणी की विदेश सेवा की शक्ति बढ़ाने के लिये दिल्ली में १०० किलोवाट के ५ शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना की कार्यान्विति विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि शक्तिशाली ट्रांसमीटरों के अभाव में विदेशी प्रचार का कार्यक्रम उचित रीति से नहीं चल सकता है ? यदि हां, तो इस के लिये विदेशी मुद्रा की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री शाम नाथ : उस के लिये यह कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्स्चेन्ज हमें मिले। सन् १९५८ से जो ट्रांसमीटर आने वाले थे उन का काम शुरू हो गया था लेकिन उस में थोड़ी सी देर हुई। जो तीसरा योजना के पांच ट्रांसमीटर्स हैं उन के लिये और फारेन एक्सचेंज हासिल करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री सिद्धेश्वर साद : दिल्ली के अतिरिक्त और किन स्टेशनों पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे ?

†**श्री शाम नाथ :** यह एक सामान्य प्रश्न है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किन अन्य स्टेशनों पर हम शक्शािली ट्रांसमीटर लगा रहे हैं। दिल्ली से विदेश सेवा के कार्यक्रम होते हैं। इसलिये यहां पर हमें शक्शािली ट्रासमीटरों की जरूरत होती है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इन ट्रांसमीटरों को लगाने में बिलम्ब के कारण हैं क्योंकि काम १९५८ में शुरू किया गया था ? क्या इस मामले में कोई और देश भी हमसे सहयोग कर रहा है ?

†**श्री शाम नाथ :** मंगाये गये ट्रासमीटर अभी नहीं आये हैं। ज्यूंही वह आयेंगे उनको स्थापित कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या हमारी गलती के कारण कि हम समय पर ग्रार्डर नहीं दे सके ग्रथवा उन्होंने हमें उसको दिया नही ?

†श्री शाम नाथ : ग्रार्डर देने में कुछ बिलम्ब हुग्रा था। ग्राडर बिलम्ब से इसलिये दिए गए थे क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी थी।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : ग्राकाशवाणी का ग्रापात के कारण बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्या यह योजनायें ग्रापात से पहले बनाई गई थी ग्रथवा क्या वर्तमान ग्रापात की ग्रावश्यकताग्रों को देखते हुए इनका पुनर्गठन किया गया था ?

†श्री शाम नाथ : जैसा कि मैंने बताया, दूसरी योजना के दो शक्तिशाली ट्रांसमीटरों का उपबन्ध था। तीसरी योजनायें ५ शक्तिशाली ट्रांसमीटरों का उपबन्ध था। हम उनको शीघ्र मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री प० ला० बारूपाल : बीकानेर का रेडियोस्टेशन चालू करने का कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायगा।

†श्री शाम नाथ : यद्यपि यह एक ग्रलग मामला है परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि दो ग्रथवा तीन महीनों में हम बीकानेर के बारे में कुछ कर सकेंगे।

†श्री बसुमतारी : क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है कि गोदारी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर न होने के कारण युद्ध काल में बुरा प्रभाव पड़ा था ग्रौर यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†श्री शाम नाथ : गोदारी के ट्रांसमीटर के स्थान पर ५० किलोवाट का शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

†श्री ग्रब्दुल गनी गोनी : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि जम्मू में केवल एक किलोवाट का ट्रांसमीटर है ग्रौर इसको स्थानीय रूप से भी ग्रच्छी तरह नहीं सुना जा सकता है परन्तु काश्मीर के पाक ग्रधिकृत क्षेत्र में शक्तिशाली ट्रांसमीटर हैं जिसको सभी जगहों पर सुना जा रहा है। यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या क़दम उठाये जा रहे हैं।

†श्री शाम नाथ : जम्मू के लिए भी हमारा विचार कुछ करने का है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूतपूर्व सैनिकों को भरती

+

†*२३८. { श्री भागवत झा ग्राजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामहरख यादव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिकों को नियमित सेना (रगलर ग्रार्मी) में भरती करने का निर्णय कर लिया है ; ग्रौर

---

†मूल ग्रंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो कब से तथा उनकी पुनर्नियुक्ति के लिये क्या अर्हतायें आवश्यक हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की पुनः नियुक्ति के आदेश २८ नवम्बर, १९६२ को जारी किए गये थे। निम्नलिखित अधिकतम अंक वाले सभी भूतपूर्व-जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों, सैनिकों, जिनकी सेवायें अच्छी रही तथा जो डाक्टरी की "ए" श्रेणी में आते हैं, को पुनः नियुक्ति के उपयुक्त माना गया था।

जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर . .	४८ वर्ष
सैनिक (अदर रैंक्स)	४५ वर्ष
नान-काम्बैटेंट (अनुसूचित) . . .	५० वर्ष

चीनी के कारखानों में तपेदिक के रोगी

†*२३९. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही चीनी के कारखानों के मजदूरों में तपेदिक रोग का आपात बहुत बढ़ गया है ;

(ख) क्या इसका कारण चीनी की धूल का सांस शरीर के अन्दर चला जाना है जिससे बैगासोसिस' रोग हो जाता है जो बाद में तपेदिक का रूप ले लेता है; और

(ग) चीनी के कारखानों के मजदूरों में "बैगासोसिस', तपेदिक रोगों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं। बैगासोसिस रोग बैगासे की धूल से होता है तथा चीनी की धल से नहीं। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि "बैगासेसिस रोग से तपैदिक हो जाता है।

राष्ट्रीय आय

†*२४०. श्री प्र० के० देव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गोपाल दत्त मेंगी
श्री अब्दुल गनी गोनी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा तैयार किए गये अनुमानों के अनुसार गत वर्ष भारत में राष्ट्रीय आय में २.२ प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में इसके ५ प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस तुलनात्मक कम वृद्धि के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)) : (क) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा बताई गई राष्ट्रीय आय के आरंभिक अनुमानों से मालूम होता है कि १९४८-४९ के मूल्यों से राष्ट्रीय आय १९६१-६२ के वर्ष में पहले वर्ष से २.१ प्रतिशत बढ़ गई है। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लक्ष्य पूरे पांच वर्षों के हैं तथा १९६१-६२ के लगभग अलग से वार्षिक लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए थे।

(ख) १९६१-६२ में राष्ट्रीय आय निम्न दो कारणों से कम थी। (एक) खराब मौसम के कारण पहले वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन कम हो गया तथा (दो) वर्ष में औद्योगिक उत्पादन के मुख्य वस्तुओं के धीमे विकास।

सुपरसोनिक जैट लड़ाकू विमान के लिए इंजन

†*२४१. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर को सुपरसोनिक (ध्वनि की गति से भी अधिक तेज चलने वाला) जैट लड़ाकू विमान के लिये उपयुक्त इंजन बनाने के प्रयास में कितनी सफलता मिली है; और

(ख) उनका उद्देश्य कब तक पूरा हो जाने तथा पहला इंजन बन जाने की आशा है ?

†प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अब हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर और फियस ७०३ इंजनों का निर्माण कर रहा है। यह इंजन विमान एच० एफ—२८ एच—१ में लगेंगे। सरकार ने आरभ में कुछ इंजनों के संभरण के लिये तथा एच० एफ—२४ के एच—२ विमानों में लगाने के लिये भारत में उनका निर्माण करने के लिये सभी अधिकारियों से एक करार किया है।

(ख) "हाल" के कुछ ओरफियस ७०३ इंजन बनाये गये हैं। १९६३ के अन्त तक रूसी इंजनों का संभरण हो जायेगा। उनका भारत में निर्माण १९६४ में किया जायेगा।

'टिस्को' तथा 'इस्को' द्वारा अन्तरिम सहायता का भुगतान

†*२४२. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टिस्को' तथा 'इस्को' ने लोहा तथा इस्पात मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० के० मालवीय) : (क) और (ख) बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण न होने के कारण क्रियान्विति रोक दी गई है।

(ग) सदनों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को स्पष्टीकरण के लिये मजूरी बोर्ड को सौंप दिया गया है।

चीनी आक्रमण के कारण नुकसान

†*२४३. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री केप्पन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय की सीमा पर हाल के चीनी आक्रमण में खाद्य पदार्थ तथा कपड़ों समेत अनुमानतः कितने मूल्य के हमारे भांडार तथा सैनिक उपकरण चीनियों के पास चले गये; और

(ख) ऐसे कितने मूल्य के उपकरण भारत को लौटा दिये गये हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जानकरी अभी अपूर्ण है। अब तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुमान है कि हानि ४.०१ करोड़ रुपये की होगी।

(ख) अनुमानतः ५० लाख रुपये।

कृषि प्रशासन

†*२४४. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कृषि विशेषज्ञों की तालिका ने यह विचार प्रकट किया है कि खाद्य स्थिति के बारे में योजना असफल रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस असफलता की जिम्मेदारी किस पर है तथा कृषि प्रशासन को इस काम के लिये तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) और (ख). २ तथा ३ फरवरी १९६३ को हुई कृषि तालिका की बैठक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। केवल यह बताया गया था कि तीसरी योजनायें पहले वर्ष में तथा दूसरे वर्ष में भी कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा था। इस समय प्रगति बहुत कम है।

विमान-विध्वंसक मिसाइलों की खरीद

†*२४५. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद लियास :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई रक्षा के लिये विमान विध्वंसक मिसाइल खरीदने तथा / अथवा बनाने की प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) और (ख). जानकारी बताना लोक-हित में नहीं है।

भारतीय वैज्ञानिकों का सैनिक विज्ञान में प्रशिक्षण

†*२४६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों को सैनिक विज्ञान में प्रशिक्षण देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण देने के लिए किन-किन देशों से कहा गया है ?

† **प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) और (ख). भारत में तथा विदेशों में प्रतिरक्षा मिशन के भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण की योजनायें हमने बनाई हैं। उनमें से कुछ को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा कुछ ब्रिटेन, अमरीका तथा योरोपीय देशों जैसे रूस, स्वेडन, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस आदि में भेजे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

†*२४७. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भू० ना० मण्डल :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री राम हरख यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए;

(ग) यह प्रशिक्षण योजना कब से चालू हो जायेगी; और

(घ) यदि सरकार के समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण करने का विचार नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु देश के सभी युवको को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए यह निर्णय किया गया कि कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में सभी स्वस्थ्य बालकों को एन० सी० सी० की शिक्षा दी जाय । योजना को लागू करने की कार्यवाही की जा रही है । आशा है कि जुलाई १९६३ के आरम्भ होने वाले शिक्षा सत्र में ऐसे सभी बालकों को प्रशिक्षित किया जाय ।

†मूल अंग्रेजी में

हैलीकाप्टरों के लिये इंजनों का निर्माण

†*२४८. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आलुएत हालीकाप्टरों के लिए फ्रांसीसी गैस टर्बाइन इंजन एतोन्सते ३-बी बनाने का लाइसेंस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) समझौते के अधीन भारत सरकार ने भारत में इन इंजनों के निर्माण तथा विक्रय का पूर्ण अधिकार ले लिया है तथा यह अधिकार भी ले लिया है कि, भारत से बाहर के देशों में इंजनों को बेच सकें। समझौते में व्यवस्था है कि लाइसेंस देने वाले को विशेषज्ञ प्रतिनिधि ही तथा निर्माण स्थापना में सहायता दें और लाइसेंस देने वालों के कामों में हमारे प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षित करे। लाइसेंस फीस कुछ वर्षों में किश्तों पर दी जायेगी। लाइसेंस फीस अथवा रायल्टी बताना लोकहित में नहीं है।

चूना उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

†*२४९. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डोलोमाइट तथा चूने के पत्थर के उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का गठन है तथा बोर्ड के निर्देशपद क्या हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० के० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) मजूरी बोर्ड का गठन तथा निर्देशपद को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नंगल में प्रतिरक्षा सामग्री का कारखाना

३९१. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल में प्रतिरक्षा सामग्री बनाने के लिये कोई कारखाना खोला जाने वाला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने में कब से उत्पादन शुरू होगा ; और

(ग) उक्त कारखाने में क्या क्या सामग्रियां बनाई जायेंगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत में पंचायती रेडियो

†३९२. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने पंचायती रेडियो हैं ;

(ख) क्या ऐसा एक-एक रेडियो प्रत्येक ग्राम पंचायत को देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास सामुदायिक श्रवण के लिये रेडियो दे दिया जायेगा।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) इस विषय में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है; किन्तु इस मंत्रालय की योजना और सामुदायिक विकास मंत्रालय की एक दूसरी योजना के अन्तर्गत अब तक १.४५ लाख पंचायती रेडियो गांवों को दिये जा चुके हैं।

(ख) प्रत्येक ऐसे गांव को, जिसमें पंचायत है, पंचायती रेडियो दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के अनुसार १९६३-६४ में गांवों को दिये जाने वाले पंचायती रेडियो की संख्या सामान्य संख्या से जो लगभग ६,००० है, बढ़ा कर २५,००० कर दिये जाने का विचार है।

(ग) यह कार्य प्रतिवर्ष इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध वित्त पर और इस योजना में भाग लेने के विषय में राज्य-सरकारों की सहमति पर, जिन्हें रेडियो के मूल्य का कुछ भाग देना होता है, निर्भर करता है।

गणतंत्र-दिवस समारोह

†३९४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (१९६३ में) गणतंत्र दिवस समारोह पर कितना रुपया व्यय किया गया और गत वर्षों की तुलना में यह कितना था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह पर किये गये व्यय का लेखा तैयार किया जा रहा है। लेखा तैयार होने पर व्यय संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

वर्ष १९५५ से १९६० और १९६१ के संबंध में जानकारी क्रमशः १९ फरवरी, १९६० और २८ मार्च, १९६१ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ और २४१० के उत्तर में दिये गये आश्वासनों के अनुसार ९ दिसम्बर, १९६० और १ सितम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रखे

---

†मूल अंग्रेजी में

गये विवरणों में अन्तर्विष्ट है। वर्ष १९६२ के विषय में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	रुपये
१. सेना के दस्ते और संबंधित सामान के वहन पर व्यय; सेना परिवहन में बरते गये ईंधन का और परेड तथा पूर्वाभ्यास के लिये किराये पर लिये गये सामान पर खर्चा, और सेना के कर्मचारियों को दिया गया अतिरिक्त भत्ता . ..	४,७६,७००.००
२. अस्थाई शिविर, जैसे तालकटोरा शिविर (राज्यों से आये हुये लोक-नर्तकों आदि के लिये), भाग लेने वाले सेना के दस्तों और राष्ट्रीय सेना छात्र दल तथा लोक सहायक सेना की टुकड़ियों के लिये शिविर और जनजातियों के मुखियाओं के लिये आवास इत्यादि पर व्यय	२,०६,५००.००
३. नेशनल स्टेडियम में लोक-नृत्यों के प्रदर्शन के लिये रंगमंच और अन्य वस्तुओं की और सेना के इंजीनियरों द्वारा राजपथ पर पुल की व्यवस्था	१५,४००.००
४. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया कार्य जिसमें बाड़े और पंक्तिबद्ध बैठने के स्थान बनाना, पुल बनाना, बैंचों का निर्माण, कुर्सियों को किराये पर लेना, सरकारी भवनों पर रोशनी करना इत्यादि सम्मिलित हैं . .	३,९४,८००.००
५. मुशायरा और कवि सम्मेलन	९,१००.००
६. आतिशबाजी	१९,८००.००
७. प्रकीर्ण जैसे अतिरिक्त लाउड स्पीकर्स को किराये पर लेना, कार्यक्रमों का मुद्रण, ट्राफीज और पुरस्कार, ड्यूटी के समय लगने वाले बिल्ले और डिस्क, समाचारपत्र विज्ञापन, सेना के दस्तों और स्कूल के बच्चों का खान-पान . .	२५,३००.००
योग . . .	११,४७,६००.००

केन्द्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान

३९५. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम अनुसंधान के लिये जो केन्द्रीय संस्थान खोला जा रहा था उसकी स्थापना में विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इस संस्थान के मुख्यालय की जगह प्राप्त न कर सकने के कारण इस अनुसंधान की स्थापना को स्थगित अथवा समाप्त करना चाहती है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० (१८६० का २१) के अन्तर्गत २८ जून, १९६२ को पंजीकृत हो गई है। संस्थान ने अभी तक अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया। साधारण निकाय और संचालन निकाय के गठन के संबंध में सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

विदेशों में भारतीय मिशन

†३९६. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में विदेशों में हमारे मिशनों पर अनुमानतः कितना व्यय हुआ ; और

(ख) वर्तमान राष्ट्रीय आपातकाल को देखते हुये इस व्यय को कम से कम कर देने के लिये कौन से पग उठाये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १९६२-६३ के लिये विदेशों में हमारे मिशनों के लिये दत्तमत अनुदान ५,५२,६२,००० रुपये (पांच करोड़, बावन लाख, बासठ हजार रुपये) का है। तथापि पुनरीक्षित प्राक्कलन में इसके लिये ५,३५,१९,३०० रुपये (पांच करोड़ पैंतीस लाख, उन्नीस हजार, तीन सौ रुपये) रखे गये हैं।

(ख) व्यय को कम करने के लिये निम्नलिखित कुछ उपाय किये गये हैं :—

(१) प्रकीर्ण मदों के संबंध में आय-व्ययक आवंटन में तदर्थ कटौती, जिससे समस्त व्यय १९६२-६३ की आय-व्ययक अनुदानों को यथा संभव, ९५ प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।

(२) गणतंत्र दिवस के समारोह को समाप्त कर देना।

(३) दौरे संबंधी व्यय को अवश्यम्भावी न्यूनतम स्तर तक सीमित कर देना और सस्ते होटलों में आवास की व्यवस्था करना।

(४) जहां भी सम्भव हो कर्मचारियों की संख्या कम कर देना।

(५) जहां तक सम्भव हो अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना को टालना और अतिरिक्त कर्मचारियों और व्यय की नई मदों के प्रस्ताव को आस्थगित कर देना।

नाइजीरिया में भारतीय सशस्त्र सेना कर्मचारियों की नियुक्ति

†३९७. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ माह पूर्व नाइजीरिया सरकार ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की थी कि नाईजीरिया की प्रतिरक्षा सेवाओं को संगठित करने के लिये भारतीय सशस्त्र सेना कर्मचारियों को वहां नियुक्त किये जाने के लिये भेज दिया जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो नाइजीरियां की इस प्रार्थना के प्रति हमारी सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) रोयल नाइजीरियन नौसेना के कुछ उल्लिखित पदों पर कार्य करने के लिये कुछ नौसेना अधिकारियों को नाइजीरिया सरकार को सौंप दिया गया है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल की महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये स्कूल

†३९८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्र सेना दल की महिला अधिकारियों के उच्चतर प्रशिक्षण के लिये किसी स्कूल की स्थापना किये जाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) राष्ट्रीय छात्र सेना दल की महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक कालेज आरम्भ करने का विचार है ।

(ख) उपयुक्त भवन उपलब्ध होने की अवस्था में कालेज ग्वालियर, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जायेगा । अब तक कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रस्तावित एन० सी० सी० महिला कालेज में १२५ छात्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी । महिला अधिकारियों को ड्रिल, चांदमारी ड्रिल[1], मानचित्र सम्बन्धी अध्ययन और व्यवस्थित समाज सेवा के अतिरिक्त उपचर्या और संकेतन में विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा । चुनी हुई महिला अधिकारी शिक्षक का कार्य भी करेंगी और कालेज के प्रशासन में भी सहयोग देंगी ।

क्युमितांग सरकार[2]

†३९९. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा इसके किसी राष्ट्रजन का मार्शल च्यांग-काई-शेख की चीन सरकार अथवा उसके किसी राष्ट्रजन से किसी प्रकार का व्यवहार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में और किस सीमा तक ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Musketry.

[2] K. M. T. Government.

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि मंडल के लिये संसद्-सदस्यों का नाम निर्देशन

†४००. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों में ऐसी कार्य-प्रणाली रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के लिये संसद् सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों में प्रतिवर्ष कितने संसद्-सदस्यों का नाम निर्देशन किया गया और वह किस दल के थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	नामनिर्देशित संसद्-सदस्यों की संख्या	सम्बन्धित दल
१९५३	५	कांग्रेस दल
१९५४	७	कांग्रेस दल
१९५५	६	कांग्रेस दल
१९५६	६	कांग्रेस दल
१९५७	१	कांग्रेस दल
१९५८	५	कांग्रेस दल
१९५९	२	कांग्रेस दल
१९६०	४	कांग्रेस दल
१९६१	३	कांग्रेस दल
१९६२	४	कांग्रेस दल

नेपाल को मिट्टी के तेल का सम्भरण

४०१. **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल को दिए गए कोटे के अतिरिक्त भी भारी मात्रा में मिट्टी का तेल चोरी-छिपे भेजा जाता है जो अन्ततः नेपाल से चीन भेज दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच कराई जा रही है ; और

(ग) इसकी रोक-थाम के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । लेकिन नेपाल के लिए यह कोटा निश्चित नहीं है, बल्कि नेपाल की बढ़ती हुई जरूरतों के मुताबिक इसमें परिवर्तन होता रहता है ।

(ख) तेल कम्पनियों के जरिये और किन्हीं अन्य तरीकों से नेपाल में मिट्टी का तेल भेजने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ यह तय करने के लिए सलाह-मशविरा कर रही है कि इस विषय में क्या-क्या कदम उठाए जायें ।

जवानों के परिवारों को सुविधायें

†४०२. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम राज :
श्री रामेश्वरानन्द : }

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय सीमांत पर नियुक्त अधिकारियों और दूसरे सैनिकों के परिवारों कुछ सुख-सुविधायें, सुविधायें अथवा रियायतें दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशन्तराव चह्वाण) :** (क) और (ख). कुछ सामान्य रियायतें/ वायें जैसे :—

(१) परिवार आवंटन की राशि को निःशुल्क भेजना (जे० सी० ओ०/ओ० आर० के सम्बन्ध में, और, अधिकारियों के सम्बन्ध में, जहां बैंक की सुविधायें उपलब्ध नहीं हों ;

(२) परिवार को चुने हुए निवास स्थानों पर निःशुल्क ले जाना और वहां से, पुनः पद-स्थापना की अवस्था में, सेवा के नये स्थान पर ले जाना, अथवा, वैकल्पिक रूप में, पारिवारिक आवास को कम भाड़े इत्यादि पर बनाये रखना ; और

(३) युद्ध-क्षेत्र में सेवा करने वाले अधिकारियों और जे० सी० ओ० / ओ० आर० के परिवारों के लिये सक्रिय सेवा के किसी सैनिक के विरुद्ध दीवानी और राजस्व न्यायालय की कार्यवाहियों को सम्बन्धित सैनिक प्राधिकारी के द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र के आधार पर निलम्बित करवाना ।

आपात-काल के आरम्भ होने के बाद राज्य सरकारों / प्रशासनों से प्रार्थना की गई है ह इस बात को सुनिश्चित करें कि सैनिकों अथवा उनके परिवारों को भाटकों और ःकों से भाड़ा वसूल करने में कोई कठिनाई न हो और उनकी स्वयं की अथवा धृत ार मुकद्दमेबाजी के सम्बन्ध में सैनिकों के हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।

उनसे यह भी कहा गया है कि वह सेना के जे० सी० ओ० और ओ० आर० और जल और वायु-सेना के समान पदवी के कर्मचारियों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दें

---

†मल अंग्रेजी में

और सेना के कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल और कालेज की शुल्क आदि देने में यदि कोई विलम्ब हो जाये तो उसे माफ कर दें। अधिकांश राज्य सरकारों ने कहे अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया है और शेष राज्य सरकारें इस कार्य पर विचार कर रही हैं।

एमरजेन्सी कमीशन

†४०३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक वायु-सेना और सशस्त्र सेना में एमरजेंसी कमीशन के लिये कितने आवेदन पत्र आये हैं ;

(ख) कितनों की परीक्षा ली जा चुकी है और कितनों का इंटरव्यू किया जा चुका है ; और

(ग) अब तक क्रमशः सेना और वायु सेना में कितने व्यक्तियों को कमीशन दिया जा चुका है और कितनों की नियुक्तियां अथवा पदस्थापनायें की जा चुकी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) से (ग). एमरजेंसी कमीशन केवल सेना में ही दिये जाते हैं। सेना के इन कमीशनों के विषय में अपेक्षित सांख्यिक जानकारी, जो २५ फरवरी, १९६३ की स्थिति को बताती है, नीचे दी गई है :—

(१) उन प्रार्थियों की संख्या जिनकी सिफारिश प्राथमिक इंटरव्यू बोर्ड ने की है	१७,२७५
(२) सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिये भेजे गये प्रार्थियों की संख्या .	१३,४०३
(३) सर्विस सेलेक्शन बोर्ड द्वारा इंटरव्यू किये गये प्रार्थियों की संख्या . . .	८,५४९
(४) (३) में से सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के बाद अर्हता प्राप्त करने वालों की संख्या .	२,१४८
(५) उन प्रार्थियों की संख्या जो भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में चालू पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं	१,१७१

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र

४०४. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़े शहरों में ही सैनिक प्रशिक्षण देने के केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) क्या ऐसे केन्द्र गावों में भी खोले गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). यह कहना ठीक नहीं है, कि सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र केवल, कुछ बड़े नगरों में ही स्थापित किये गये हैं। वह या तो वहां खोले गये हैं, जहां सुविधायें विद्यमान हैं, अथवा, प्राप्य की जा सकती हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नागालैंड में चुनाव

†४०५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागालैंड में १९६४ में आम चुनाव करवाने के विषय में कोई घोषणा की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : नागालैंड में १९६४ में आम चुनाव करवाने के विषय में कोई भी घोषणा नहीं की गई । नागालैंड के अन्तरिम परिषद् ने सितम्बर, १९६२ में कोहिमा में हुये अपने छठे अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया था कि नागालैंड में फरवरी, १९६४ तक चुनाव करवा दिये जायें।

कटंगा में भारतीय सैनिक

४०६. **श्री गुलशन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटंगा में मारे गये चार भारतीय सैनिकों और अफसरों के परिवारों की देख-भाल के लिये भारत सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है और क्या उनके वहां मारे जाने का पूरा विवरण प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) लगता है, माननीय सदस्य १ जनवरी, १९६३ को, जादोटविले में शत्रु-कार्यवाही द्वारा मारे गये, चार सैनिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। नियमों के अनुसार उनके आश्रितों को निम्नलिखित अदायगियें अधिकृत की जा चुकी हैं :—

(१) कुटुम्बों को अलाटमेंट १ जनवरी, १९६३ में दे दी गई थी।

(२) १-२-१९६३ से उतने समय तक के लिये, जांच पर्यन्त्र २० रुपये मासिक अनुदान की स्वीकृति दे दी गई है, कि जितने तक इस राशि की विशिष्ट कुटुम्ब-पेंशन का निर्णय नहीं हो जाता ।

(३) प्रत्येक मामले में १६ फरवरी, १९६३ को एक विशिष्ट कुटुम्ब उपदान दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और लोहा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†४०७. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २५ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात और लोह उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो सरकार द्वारा किये गये समायोजन का ब्यौरा क्या है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) से (ग) सरकार ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । प्रबन्धकों और कर्मकारों द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में कुछ प्रश्न उठाये गये हैं और इन्हें स्पष्टीकरण के लिये मजूरी बोर्ड को सौंप दिया गया है ।

अणुशक्ति का शान्तिमय कामों के लिये प्रयोग

†४०८. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, १९६३ में टोकियो की अनुशक्ति की शांतिमय कार्यों के लिये प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या सम्मेलन में कोई प्रस्ताव रखने का सरकार का विचार है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

ट्राम्बे में 'गांमा फील्ड'

†४०९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे में 'गामागार्डन' स्थापित करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां । ट्राम्बे में 'गामा फील्ड' स्थापित करने पर कुछ समय से विचार हो रहा है । विकिरण स्रोत (रेडियेशन सोर्स) के ब्यौरे और 'कन्ट्रोल हाउस' और 'फील्ड' के रूपांकन को अन्तिम रूप दे दिया गया है । कई प्रयोगात्मक पदार्थ निर्धारित कर लिये गये हैं और क्षेत्र में लगाये जाने के लिये तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) 'गामा फील्ड' ६ एकड़ क्षेत्रफल में होगी और उसमें रेडियो सक्रिय कोबाल्ट (सी० ओ० ६०) के ५०० क्योरीज़ के विकिरण स्रोत होंगे । लाभदायक उत्परिवर्तन के लिये और बुनियादी अनुसंधान के लिये फील्ड में आर्थिक महत्व के पौधे लगाये जायेंगे ।

रेडियो सेटों का वितरण

४१०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २१ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत जो कुल ७८,०२५ रेडियो सेट उपलब्ध कराये गये हैं, उनमें से प्रत्येक राज्य में कितनी-कितनी संख्या में उनका वितरण किया गया है ;

(ख) उनमें से कितने रेडियो सेट सीमावर्ती क्षेत्रों में बांटे गये हैं ; और

(ग) आसाम, नेफा और नागालैंड के अतिरिक्त विशेष रूप से अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने और रेडियो सेट दिये जाने का निश्चय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या एल० टी०–८९८/६३]**

(ख) ७,२९८ ।

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मु और काश्मीर राज्यों को शीघ्र ही कुल मिलाकर २०५० सामुदायिक श्रवण सेट दिये जायेंगे । अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इनमें से कितने सेट इन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तव में लगाये जायेंगे ।

'कलिंग एयरलाइन्स'

†४११. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में सामान पहुंचाने का काम करते हुये कलिंग विमान समवाय के कितने विमान जनवरी, १९६२ से अब तक दुर्घटनाग्रस्त हुये ; और

(ख) क्या यह सच है कि नेफा क्षेत्र में ठेके का काम पूरा करने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कलिंग एयरलाइन्स को कुछ विमान और कुछ पैराशूट का सामान उधार दिया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) २१ सितम्बर, १९६२ को एक ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राइफल प्रशिक्षण

†४१२. { श्री हेम राज :
श्री बेरवा कोटा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १२ नवम्बर, १९६२ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १४६ के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितने कालिज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी १५ फरवरी, १९६३ तक नेशनल केडिट कोर राइफल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं;

(ख) असैनिक राइफल प्रशिक्षण योजना के विस्तार और उसे अन्तिम रूप देने के लिये क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितनी असैनिक जनसंख्या इस योजना के अन्तर्गत आ जाएगी ?

† तिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) १५ फरवरी, १९६३ को राज्यों और विश्वविद्यालयों द्वारा एन० सी०सी० कम्पनियों का वितरण दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या एल० टी० ८९९/६३]

(ख) और (ग). यह मामला गृह-कार्य मंत्रालय के विचाराधीन है ।

प्रादेशिक श्रम आयुक्त

†४१३. श्री प्रिय गुप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को, कर्मचारियों की सेवा शर्तों के उल्लंघन या परिनियत व्यवस्थाओं के उल्लंघन से पैदा हुए विवादों में, रेलवे स्थापनाओं में संगठित श्रम द्वारा या व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारी की प्रार्थना पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है ; और

(ख) क्या श्रम मुख्यायुक्त (केन्द्रीय) को यह विदित है कि नियोजक के रूप रेलवे अतिरिक्त समय, अवशिष्ट वेतन और मुअत्तली के दौरान मिलने वाले निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में मजूरी का भुगतान अधिनियम का अतिलंघन करते हैं और साथ ही निरन्तर ८ घण्टे पारी क्रम को १२ घण्टे सविराम पारी क्रम में बदल कर सक्षम प्राधिकार द्वारा कर्त्तव्य सूची में परिवर्तन किए बिना ही बदल कर नियंत्रण के घण्टे सम्बन्धी परिनियमों का भी प्रायः उल्लंघन करते हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जिन मामलों में मजूरी भुगतान अधिनियम, की नियोजन के घण्टे परिनियमों की तत्वों के नियोजन सम्बन्धी अधिनियम की और न्यूनतम मजूरी अधिनियम की जेसे कि ये रेलवे पर लागू किये जाते हैं; परिनियम व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया जाता है, उन में प्रादेशिक श्रम आयुवत (केन्द्रीय) हस्तक्षेप कर सकते हैं। रेलवे स्थापनाओं (गैर सरकारी रेलवे कम्पनियों के अतिरिक्त) में काम करने वाले श्रमिकों की सेवा की

†मूल अंग्रेजी में

शर्तों के अतिलंघन से पैदा होने वाले झगड़ों में वे तब तक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जब तक कि वे जिन में झगड़ा है यह स्पष्ट न कर दें कि विभागीय शासन प्रणाली द्वारा झगड़े के निबटारे के सभी तरीके अपनाए जा चुके हैं।

(ख) मजूरी का भुगतान अधिनियम और नियोजन के घण्टे परिनियमों की व्यवस्थाओं के अतिलंघन की ओर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का ध्यान उस ने 'फील्ड' पदाधिकारियों के प्रतिवेदनों द्वारा दिलाया जाता है और वह आवश्यक कदम उठाता है। अनियमितताओं को शीघ्र दूर करने के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध प्रशासन प्रणाली के अधिकारी विभिन्न स्तरों पर रेलवे प्राधिकारियों से सम्पर्क रखते हैं।

बाराहोती तक सड़क

४१४. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाराहोती और जोशीमठ के बीच का अन्तर कितने मील का है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बसें केवल जोशीमठ तक ही जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस स्थान से आगे बाराहोती के लिये जो सेना और साज-सामान ले जाया जाता है उसके लिये क्या व्यवस्था है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यहां जो मोटर की सड़कें है वह बहुत तंग है और इसी वजह से एक जीप जिस में तीन सैनिक थे हाल ही में दुर्घटना ग्रस्त हो गयी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सड़क को चौड़ा करने के लिए सरकार शीघ्र कदम उठायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) लगभग ६५ मील ।

(ख) जोशीमठ को दो रास्ते जाते हैं।

(१) कोटद्वारा से श्रीनगर और वहां से जोशीमठ।

(२) ऋषिकेश से श्रीनगर और वहां से जोशीमठ । कोटद्वारा मार्ग पर श्रीनगर तक सरकारी बसें चलती हैं। ऋषिकेश मार्ग पर उत्तर प्रदेश सरकार की बसें चलती हैं, जो ऋषिकेश से दो मील आगे है। तदपि, खुले मौसम में प्राइवेट बसों वाले दोनों मार्गों से जोशीमठ तक बसे चलाते हैं।

(ग) यह सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

(घ) तथा (ङ). दुर्घटना-ग्रस्त गाड़ी एक ३-टन लारी थी। दुर्घटना का कारण एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा जांच अधीन है, और अगले पग उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उठाये जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

नौकरी दिलाना

†४१५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के पूर्वार्द्ध में काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज किए गए व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली है ; और

(ख) किन विभिन्न क्षेत्रों में उनको नौकरी मिली है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख).

क्षेत्र	जनवरी-जून, १९६२ में दिलाई गई नौकरियां
सरकारी	१,८३,९००
गैर-सरकारी	२६,५७१
कुल	२,१०,४७१

कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण

†४१६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस सर्वेक्षण से जो स्थिति व्यक्त होती है उसके सुधार के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया है। शायद माननीय सदस्य का संकेत स्थानीय समाचारपत्रों में छपे उस समाचार की ओर है जो कि वर्ष १९६०-६१ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य बीमा में श्रमिकों की उपस्थिति के बारे में आंकड़ों पर आधारित है। ये आंकड़े वर्ष १९६०-६१ के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन में, जो कि पहले ही लोक-सभा पटल पर रखे गये हैं दिये हुये हैं। यही आंकड़े भारतीय श्रम वर्ष पुस्तक, १९६१ (इंडियन लेबर इयर बुक, १९६१) में दिये गये हैं।

इन आंकड़ों से उपस्थिति में वृद्धि के बारे जो जानकारी मिली है वह इसलिये हुई है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा संबंधी सुविधायें अधिकतर अच्छी कर दी गई हैं और श्रमिक अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो गये हैं। चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में विशेषज्ञों से परामर्श, डिसपैन्सरियों या तालिका डाक्टरों के रुजालय में उपचार और डाक्टरों का रोगियों के घर जाना इत्यादि है। जिनका इलाज हस्पताल में ही होना चाहिये उन्हें हस्पताल में दाखिल कर

†मूल अंग्रेजी में

लिया जाता है । विशेषज्ञों के कहने पर ऐक्सरे परीक्षण और घरों पर इलाज का प्रबन्ध निःशुल्क किया जाता है । हस्पतालों और कक्षों की स्थापना की जा रही है ।

खनिजों में ठेके पर श्रमिक

†४१७. { **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले को छोड़ अन्य खनिजों से संबंधित त्रिदलीय बैठक ने ऐसी खनिजों में ठेके पर श्रमिकों के काम करने की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया ; और

(ख) यदि हां, इस निर्णय को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि० मालवीय) :** (क) कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिजों के संबंध में औद्योगिक समिति ने ३ अक्तूबर, १९६२ की अपनी बैठक में सिफारिश की कि ठेके पर श्रमिकों की प्रणाली को सामान्यतया हटाने के बारे में भारतीय श्रमिक कांफ्रेंस के १९वें और २०वें सत्र के निष्कर्षों को कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिजों में कार्यान्वित करने के लिये अपनाया जाये । औद्योगिक समिति ने यह भी सिफारिश की कि इसी बीच में कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिजों में ठेके पर श्रमिकों की प्रणाली का विस्तार न किया जाये । भारतीय श्रमिक सम्मेलन के १९वें और २०वें सत्र के निष्कर्षों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या एल० टी० ९००/६३ ।]**

(ख) औद्योगिक समिति की सिफारिशों की ओर नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों का ध्यान दिलाया गया था ताकि उनके कार्यान्वियन में वे अपनी सहायता दे सकें । की गई कार्यवाई के बारे में प्रगति के प्रतिवेदन मंगाये गये हैं और सिफारिश के कार्यान्वियन का ध्यान रखा जा रहा है ।

कुश्तिया (पूर्वी पाकिस्तान) में टैगोर की सम्पत्ति

†४१८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने श्री रविन्द्र नाथ टैगोर के सम्मान में पूर्वी पाकिस्तान के कुश्तिया जिले में टैगोर सम्पत्ति के नवीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जी हां । हमारी जानकारी के अनुसार पुराविद्या विभाग, पूर्वी पाकिस्तान सर्किल ने शियालदाह, कुश्तिया जिला पर श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की सम्पत्ति का नवीकरण कर दिया है । यह भी पता चला है कि "कुत्थी बाड़ी" के क्षेत्र में एक अजायबघर और एक पुस्तकालय बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयु सीमा में रियायत

†४१९. { श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेना में भर्ती के लिये न्यूनतम आयु को कम करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) और (ख). सेना में ऐमरजेंसी कमिशन देने के लिये न्यूनतम आयु सीमा २० वर्ष से कम करके १९ वर्ष करने के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। सैनिकों की भर्ती के लिये १७ वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को कम करने का सरकार का विचार नहीं है।

आकाशवाणी में सहायक इंजीनियर

†४२०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आकाशवाणी में कुल कितने सहायक इंजीनीयर काम कर रहे हैं ; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) ४०१

(ख) अनुसूचित जातियां —दो

अनुसूचित आदिम जातियां— कोई नहीं ।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

†४२१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ में विदेशों को कितनी भारतीय फिल्में विभिन्न देशों को भेजी गईं ; और

(ख) उन से कितनी विदेशी मुद्रा का लाभ हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) भारत से निर्यात की गई फिल्मों की गिनती नहीं रखी जाती। निर्यात फिल्मों की लम्बाई और कीमत के बारे में आंकड़े "डिपार्टमेंट आफ कमर्शल इंटैलीजैंस और स्टैटिक्स कलकत्ता" द्वारा "भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े" (मन्थली स्टैटिक्स आफ दी फौरन ट्रेड आफ इण्डिया) में लगातार प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) (१) १९६०-६१ में १,८५,०७,००० रुपये
(२) १९६१-६२ में १,४८,८७,१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†४२२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने तिब्बती शर्णार्थियों को आबाद करना है ;

(ख) यदि हां, कितने और कहां; और

(ग) उस राज्य में और किन जिलों में कितने तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास हो चुका है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) सरगूजा जिले में २००० ।

(ग) कोई नहीं ।

भूतपूर्व एन० सी० सी० कैडट

†४२३. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूतपूर्व एन० सी० सी० (राष्ट्रीय सेना छात्र दल) कैडेट का कोई अनुपूरक कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या यह सच है कि आसाम राज्य से कई भूतपूर्व एन० सी० सी० कैडेटों ने ऐमरजैंसी कमिशन के लिये अर्जियां भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या नतीजा निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आसाम राज्य से २६१ एन० सी० सी० और भूतपूर्व एन० सी० सी० कैडटों ने ऐमरजैंसी कमिशन के लिये अर्जियां भेजी हैं ।

(घ) नतीजों की प्रतीक्षा हो रही है ।

सैनिकों के लिए दूध का राशन

†४२४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैनिकों के दूध के राशन में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो और दूध प्राप्त करने के लिये कैसे कदम उठाने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफा और लद्दाख में विमान से सामान गिराने का कार्य

४२५. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हरि विष्णु कामत : }

क्या **प्रधान मंत्री** ३० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६० से नेफा में विमान से सामान गिराने का कार्य किस प्राइवेट चार्टेड कम्पनी ने किया है और आज तक उस कम्पनी को कुल कितने धन का भुगतान किया गया है ;

(ख) क्या उस कम्पनी ने ही लद्दाख में भी विमान से सामान गिराने का काम किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस कम्पनी ने किया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) मेसर्स कलिंग एयरलाइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड को मई, १९६० से नेफा के इलाके में हवाई जहाज़ से सामान गिराने का ठेका दिया गया था। बहुत से अख़बारों में विज्ञापन के ज़रिये टेंडर मांगे गए थे और उसके बाद यह ठेका दिया गया था। इस कम्पनी को अब तक १,७८,३३,४१९ रुपये की रकम दी जा चुकी है।

(ख) लद्दाख़ में ५,३०,००० रुपये की लागत से करीब ७००० मन राशन-सामग्री को हवाई जहाज़ से भेजने के लिये टेंडर मांगे गए और उसके बाद इसी कंपनी को इस काम के लिये एक और ठेका दे दिया गया। इस बार हवाई जहाज़ से तिब्बती शरणार्थियों के लिये असैनिक सामान भेजा गया और यह काम जुलाई और नवम्बर १९६२ के बीच पूरा हो गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन पत्तन में गोदी श्रम योजना

†४२६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन पत्तन में गोदी श्रम योजना के कार्यान्वियन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** ५ नवम्बर, १९६२ से कोचीन गोदी कर्मचारी (काम विनियमन) योजना, १९५९ का कार्यान्वियन हो चुका है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में विमानों का निर्माण

†४२७. **श्री यलमन्दा रेड्डी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में नए विमान बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) किस प्रकार के विमान बनाए जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). जी हां। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड निम्न प्रकार के विमान बनाने का विचार रखती है :—

जैट ट्रेनर
आर्टिलरी औवज़र्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट
ऐनोऐटे हैलीकोप्टर

इन विमानों के निर्माण को हाल ही में स्वीकृति दी गई है। उत्पादन के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। आशा है कि १९६४ के उत्तरार्ध में प्रत्येक प्रकार के कुछ विमान उपलब्ध होंगे और अधिक मात्रा में उत्पादन १९६५ से आरम्भ होगा।

सैनिक अश्व-प्रदर्शन

†४२८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में देश के विभिन्न भागों में कितने घुड़-प्रदर्शन हुए; और

(ख) किन किन स्थानों पर हुए तथा उन के सम्बन्ध में अन्य ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जबलपुर और ग्वालियर में नये ट्रांसमीटर

†४२९. { **श्री रा० शि० पाण्डेय** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्बलपुर और ग्वालियर में शीघ्र ही नये ट्रांसमीटर लगा दिए जाएंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या क्षमता होगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां।

(ख) जब्बलपुर और ग्वालियर में ट्रांसमीटर की शक्ति क्रमशः २० किलोवाट मीडियम वेव और ५ किलोवाट मीडियम वेव होगी।

पंजाब में योजना के सम्बन्ध में प्रचार

†४३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में पंजाब राज्य में योजना के सम्बन्ध में प्रचार पर कितना व्यय हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: राज्यों में योजना के सम्बन्ध में प्रचार करना राज्य सरकारों का काम है। १९६२–६३ में जनवरी के अन्त तक पंजाब सरकार ने योजना के सम्बन्ध में प्रचार पर ४,५७,८४३ रुपये व्यय किए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने विभिन्न साधनों द्वारा यह मंत्रालय योजना के सम्बन्ध में प्रचार करता है। चूंकि व्यय राज्यों के लिए अलग से नहीं निर्धारित किया जाता, अतः इस प्रोग्राम के अन्तर्गत पंजाब में किए गए व्यय के अलग से आंकड़े देना सम्भव नहीं।

केरल में धान की उपज

†४३१. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुत्तानद (केरल) में धान की उपज ५० प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई योजना योजना आयोग को भेजी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या योजना आयोग की स्कीम को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** श्री जाह्न जैकब—जो कि कृषि से सम्बन्धित पुनर्गठित तालिका के सदस्य हैं—ने केरल में कुत्तानाद भाग के पुंजा क्षेत्रों के लिये स्थायी ग्रैनाइट के बांध बनाने की एक स्कीम २ और ३ फरवरी, १९६३ को हुई कृषि सम्बन्धी तालिका की बैठक के विचार के लिए प्रस्तुत की थी। इस योजना का उद्देश्य, जिस पर ६०० लाख रुपये की लागत का अनुमान था, वर्तमान गोल बांधों को ग्रैनाइट पत्थरों और सीमेंट के चूने से स्थायी बनाने का था।

चूंकि यह योजना स्थानीय थी, अतः श्री जैकब ने इसे कृषि सम्बन्धित तालिका के लिए कार्य सूची में शामिल करने के लिए बल नहीं दिया। यह योजना राज्य सरकार की सलाह से परीक्षण और आवश्यक कार्यवाही के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय को भेज दी गई है।

जबलपुर की गन कैरेज फैक्टरी में अग्निकांड

४३२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर की गन कैरेज फैक्टरी की एस्टेट में हाल ही में एक अग्निकांड हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस अग्निकांड के कारण व उससे हुई हानि और उसके शमन के लिए किये गये प्रयत्नों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण क्या सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस अग्निकांड के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

गन-कैरेज फैक्टरी जबलपुर की सम्पदा में, अस्थायी इमारत संख्या टी/१५ में स्थित, ब्लाक की दुकानों के, एक कक्ष में चल रहे होटल में ७ फरवरी, १९६३ को लगभग ५–४५ पर आग लग गई। इससे पहले कि उस पर काबू पाया जा सकता, आग एकदम साथ लगती दो दुकानों में फैल गई। आग लगभग एक घंटे में बुझाई जा सकी। सरकारी सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगभग एक हज़ार रुपया है, पर गैर सरकारी सम्पत्ति की क्षति इससे अधिक हो सकती है। आग बुझाते बुझाते एक आदमी को चोट भी आई। शीघ्र ही एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आयोजित की गई और पता चला कि इस आग के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट आफ इन्क्वायरी को आग के कारण के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। ख्याल किया जाता है कि आग किसी दुर्घटना-वश लगी। पुलिस अधिकारियों द्वारा आग के कारणों की जांच अभी सम्पूर्ण नहीं हुई है।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

३-३-६३ को इलाहाबाद स्टेशन पर हुई कथित रेल दुर्घटना

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैं ३ मार्च, १९६३ को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कथित रेलवे दुर्घटना की ओर, जिसमें लगभग ६० व्यक्ति घायल हुए, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : ३ मार्च, १९६३ को लगभग ८.३० बजे रात्रि में जब "३९० अप इलाहाबाद-नागपुर पैसेंजर" गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन से चल कर इलाहाबाद के पूर्वी "केबिन" से गुजर रही थी, यह पास में खड़े एक हल्के इंजन से टकरा गई जो कि इलाहाबाद यार्ड के पूर्वी छोर पर क्रास ओवर के समीप बाहर जाने वाली माल गाड़ी के साथ लगाया जाना था।

इसके कारण यात्री गाड़ी के दो पहिये पटरी से उतर गये।

इस भिड़न्त के कारण ४८ व्यक्तियों के चोट आयीं जिनकी घटना स्थल पर ही मरहम-पट्टी कर दी गयी। उन में से ३० को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया। और शेष १८ को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। १८ में से तीन को प्रारम्भिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

१५ व्यक्ति जो अस्पताल में हैं, उनमें से ६ को हल्की चोटें लगी हैं और उन्हें शीघ्र अस्पताल से भेज दिए जाने की आशा है। शेष ६ में से ३ की कहते हैं कि हड्डियां टूट गई हैं। शेष तीन का निरीक्षण किया जा रहा है।

दुर्घटना के शीघ्र बाद डिवीजनल सुपरिनटैंडैंट इलाहाबाद, रेलवे डाक्टर और डिवीजनल पदाधिकारी घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों की सहायता के लिए शीघ्र चले गये। उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर भी घटना स्थल को चले गये।

लखनऊ स्थित रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त इस दुर्घटना की जांच करेंगे।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या हम आशा कर सकते हैं कि सरकार इस मामले की जांच के लिये कदम उठायेगी, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैंने अभी कहा है कि रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त इस दुर्घटना की जांच करेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कुंजरू समिति के प्रतिवेदन के बाद अधिक रेलवे दुर्घटनायें हो रही हैं । क्या भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुंजरू समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गयी हैं ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : समिति की कई सिफारिशें मान ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । फिर भी दुर्घटनायें होती हैं । हम पूरी कोशिश करेंगे कि दुर्घटनायें न हों ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या समिति ने जो भविष्य में दुर्घटनायें रोकने के लिए सिफारिशें की हैं उनका कार्यान्वियन हो रहा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां ।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सैयद सुल्तान अहमद—जो वर्ष १९३९ में केन्द्रीय विधान सभा और १९४१ से १९४५ तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे—की ८३ वर्ष की आयु में अलीनगर पानी में २७ फरवरी, १९६३ को मृत्यु हुई ।

हमें इस मित्र की मृत्यु पर बहुत दुःख है । हम सब उनके शोकग्रस्त परिवार को अपना शोक व्यक्त करते हैं ।

सभा के सदस्य थोड़ी देर के लिए शोक व्यक्त करने के लिए खड़े हो जाएं ।

इस के पश्चात् सदस्य कुछ देर तक खड़े रहे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कोयला-खान बचाव (दूसरा संशोधन) नियम

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : मैं खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा ७ के अन्तर्गत दिनांक १९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२ में प्रकाशित कोयला-खान बचाव (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—८९९/६३]

श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड (संशोधन) नियम

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)**: मैं श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा २० की उपधारा (३) के

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्गत, दिनांक १६ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९६ में प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—८७३/६३]

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : श्री स्वर्ण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डों पर चर्चा आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड २, ३, १ और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, ३, १ और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९६३–६४ के लिये रेलवे आय व्ययक पर सामान्य चर्चा करेगी।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : संकट काल के समय में रेलवे कर्मचारियों का काम प्रशंसनीय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

रेलवे प्रशासन में अधिक त्रुटियों के लिये योजना आयोग उत्तरदायी है। योजना आयोग और रेलवे के समन्वय और आयोग का अभाव है। रेलवे प्रशासन के कार्य और आयोग की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी सही प्रयत्न नहीं किया गया है।

एक तो रेलवे मंत्रालय पहले ही कम लक्ष्य निर्धारित करता है। दूसरे वे लक्ष्य भी पूरे नहीं किए जाते। द्वितीय योजना में रेलवे ने जो कम अनुमानित लक्ष्य थे उन में से आधे भी पूरे नहीं किये। तृतीय योजना के पहले वर्ष में इन लक्ष्यों में १८० से २०० लाख टनों की कमी रही है। परिणाम स्वरूप उद्योग को बहुत धक्का लगा है। लगभग उद्योग ठप्प ही हो गया है। कोयले की परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। उस में तो संकट आ गया है।

कोयले की ढुलाई बहुत अधिक हुई है। सीमेंट, लोहा और इस्पात, कच्चा पटसन और चाय को ढुलाई वर्ष १९६१–६२ में बहुत कम हुई है। जो आश्वासन दिए गए थे और जो कुछ हम ने किया है उन में काफी अन्तर है।

रेलवे अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकती है। ऐसी अवस्था में रेलवे के लिये अपनी आय का एक भाग देना उचित नहीं है। जल स्कन्ध और सामग्री की बहुत कमी है। मूल्य ह्रास के लिए ८० करोड़ रुपए काफी नहीं हैं। रेलवे स्टाक की हालत इस समय बुरी है।

यहां तक कार्य संचालन का सम्बन्ध है, जहां हर एक चीज ठीक नहीं है। बड़ी लाइनों और मीटर गेज दोनों लाइनों पर माल गाड़ियों की रफ्तार कम हो गयी है। वैगनों के बार बार भरे जाने की संख्या में भी कमी हो गई है। इंजन खराब होने की संख्या में भी वृद्धि हो गई है। रेलवे दुर्घटनाएं अधिकतर खराब लाइनों के कारण हैं। रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण इतनी नहीं हैं।

रेलवे कर्मचारियों पर कार्य का भार अधिक पड़ता है। आप जितने आदमी चाहियें उतने आदमी नहीं रख रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी की छुट्टी हो भी तो वह कर्मचारियों की कमी के कारण छुट्टी नहीं ले सकता है।

रेलवे में चोरी को रोकने के लिये जो रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से हो रही है कुछ कार्यवाई की जानी चाहिए। इससे काफी हानि होती है। इस की वजह से ४ करोड़ रुपए का दावा है।

रेलवे के क्वार्टरों के किराए भी बढ़ाने चाहिएं। ये क्वार्टर बहुत पुराने हैं। इनके किराए बढ़ाने तो अनुचित हैं। दूसरे इन क्वार्टरों के आवंटन में पक्षपात नहीं होना चाहिए। रक्षित अभ्यंश जरूरतमन्द और उचित व्यक्तियों को दिया जाना चाहिये। इस में पक्षपात नहीं होना चाहिये।

अन्त में मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि "पी० टी० ओ०" और पासों की कर्मचारियों की सुविधाएं कम न की जाएं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा (पटना) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे का विशाल संगठन हमारे मुल्क के अर्थ-नैतिक जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी विशालता और इसकी अहमियत का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि संसार में इसका

दूसरा स्थान है। इसकी अपनी एक दुनिया है जिस में बारह लाख कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेलवे की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि इससे भारत सरकार को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है बल्कि इसकी अहमियत और इसकी विशेषता और प्रधानता इसलिए भी है कि यह एक आधार है हमारी योजना की सफलता का और साथ ही साथ औद्योगिक प्रगति का भी। हर साल भारतीय रेलों से २०८ करोड़ की वस्तुयें खरीदी जाती हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी सदस्यों की पैनी दृष्टि रेल विभाग पर जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि जनसंख्या, विकास कार्यक्रम, उत्पादन और योजनाओं के बढ़ते हुए बोझ के अनुपात से रेलवे में एफीशेंसी, प्राडक्टिविटी, [illegible] सिटी, बढ़ोतरी आवश्यक है। इससे हमारी योजना को कुछ ठेस लगेगी।

मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज वह इतनी बड़ी विशाल संगठन की पेचीदा समस्याओं को सुलझाने में शीघ्रता कर रहे हैं। मैं इस बात की भी प्रसन्नता जाहिर करती हूं कि भारत जैसे गरीब देश में पैसेंजरों का किराया उन्होंने नहीं छुआ है। रुपये की बढ़ती हुई आवश्यकता में वर्ल्ड बैंक से १४५ करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त करना लाजिमी है। जहां तक जनरल रेवेन्यूज के मद में डिविडेंड के इजाफे और उसके साथ साथ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड की बढ़ोतरी का सवाल है, उसका मैं स्वागत करती हूं। इसका कारण यह है, जैसे रेल मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में संकेत किया था, कि प्रति वर्ष रेलों का कैपीटल बढ़ता जा रहा है और अगले साल तक वह शायद २१०४ करोड़ तक पहुंच जाये।

जहां तक फ्रेट के सरचार्ज के रेट में वृद्धि का सवाल है जो कि पांच से दस परसेंट की गई है और उसके साथ साथ पार्सलों पर एक रुपये में दस नए पैसे की वृद्धि की गई है, वह मुझे कुछ माकूल नहीं दिखाई देती। यों रुपये की जब आवश्यकता होती है और उसको देखते हुए जब रेट बढ़ाया जाता है। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार के दो विभाग हैं, एक लेबर और एक रेलवे। एक तरफ रेलवे फ्रेट के सरचार्ज में वृद्धि हो रही है और दूसरा तरफ अभी हाल ही में इस सदन में नंदा जी ने वक्तव्य देते हुए यह अंदेशा जाहिर किया था कि हमारी चीजों के दाम अधिक बढ़ने न पायें और इसके साथ ही साथ उन्होंने प्लानिंग कमिशन के ठोस इरादे का भी जिक्र किया था कि कोस्ट आफ लिविंग को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और प्राइस लाइन को भी होल्ड किया जाएगा। ये दोनों ही परस्पर विरोधी बातें हैं। ये दोनों एक साथ चल नहीं सकती हैं। इस पर ध्यान देना हमारे रेल मंत्री महोदय का फर्ज था। इससे दाम बढ़ेंगे ही।

इस चीज का तजकिरा रेल मंत्री जी के वक्तव्य में और बजट स्पीच में इस का संकेत नहीं मिलता कि अगले दिनों के बढ़ते हुए बोझ और जिम्मेदारियों का हल कैसे निकाला जाएगा। मैं कहना चाहती हूं और माननीय सदस्यों को यह बात मालूम भी है कि आए दिन रेलवे की नाकामियों की शिकायत हम लोगों के सामने आती रहती है। समय पर रेलवे द्वारा कोयला और पिग आयरन आदि उद्योगों तक नहीं पहुंचने से, उद्योगों की प्रगति में धक्का लगता है और कई उद्योग तो बन्द तक हो जाते हैं जिससे मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या भी खड़ी हो जाती है। मुझे आशा है कि वर्ल्ड बैंक की स्टडी टीम जो हार्वर्ड यूनिवर्स्टी के प्रोफेसर एडवर्ड मासन (Prof. Edward Mason) के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी सिफारिशें कामयाब साबित होंगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि तीसरी योजना की १४५ करोड़ की अतिरिक्त रकम तथा डिप्रिसिएशन की मद में दस करोड़ की राशि तृतीय योजना से जो उन्होंने निकाली है वह हमारे रेल मंत्री

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

के हाथों को मजबूत करेगी, और हमारा रास्ता साफ करेगी । इसके साथ ही साथ मैं आशा करती हूं कि रेलों में एफिशेंसी प्राडक्टिविटी को बढ़ायेंगे और उसके जरिये इकोनोमी भी करने की कोशिश करेंगे । इससे देश की आर्थिक हालतो में सुधार होगा और रेलवे की नाकामियों के चलते जो चन्द कठिनाइयां उठी हुई हैं उस में सुधार हो सकेगा ।

अभी चन्द दिन पहले शाहनवाज खां साहब जो रेलवे के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनका एक पत्र मेरे पास आया था । उस में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि रेलवे में बिना टिकट यात्रियों की बढ़ोतरी को रोकने का प्रयास किया जाय । मैं ने इसका स्वागत किया । देश की हर दिशा से इसकी शिकायत भी होती है कि बिना टिकट यात्रियों की भरमार रेलवे में बढ़ती जा रही है । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि यदि रेलवे में किसी तरह का सुधार लाना है तो उसका आधार हमारी लेबर पालिसी भी है । जो लाज हम लेबर के वास्ते बनाते हैं, वे यदि उचित हों, समयानुकूल हों, तो जो लोग रेलों के अन्दर काम करते हैं, वे इस तरह की चीजों में सुधार ला सकते हैं । पार्सलों और गुड्ज में जो चोरियां होती हैं, वे रेलवे की पुलिस और कर्मचारियों का जो गन्दे तरीके का गठबन्धन होता है, उसी के फलस्वरूप होती हैं । मैं चाहती हूं कि इन तमाम चीजों को रोकने के लिए एक नया कदम उठाया जाना चाहिये । रेल मंत्री जी का यह कर्तव्य है कि नई दिशा में वह कदम उठायें । वहां पर जो अनेक यूनियंज हैं, उन में एकरूपता लाई जाए और उनके सामने एक नया प्रोग्राम रखा जाए ।

इसके साथ साथ व्हिटले काउंसिल्ज को वहां पर चालू किया जाए और सहयोगी समितियों को तीव्र गति से मजबूत बनाया जाए ।

वेलफेयर फंड का एक अच्छा हिस्सा वर्कर्ज एजुकेशन पर भी खर्च किया जाना चाहिये । रेलवे के कर्मचारियों की कठिनाइयों और उनकी दिक्कतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये । रेलवे मंत्री ने, इमर्जेन्सी के मौके पर रेलवे कर्मचारियों ने जो देशभक्ति का परिचय दिया है, उस की दाद दे कर उन के ऊपर एक अच्छा असर डाला है और उस से मैं बहुत प्रसन्न हूं । लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद उन लोगों की जो दिक्कतें हैं उन की तरफ भी रेलवे मंत्री महोदय को अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

अन्त में मैं एक बार फिर रेलवे मंत्री को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने बजट की तजवीजों को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे अपने योग्य नेतृत्व में रेलों की खामियों, त्रुटियों और कठिनाइयों को शीघ्र से शीघ्र सुधारेंगे और यह सदन उन के इस महान प्रयास में हृदय से सहयोग देगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : रेलवे को अधिक आय हुई है और रेलवे ने काम भी अच्छा किया है । इस के लिये कर्मचारी और मंत्रालय बधाई के पात्र हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि रेलवे ने जो अच्छा काम किया है उस की हम प्रशंसा करते हैं, तथापि जो रेलवे में त्रुटियां हैं उन्हें दूर करना है। कल्याणकारी कार्यवाइयों की ओर ध्यान देना है। यात्रियों की और रेलवे से माल भेजने वालों की असुविधाएं भी दूर की जानी चाहिएं। रेलवे को भ्रष्टाचार के दूर करना है।

सामान्य राजस्व में रेलवे का अंशदान लगभग १०० करोड़ रुपए होना चाहिए। लाभांश में ४¹/₄ प्रतिशत से ४¹/₂ प्रतिशत तक की वृद्धि का करना न केवल पूर्ण रूप से उचित है बल्कि रेलवे मंत्री महोदय को इस को बढ़ा कर ६ प्रतिशत करने का लक्ष्य होना चाहिये। रेलवे हमारा सब से अच्छा और बड़ा धन्धा है जिस को एकाधिकार प्राप्त है और सरकार से पूर्ण समर्थन मिलता है। उसे कम से कम ६ प्रतिशत लाभांश देना चाहिये। फिर भी अतिरिक्त अंशदान भाड़ों और किरायों से नहीं प्राप्त किया जाना चाहिये।

जहां तक रेलवे के प्रशासन और कार्यक्षमता का सम्बन्ध है मेरे विचार में इस की पूरी जांच की जानी चाहिये। इस जांच पड़ताल के लिये एक उच्च सत्ता प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाए। इस में प्रादेशिक स्तर पर वितरण की व्यवस्था की, जैसा कि वह इस समय है, पुनः जांच की जानी चाहिये। प्रादेशिक वितरण किसी तर्कसंगत आधार पर तथा विकास की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिये।

मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि रेलवे को ऐसे खंडों में बांटा जाये जो राज्यों की हदों के अनुसार हों। इस समय यह भी देखना चाहिये कि वर्तमान विकास कार्यों के अनुसार खंडों का पुनर्गठन कैसे किया जाये। कुछ खंड बहुत बड़े हैं और उन के महा-प्रबन्धक अपने कर्मचारियों के साथ कोई निजी सम्पर्क नहीं रख सकते।

मीटर गेज प्रणाली के प्रश्न पर पुर्नविचार होना चाहिये और इस काम के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये, जो इस बात का निर्णय करे कि क्या मीटर गेज को कायम रखा जाये या नहीं। पहले जो मीटर गेज खंड बनाने का प्रस्ताव था, उस पर पुर्नविचार करना चाहिये ताकि यह देखा जा सके कि इस की आवश्यकता है या नहीं।

महाप्रबन्धकों और विभागीय अधीक्षकों को कम से कम चार पांच साल तक अपने डिवीजनों में रखना चाहिये ताकि उन पर वहां के काम के अच्छे होने का उत्तरदायित्व डाला जा सके। उन्हें महीने में कम से कम दो दिन सैलूनों को छोड़ कर साधारण डिब्बों में यात्रा करनी चाहिये, ताकि वे लोगों की कठिनाइयों को अनुभव कर सकें।

मैं श्री एंथनी से पूर्णतया सहमत हूं कि कर्मचारियों की कमी है। ड्राइवरों को लगातार १८ घंटे काम करना पड़ता है। स्टेशन मास्टरों और ड्राइवरों की संख्या कम नहीं होनी चाहिये।

कार्यक्षमता का एक और बड़ा कारण सचिवालय कर्मचारी हैं। मैट्रीकुलेटों को ले लिया जाता है, जो कि कुछ नहीं जानते। उन के प्रशिक्षण का कोई प्रबन्ध नहीं है। उन्हें कम से कम १ वर्ष का प्रशिक्षण देना चाहिये और उसके बाद उन्हें एक परीक्षा में पास होना चाहिये।

इंजीनियरों में एक जैसा काम करने वालों के लिए दो श्रेणियां रखना—श्रेणी २ और श्रेणी १—यह उचित नहीं है।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

मैं रेलवे दुर्घटना जांच समिति की अधिकांश सिफारिशों का समर्थन करता हूं। किन्तु एक से सहमत नहीं हूं और वह प्रत्येक डिवीजन में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के बारे में है। मेरे विचार में यह सिफारिश गलत है। सुरक्षा के काम का उत्तरदयित्व विभागीय अधीक्षक पर होना चाहिये। कुंजरू समिति को यह सिफारिश पुर्नविचार के लिए पुनः निर्दिष्ट की जानी चाहिये।

कार्मिक संघों के बारे में मैं एक बात कहूंगा और वह यह है कि ये उचित आधारों पर नहीं चल रहे। इन के भ्रष्ट नेताओं को प्रशासन से और भी प्रोत्साहन मिलता है।

रेलवे प्रशासन को सड़क यातायात के विकास का विरोध छोड़ देना चाहिये। सड़क यातायात के सम्बन्ध में मसानी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिये। अन्तर्राज्यीय सड़क यातायात बिल्कुल खुला होना चाहियें।

†**श्रीमती विमला देवी** (एलुरू) : रेलवे कर्मचारियों ने प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो देश भक्ति दिखाई है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रेलवे प्रशासन में जो अपव्यय और भ्रष्टाचार हैं, उसको रोकने के लिए सरकार को इस आपातकाल में उपाय सोचने चाहिये।

रेलवे विभाग का यह ख्याल गलत है कि कर्मचारियों की संख्या कम करने से वेतनों में बचत की जा सकती है। किन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण इंजनों और डिब्बों की उचित देखरेख नहीं हो सकेगी।

मरम्मत के डिपोओं में महत्वपूर्ण सामान की कमी है। यह आवश्यक है कि सब वर्कशापों को इंजनों और डिब्बों के लिए फालतू पुर्जे बनाने के कारखानों में परिवर्तित किया जाए, ताकि रेलवे विभाग को निजी उद्योगों से सामान न लेना पड़े।

चूंकि इंजनों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं हो रही, कोयला का उपभोग बहुत बढ़ गया है। अच्छी किस्म का कोयला संभरित नहीं किया जा रहा। इसके अतिरिक्त कोयले को बिना तोड़े इंजनों में डाल दिया जाता है। बताया जाता है कि प्रति दिन हर एक ठेकेदार ४ लारियां कोयले की भर कर ले जाता है। इन सब चीजों को रोकना चाहिए, अच्छा कोयला संभरित करना चाहिये और चोरियां रोकी जानी चाहियें। ऐसा करने से करोड़ों रुपया बच जायेगा।

रेलवे के डिपुओं में करोड़ों रुपये का माल होता है। इन की उचित देखरेख नहीं होती और न इन के लेखे ठीक रखे जाते हैं। समय समय पर जांच नहीं होती। यदि यह जांच अच्छी तरह की जाये, तो बहुत सा रुपया बच सकता है।

जब ऊंचे पदाधिकारी और नेता स्टेशनों को देखने आते हैं तो इन्हें बहुत सजाया जाता है। ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे और भी रुपया बचाया जा सकता है।

छोटी लाइनों की गाड़ियां घाटे पर चल रही है। उन्हें या तो बन्द कर देना चाहिये या मीटर या बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर देना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

निरीक्षण पदाधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है । इन के स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिये ।

मुझे हर्ष है कि इस वर्ष किराये नहीं बढ़ाये गये । किन्तु सुविधाओं के लिए जो ३ करोड़ रुपये रखे गये हैं, वे पूरा खर्च नहीं किये जा रहे हैं ।

ऐसे सैकड़ों स्टेशन हैं जहां लोगों को धूप और गरमी से बचाने के लिए शेड नहीं है । तीसरे दर्जे के डिब्बों में बहुत भीड़ रहती है, जिसके कारण यात्री छतों पर सफर करते हैं और दुर्घटनाओं के कारण मारे जाते हैं ।

महिला डिब्बों को अधिक सुरक्षित बनाया जाये और तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाये जायें ।

यह कहना ठीक नहीं कि रेलवे वह सभी सामान ढोने के योग्य है जो ढोने के लिये उन्हें दिया जाता है । पश्चिम गोदावरी में चावल के परिवहन के लिए डिब्बों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था नहीं की गई ।

रेलवे मंत्रालय को आंध्र, केरल और मैसूर की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । आंध्र राज्य ने कई बार कई लाइनों की मांग की है । उन में से कोई भी नहीं बनाई गई । सारे आंध्र को एक ही खंड के अन्तर्गत ले आना चाहिये । खंडों का पुनर्गठन इस आपातकाल के समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हें किसी भी समय भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ सकता है ।

विद्युतीकरण श्रमिकों की छंटनी नहीं की जानी चाहिये ।

†**डा० क० ल० राव** (विजयबाड़ा) : अनुमान लगाया गया है कि अगले १० या १२ वर्षों में माल का परिवहन ५० करोड़ टन तक हो जायेगा । इस के लिए ५००० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । हमें यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या और अधिक माल परिवहन दोनों को पूरा करना होगा । इस समस्या के हल के लिए एक विस्तृत रेलवे योजना बनाने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

एक रेलवे खंड का विस्तार ३००० से ३५०० मील तक का होना चाहिये । इस स्तर से देखते हुए मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे बहुत बड़े हैं । इस समय खंडों का वितरण असमान है । इसलिए रेलवे बोर्ड को खंडों का पुनर्गठन करना चाहिये ।

रेलवे के इंजीनियर हमारे सब से अधिक अच्छे इंजीनियरों में से हैं । किन्तु खेद है कि इन के लिए विशेष योग्यता प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है । उनको जल्दी जल्दी स्थानांतरित न किया जाये परन्तु अधिक समय तक एक ही स्थान पर रखा जाय ताकि वे समस्याओं की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लें ।

रूपांकन कार्यालय शिमले में है और अनुसंधान संगठन लखनऊ में है । उन्हें एक ही स्थान पर होना चाहिये । अनुसंधान कर्मचारी दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल में भी सहायता करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ल० राव]

यदि सामान की टूट फूट को रोका जा सके, तो कई करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। जो इस सामान को उठाते या बरतते हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

रेलवे मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, जैसे सिंचाई और विद्युत्, के बीच जिनका राजस्थान नहर और नागार्जुन सागर परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं से सम्बन्ध है, सम्पर्क स्थापित होना चाहिये। यह देखने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिये कि इन परियोजनाओं के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त उत्पादन को ढोने के लिये कितनी अतिरिक्त रेलवे लाइनों की आवश्यकता है। इस समय विजयवाड़ा से खाद्यान्न बाहर ले जाने में संकट हो रहा है।

दिल्ली नगर बहुत विस्तृत हो रहा है। इस के लिए भूमिगत रेलवे बनाना अब अत्यावश्यक हो गया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : यह याद रखने योग्य है कि रेलवे बजट में रैलवे वित्त को संतुलित करने का प्रयत्न किया गया है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रेलवे मंत्रालय का काम बहुत अच्छा रहा है। रेलवे मंत्री ने रेलवे की आय को प्रतिरक्षा प्रयत्नों और प्रतिरक्षा कार्यों पर खर्च करने की अधिक उत्सुकता दिखाई है।

चालू वर्ष में रेलवे के कार्य को हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास के रूप में देखना है। खाद्यान्न के सम्बन्ध में हम अपेक्षित पांच प्रतिशत वृद्धि नहीं कर सके हैं। राष्ट्रीय आय में भी ३ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। इन दो पहलुओं के कारण रेलवे पर अधिक जोर नहीं दिया जा सका। यह आशंका है कि तृतीय योजना के आरम्भ में जो कुछ हुआ है, वह भविष्य में दोबारा न हो।

मैं वस्तु भाड़े में वृद्धि का स्वागत करता हूं। किन्तु एक तदथ वृद्धि के स्थान पर वस्तु भाड़े की दरों की एक वैज्ञानिक नीति होनी चाहिये। इसके लिये समय समय पर व्यय की जांच होनी चाहिये।

विकास निधि में दी जाने वाली रकम को पूरा करने के लिए भावी व्यय के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। इसलिए यह बात समझ में आ सकती है कि रेलवे मंत्रालय १५ करोड़ की बजाय ३१ करोड़ रुपये वार्षिक अधिक रखे।

मैं अधिक राशियों की मांग को समझ सकता हूं और यह भी समझता हूं कि विकास कार्य के लिए १४५ करोड़ रुपये दिये गये हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह रकम या अधिभार से प्राप्त होने वाली रकम उचित रूप से प्रयोग की जायेगी। हम अनुभव करते हैं कि रेलवे मंत्रालय में मितव्ययता की बहुत गुंजाइश है।

यद्यपि रेलवे की आय को व्यय के बराबर रखना वांछनीय है, ऐसा मध्यस्थता के ढंग पर नहीं किया जाना चाहिये। समय पर लागत के अध्ययन में अभाव की दशा में वस्तु भाड़ा आदि में वृद्धि करना अच्छी और लाभप्रद नीति नहीं है। दरों में परिवर्तन युक्तियुक्त आधार पर किया जाना चाहिये।

यद्यपि हमें अधिभार लगने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये, हमारी यह मांग पूरी की जाये कि मितव्ययता की दिशा में ईमानदारी से क़दम उठाया जाये। कार्यकरण के व्यय में मितव्ययता की

†मूल अंग्रेजी में

गुंजायश है। रेलवे की आय को विकास कार्य पर व्यय किया जाये। कुशलता अधिक की जानी चाहिये। चोरी रोकने के लिये क्रियात्मक कदम उठाये जाने चाहियें।

पूर्व रेलवे में मामलका में एक हाल्ट बनाया जाये। पीर पेंटी में भी एक छोटा सा स्टेशन बनाया जाना चाहिये। स्टेशन न बनने के कारण वहां लगभग प्रत्येक गाड़ी से ४० यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। मैंने जब रेलवे विभाग को इस सम्बन्ध में लिखा तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो स्टेशन में नियुक्त है इससे अधिक कार्य नहीं कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं की जा रही है।

हम माननीय मंत्री के अभिप्राय से सहमत हैं। तथापि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। मेरे विचार से रेलवे इतनी कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही है जितनी कुशलता से उसे किया जाना चाहिये।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं रेलवे मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि रेलवे के संचालन में पहिले वर्षों की अपेक्षा बहुत कुशलता बढ़ी है। यह आशा की जाती है कि रेलवे प्रशासन इस सम्बन्ध में अधिक तेजी से प्रयत्न करेगा। इस ओर अधिक ध्यान दिया जाये ताकि दुर्घटनायें लगभग समाप्त हो जायें।

रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग में पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। इससे अधिकारियों में बहुत असन्तोष है। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे।

लम्बे मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों में जैसे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस कारीडोर सिस्टम अधिक सुविधाजनक है। कम से कम गर्मी के महीनों में कन्वेन्शल डिब्बों का प्रयोग किया जाये।

रेलवे के डिब्बों में संभरित किये जा रहे खाद्यान्नों के बारे में बहुत असन्तोष है। निरीक्षण पदाधिकारियों से यह कहा जाना चाहिये कि वे यात्रियों से मिलें और उनकी शिकायतों पर ध्यान देवें।

अब मैं रायलसीमा क्षेत्र को लेता हूं। रायलसीमा खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा इलाका है। वहां अभी भी रेलवे लाइन नहीं बिछायी गयी है। रायलसीमा में खनिज पदार्थों की मात्रा काफी है। १२ वर्ष पूर्व नंडियाल से कड़वा तक एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव किया था जिसे अभी तक नहीं बिछाया गया है। यदि वहां रेलवे लाइन बिछायी जा सके तो उससे काफी आय हो सकती है।

एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों में बहुत भीड़ भाड़ होती है। इन गाड़ियों में बीच के स्टेशन पर उतरना और चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। मेरा सुझाव है कि रायलसीमा क्षेत्र में रानीगुंता और गुंटकल के बीच शटल गाड़ियां चलायी जायें।

मैं रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में तालुक के मुख्य कार्यालयों में भी स्टेशनों में पिछले पन्द्रह वर्षों में जरा भी सुधार नहीं हुआ है।

राजमन्देर और नन्दलूर में ऊपरी पुल बनाये जायें। उनके अभाव में वहां की सड़कों पर यातायात कई घंटे रुका रहता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

2981 (Ai) LSD—5.

†श्री मलाईछामी (पेरियाकुलम) : चीन के आक्रमण के समय रेलवे ने जो काम कर दिखाया है उससे पता लगता है कि इसके विकास की कितनी आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता में भी इसका बहुत योगदान है। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना चाहिये अर्थात् दुर्घटनाओं से बचाव करने वालों को इनाम देने चाहिये। इससे दुर्घटनायें कम होंगी।

परिवहन के क्षेत्र में रेलवे सर्वोत्तम साधन है किन्तु माल और सवारियों के यातायात की दृष्टि से अभी इसकी सेवा अपर्याप्त है।

माल के यातायात को प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि आयोजित कार्यक्रमों के कारण कृषि और उद्योग का उत्पादन बढ़ गया है और उसके परिवहन में कठिनाई अनुभव होती है। यदि रेलवे परिवहन सुरक्षित और बचत से हो तो आर्थिक दृष्टि से लाभकर होगा।

सवारियों के सोने के डिब्बों में तीन की बजाय दो बिस्तर की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि यह व्यवस्था असुविधाजनक है।

दक्षिण रेलवे को जो हानि हो रही है उसे देहात तक रेलें पहुंचा कर और बिजली से रेलें चला कर पूरा किया जा सकता है।

मार्गस्थ स्टेशनों पर भवनों और गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था होनी चाहिये।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में यदि मदुरई-बोडी लाइन के साथ गुडालूर-थेनी लाइन का सम्पर्क जोड़ दिया जाय तो इस रेलवे को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है अतः मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि इस योजना में इसे किया जाये। तिनेवेली-रासकुमारी लाइन भी जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है जल्दी तैयार होनी चाहिये और पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के लिए उसे कूर्टालम जैसे स्वास्थ्य-वर्धक स्थान से मिला देना चाहिये। रेलवे में अधिकाधिक कुशलता पैदा करनी चाहिये और उसे लाभकारी बनाना चाहिये।

†श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : मैं रेलवे बजट की सराहना करता हूं, किन्तु अभी रेलवे में बहुत सुधार अपेक्षित है।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रेलवे सम्पत्ति की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं की जाती। डिब्बों में बिजली की वस्तुएं ही नदारद होती हैं।

भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं विभागीय व्यवस्था के पक्ष में हूं किन्तु उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

दक्षिण की रेलवे और विशेषतः मैसूर राज्य के सम्बन्ध में जहां से मैंगनीज़ और लोहे का निर्यात होता है मुझे यह कहना है कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने की योजना बनानी चाहिये। सरकार ने बंगलौर से मिराज तक रेलवे लाइन बनाने का निश्चय किया है। यह लाइन बड़ी होनी चाहिये। हासपेट और संदूर से खनिज पदार्थ पश्चिमी तट के पत्तनों पर लाने की आवश्यकता है और वहां वस्तुतः छोटी लाइन बनाई जा रही है जो कि उपयुक्त नहीं है। हसन और मंगलौर के बीच बड़ी लाइन बनानी चाहिये क्योंकि मंगलौर ही एक ऐसा पत्तन है जहां से इस प्रदेश के सारे खनिज पदार्थों का निर्यात किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में जो नये खनिज पदार्थ मिले हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए लेट्टूर और हरिहर की लाइन की बहुत आवश्यकता है जिसके लिए मैसूर सरकार बहुत समय से अनुरोध कर रही है।

माननीय मंत्री ने बताया है कि श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और श्रमिकों ने श्रेयस्मय कार्य किया है। जो श्रमिक संघ काम कर रहे हैं उनके कार्यों में भले ही त्रुटियां हों परन्तु सब के सिद्धान्त श्रेष्ठ हैं और वे श्रम व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कुछ श्रमिक अस्थायी रखे जाते हैं और उन्हें स्थायी बनाने के बारे में जांच करना चाहिये।

यह बात बहुत प्रभावपूर्ण है कि श्रमिकों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यह बहुत लाभलायक है क्योंकि इससे वे जान सकेंगे कि प्रबन्धकों के साथ उनके सम्बन्ध कैसे होने चाहियें और रेलवे के दक्षतापूर्ण संचालन का उत्तरदायित्व केवल बड़े अधिकारियों का ही प्रत्युत्त उनका भी है।

मैं समझता हूं कि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और सुदृढ़ कार्यवाही से रेलवे मंत्री रेलवे रेलवे में उपयुक्त सुधार ला सकेंगे।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरे सामने रेलवे बजट आया तो मैं ने देखा कि उसमें पैसिंजर फेयर नहीं बढ़ाया गया है। इस के लिए मैं सब से पहले रेलवे मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इमरजेंसी के नाम पर जैसे और बहुत से टैक्स बढ़ रहे हैं उसी तरह वह भी पैंसिजर फेयर बढ़ा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

साथ साथ जिन रेलवे कर्मचारियों ने इस संकट कालीन परिस्थिति में असम में और नेफा में जैसा अच्छा और जितना ज्यादा काम किया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं मैं उनका अभिनन्दन करता हूं।

लेकिन मैं ने देखा कि रेलवे पारसल्स पर और गुड्स पर भाड़ा बढ़ाया गया है तो मुझे लगा कि रेलवे मंत्री भी शायद फाइनेन्स मिनिस्टर के कहने में आ गए होंगे। और इसलिए वे चार करोड़ जनरल एक्सचैकर में दे रहे हैं। मैं इसके बारे में यह नहीं कहना चाहता कि भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन भाड़ा बढ़ने के साथ साथ जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।

रेलवे डिपार्टमेंट ने जो फिगर्स का ढेर दिया है, उसको तीन, चार, पांच रोज तक स्टडी करने के बाद भी मैं जहां का तहां पर अपने को पाता हूं। इतने फिगर्स को देख कर यह शंका होती है कि कहीं इतने फिगर अपने खराब काम को छिपाने के लिए तो नहीं दिए गए हैं।

इस साल जो ५९९·६९ करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है उसमें से केवल २० करोड़ अपर क्लास से होगी और १५२·४६ करोड़ तीसरे दरजे से होगी। लेकिन मैं ने देखा है कि तीसरे दर्जे के पैंसिजर्स को क्या अमैनिटीज मिलती हैं। अभी भी तीसरे दरजे में बड़ी भीड़ होती है। मुझ से एक पैंसिजर ने पूछा कि आप सिनेमा में टिकट लेते हैं तो आपको सीट मिलती है, आप नाटक में टिकट लेते हैं तो आपको सीट मिलती है, अगर आप स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट का टिकट लेते हो तो आपको जगह मिलती है लेकिन मैं ने पैसा खर्च करके रेल का टिकट लिया है लेकिन मेरी बूढ़ी मां नीचे खड़ी है। उसको

[श्री बड़े]

जगह नहीं मिलती । आप हाउस में जाकर क्या करते हैं, क्या आप केवल फिगर्स को अटैक करते हैं या जो हमको जगह नहीं मिलती उसके लिए भी आवाज उठाते हैं । मैं ने कहा कि मैं हर साल तीसरे दरजे के पैसिंजर्स के लिए आवाज उठाता हूं लेकिन कुछ नहीं किया जाता । आज आप देखें कि तीसरे दरजे में इतनी भीड़ होती है कि पैसिंजर्स को खड़े खड़े जाना पड़ता है, उनको खड़े खड़े जाना पड़ता है । उनको संडास के पास बैठ कर ग्यारह ग्यारह घंटे तक सफर करना पड़ता है । इस तरफ रेलवे मंत्रालय का कोई ध्यान नहीं है ।

पहले दरजे में जो लोग यात्रा करते हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मैं ने उस पैसिंजर से कहा कि वे लोग ज्यादा पैसा देते हैं इसलिए उनको ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो उसने कहा कि पैसा तो हम देते हैं और उनको हमारे खर्चे से सुविधाएं मिलती हैं ।

इसके बाद उस पैसिंजर ने कहा कि आप सोशलिस्ट पैटर्न लाना चाहते हो, क्लास-लैस सोसाइटी लाना चाहते हो, तो फिर यह पहला दरजा, दूसरा दरजा और तीसरा दरजा क्यों रखते हो । क्या मेरे पास पैसा कम है इसलिए मैं तीसरे दरजे का हो गया ? और जो ब्लैक मारकेटिंग करके पैसा कमा लेता है, या जो बड़ा आफिसर है और जिसको तीन तीन हजार तनख्वाह मिलती है और जिसको बड़े आदमी का लड़का होने के कारण पढ़ने की ज्यादा सहूलियत मिल गयी वह पहले दरजे का हो गया । उसने कहा कि हम गरीब हैं इसलिए हम को तीसरे दरजे का समझा जाता है । आज ये पहले, दूसरे और तीसरे दरजे क्यों रखे गए हैं । क्यों नहीं एक क्लास रखा जाता, यह उसने मुझ से पूछा ।

इसके अतिरिक्त मैं ने खंडवा से अजमेर तक और दिल्ली तक देखा है कि जो चाय तीसरे दरजे के पैसिंजर्स को दो आना देने पर मिलती है उसका स्वाद गोमूत्र जैसा होता है ।

एक माननीय सदस्य : गोमूत्र का अनादर न करिए ।

श्री बड़े : माननीय सदस्य मेरे सिमिली और मैटाफर को समझे नहीं । मैं ने उसको गोमूत्र की तरह इसलिए कहा कि उसका स्वाद पजैंट होता है । दो आने देने के लिए बाद भी उस गरीब आदमी को ऐसी चाय मिलती है । उस पैसिंजर ने हम से पूछा कि आप हाउस में जा कर ये बातें नहीं कहते । मैं ने कहा कि हम हर साल चिल्लाते हैं लेकिन वह सारा का सारा अरण्य रोदन साबित होता है, ए क्राई इन वाइल्डरनैस होता है ।

मीटर गेज में आपने रतलाम से इन्दौर तक स्लीपिंग कम्पार्टमेंट दिया है । लेकिन उसकी सीटों पर सोने वाले का पैर बाहर निकल जाता है । बैंचेज छोटी हैं । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का स्लीपिंग कम्पार्टमेंट देने से क्या लाभ है । मैं समझता हूं कि यदि पैसिंजर्स को उचित सुविधाएं दी गयीं तो इस इमरजेंसी में जनता का सरकार पर विश्वास हो जाएगा और लोग कहेंगे कि कांग्रेस शासन में हमको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं । लेकिन हम देखते हैं कि तीसरे दरजे के मुसाफिरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । और हर साल वैसा ही बजट पेश कर दिया जाता है ।

इसके बाद मैं ने लासेज के बारे में कहा । उसके फिगर दिए गए हैं । लेकिन हमने पी० ए० सी० की रिपोर्ट में देखा है कि रेलवे को १९५७–५८ में .६ करोड़ का लास था, सन् १९५८–५९ में .६ करोड़ का लास था, १९५९–६० में .८ करोड़ का लास था, १९६०–६१ में .८ करोड़ का लास था, और १९६१–६२ में .११ करोड़ का लास था । ये चीजें पी० ए० सी० के सामने आती हैं कि कभी २९ वैगन्स मिसिंग हैं, रेलवे के सामान की चोरी हो जाती है । कभी एक जीप की चोरी हो जाती है और उस का पता नहीं लगता । तो यह लास बढ़ता जाता है ।

सिक्योरिटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे कम्पार्टमेंट में सी० आई० डी० का एक बड़ा अफसर शराब पीकर बैठा था । मैं ने उसकी शिकायत की, एक लेडी ने शिकायत की और टी० टी० ई० रमेश गुप्ता ने शिकायत की लेकिन कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि वह एक बड़ा पुलिस का अफसर था । यह सीक्योरिटी हमको कम्पार्टमेंट्स में मिलती है ।

श्री कछवाय (दवास) : उसका नाम क्या है ?

श्री बड़े : नाम मैं नहीं बतलाना चाहता ।

यह हालत रेलवेज में सिक्योरिटी की रहती है । सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस आफिसर रहते हैं यदि वही लोग इस तरह से गैर जिम्मेदारी बरतें और अत्याचार करने लग गये तो रेलवेज में क्या खाक सिक्योरिटी होगी ?

रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जब तक थर्ड क्लास के यात्रियों की सुख सुविधा और सुरक्षा आदि का पूरा इंतजाम नहीं करेगा तब तक जनता में विश्वास पैदा नहीं होगा ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि वैस्ट निमाड़ और इंदौर के अंदर डेवलप्ड एरिया में मीटर गेज चलती है और उस के पास में और उस के साथ एक दूसरी रेलवे लाइन के लिए मैं ने बहुत कोशिश की और कहा सुना कि यहां भी रेलवे होनी चहिए लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं की गई है । पूर्व और पश्चिम में १००, १०० मील तक रेलवे नहीं है । उस में नर्मदा वैली रेलवे हो सकती है जैसे कि ताप्ती वैली रेलवे है और खंडवा टु दाहौत तक की जा सकती है ।

रेलवे मंत्रालय ने पार्सल का फ्रेट बढ़ा दिया है लेकिन पार्सल इंदौर कब पहुंचता है इसकी रेलवे को कोई चिंता नहीं है । दिल्ली से इंदौर कितने दिन में पार्सल पहुंचता है अथवा बम्बई से इंदौर पार्सल कितने दिन में पहुंचता है इसके लिए रेलवेज को कोई चिंता नहीं होती है । आज हमारे यहां पार्सल ढोने के काम में रेलवेज और मोटर ट्रक्स के बीच कम्पटीशन चल रहा है । बम्बई से इंदौर सीधे दुकान पर मोटर ट्रक माल ले आते हैं और अब ज्यादातर व्यापारी लोग बजाय रेल से मोटर ट्रक से सामान मंगवाते हैं । मोटर ट्रक आठ आने मन भाड़ा लेता है जब कि अभी जो फीगर्स दिये गये हैं और उसका मैं ने हिसाब लगाया है तो रेल से माल लाने में भाड़ा फी मन ७५ नये पैसे पड़ेगा । आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में कौन रेलवेज से अपना सामान लाना चाहेगा ? मेरा तो रेलवे मंत्री महोदय से कहना है कि माल पर फ्रेट चार्ज बढ़ाने से रेलवेज का ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि लोग ऐसी हालत में रेल के बजाय मोटर से सामान मंगायेंगे और रेलवे और मोटर ट्रक्स के बीच इस बारे में कम्पटीशन चलेगा । आप जितना फायदा रेलवेज को होने को समझते हैं उतना नहीं होने वाला है । लोग अधिकाधिक

[श्री बड़े]

अपना सामान बजाय रेलवेज के मोटर ट्रक्स से भेजेंगे । लेकिन हम को यह डर है कि यहां केन्द्र से संकेत किया जायेगा कि मध्य प्रदेश में मोटर ट्रकों पर ज्यादा टैक्स बढ़ाया जाय ताकि रेलवेज उनसे कम्पीट कर सके । मैं रेलवे मंत्रालय को सूचना देना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि लोग अपना माल रेलवेज से ही भेजें तो उनको पार्सल जल्दी पहुंचाने की कोशिश करनी होगी । अगर आप यह चाहेंगे कि माल तो चाहे जब पहुंचे, देरे सवेरे लेकिन फ्रेट चर्ज बढ़ा दें तो आप मोटर ट्रक्स से कैसे कम्पीट कर सकेंगे जो कि व्यापारी का माल बम्बई से भर कर सीधे इंदौर उसकी दूकान तक पहुंचा देंगे ?

रेलवे मंत्रालय ने ऐक्सपोर्ट फ्रेट्स में बहुत सी चीज़ों को छूट दी है और मैं चाहता हूं कि डीआयल केक्स—मूंगफली की खली को भी यह छूट दी जाय । इंदौर से काफ़ी मात्रा में यह खली बाहर जाती है । हमारे एरिया में मूंगफली बहुत ज्यादा पैदा होती है । हर एक ज़िले और तहसील में आयल मिल्स हैं और वहां से यह डीआयल केक्स बाहर जाती हैं । मैं चाहता हूं कि उनको ऐक्सपोर्ट में छूट दी जाय । इस बारे में इंदौर से मुझे एक तार मिला है । भंडारी मिल ने इस बारे में एक तार भेजा है । मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय और यह जो मूंगफली की खली भारी मात्रा में हमारे वहां होती है उसको ऐक्सपोर्ट करने में छूट दी जाय और खली को भी उस ऐग्जम्प्शन लिस्ट में शामिल कर लिया जाय । ऐसा करने से रेलवेज़ को भी फ़ायदा होगा ।

कोयले की लदाई और ढुलाई के बारे में और उसके लिए वैगंस मुहैय्या किये जाने के लिए माननीय सदस्य यहां पार्लियामैंट में काफ़ी कहते सुनते हैं । यहां पर शोर मचाया जाता है कि कोयले में बॉटेलनैक हो गया है । लेकिन मैं ने देखा है कि जितना ध्यान कोयले की ओर दिया जाता है उतना ध्यान फुडग्रेंस और रा कौटेन की तरफ़ नहीं दिया जाता है । उसके बारे में इस तरह से कोई शोर और आवाज़ नहीं उठाई जाती है कि उसके लिए ट्रान्सपोर्ट की कोई कमी हो गयी है । मेरी विनती है कि इन चीज़ों के लिए भी रेलवे मंत्रालय उचित ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था करे । रैव्यू आफ़ दी परफोरमैंस आफ़ दी इंडियन गवर्नमैंट रेलवेज़ के पेज ७ के अनुसार रा कौटेन जो हमारे खानदेश और मध्यप्रदेश में होती है उसका ट्रान्सशिपमैंट कम हो गया है । पहले जहां इसका उठान ४५.१२ परसैंट था वहां अब उठाये जाने वाले माल का परसैंटेज घट कर ४२ रह गया है । रा कौटेन का उठान कम हो गया । कोल का बढ़ता गया है लेकिन जहां तक रा कौटेन, जूट, टी वगैरह का सम्बन्ध है उनका परसैंटेज कम होता गया है । आयलसीड्स का भी रेल मूवमैंट कम हो गया है । जहां पहले इसका उठान २२.६० परसैंट था वहां अब वह १९.२४ परसैंट हो गया है ।

इसके साथ ही मेरा यह कहना है कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वे हो रहा है । वहां पर नर्मदा वैली रेलवे खंडवा टु दाहौत होनी चाहिए । ऐसा करना डिफेंस परपजेज़ के लिए भी बड़ा उपयोगी हो जायेगा ।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी निवेदन करना है कि रेलवे बोर्ड के ऐडमिनिस्ट्रेशन में टेम्पोरेरी स्टाफ़ ४११ है । उनको परमानैंट किया जाय । इसके कारण उनमें भारी असन्तोष विद्यमान है । रेलवे बोर्ड के मैम्बर्स और डाइरैक्टर्स को ४०००, ४००० रुपये मासिक तनख्वाह मिल रही है तो किसी को २०००, २००० और ३०००, ३००० तक तनख्वाह मिल रही है और यह बेचारे स्टेनोज और टाइपिस्ट्स वगैरह अभी तक टेम्पोरेरी ही चल रहे हैं । इंदौर में टेम्पोरेरी स्टाफ़ में इसको लेकर तीव्र असन्तोष है ।

एक मिस्टर परेख करके रेलवे कर्मचारी जिन्होंने कि भावनगर में म्युनिसपल चुनाव लड़ा था उनको विदआउट परमिशन के लिए डिसमिस कर दिया गया। टैम्पोरेरी रहने के कारण उनको बहुत असन्तोष है और दूसरे सर्विस की भी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है और उनको डिसमिस कर दिया जाता है। रेलवे मंत्रालय को अपने इस तरह के अस्थाई कर्मचारियों को अधिक समय तक अस्थाई नहीं बने रहने देना चाहिए। इंदौर में मैं ने देखा है कि टैम्पोमेरी स्टाफ रेलवेज में रखते हैं, कुछ समय बाद उनको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर टैम्पोरेरी रख लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि उनको परमानेंट किया जाय।

जो रेलवेज़ के कर्मचारी निकाल दिये जाते हैं उनके केसेज पार्लियामेंट के मैम्बर्स ले आते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात है? उनको क्यों डिसमिस किया गया है? लेकिन उसका कोई विशेष फल निकलता नहीं है। उनके द्वारा रेलवे मंत्रालय का दरवाज़ा खटखटाये जाने और पार्लियामेंट के मैम्बरों द्वारा उनका केस लिये जाने के बावजूद अगर रेलवे प्रशासन अपना वही पुराना रवैय्या जारी रखता है अर्थात् आगे धकाई की नीति बर्तता है तो इसको लेकर आपके कर्मचारियों में ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्रति अविश्वास और असन्तोष बढ़ेगा। आज रेलवेज़ में जो ऐक्सीडेंट्स बहुत होने लगे हैं उनका एक बड़ा कारण यह भी है कि नीचे के कर्मचारियों में भारी असन्तोष है। चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है इसलिए और अधिक न कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए प्रति वर्ष सभा की बैठक ६ बजे तक हुआ करती है। अतः कल से सभा ६ बजे तक बैठा करेगी।

†**श्री मि० सू० मूर्ति** (अनकापल्लि) : रेलवे के व्यय में सुधार के लिए मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं। रेलवे ने आपातकाल में सराहनीय काम किया है।

मूल्य ह्रास निधि और सामान्य राजस्व में अंशदान और बिजली तथा डीज़ल इंजनों का देश में निर्माण सराहनीय है।

किन्तु कुछ कमियां भी हैं। गत वर्ष कोयला और सीमेंट के यातायात की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुईं। ताड़गुड़ के यातायात के लिए अधिक माल के डिब्बों की व्यवस्था होनी चाहिये।

सवारी यातायात के लिए दूसरी योजना में १५ प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था की गयी थी जब कि वस्तुतः २५ प्रतिशत वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में तीसरे दर्जे के डिब्बों में भीड़ कम करने के उपाय करने चाहियें।

गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चलतीं और दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए यदि अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो भर्ती की व्यवस्था करनी चाहिये। आर० डी० एस० ओ० का शाखा कार्यालय शिमला की बजाय किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थापित होना चाहिये।

अनकापल्ले में एक रेलवे फाटक सदा ही बन्द रहता है वहां शीघ्र ही ऊपरि पुल बनाना चाहिये। कासिमकोटा एक उद्योग प्रधान नगर बन रहा है वहां सभी गाड़ियां ठहराने की व्यवस्था होनी चाहिये।

टूनी, नरसापतनम और मेला मंचली के स्टेशनों के प्रथम श्रेणी के विश्रामगृहों में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मि० सू० मूर्ति]

नामवरम के स्टेशन पर काफी सकरी होती है वहां स्वारियों को टिकटें देने और सामान बुक करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

भद्रचलम से होते हुए कोठागुदम विशाखापत्तनम की ओर हैदराबाद के रास्ते नागार्जुनसागर की लाइनें बनाने की बहुत आवश्यकता है। रेलवे खण्डों का पुर्नवितरण होना चाहिये।

दक्षिण में यह भावना नहीं फैलने देनी चाहिये कि दक्षिण की उपेक्षा की जा रही है।

†श्री गो० महन्ती (बालासोर): मैं भी रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं। लगभग १२०० मील लम्बी लाइनें स्थापित की जा चुकी हैं और इतनी ही लाइनों को दोहरा बनाया गया है। १९६२–६३ में २,२०० माल के डिब्बे बनाये गये थे १९६३–६४ में ३००० डिब्बे बनाने का विचार है। लदान कार्य में १३ प्रतिशत वृद्धि हुई है। दूसरी योजना में ६०,००० क्वार्टर बनाये गये थे। तीसरी योजना में ५४,००० क्वार्टर बनाये जायेंगे। उड़ीसा में बिम्पलगढ़–किरीबुरू, बंदामुंदा–पूरणापाकी और बेलाडीला–कोलाबलासा लाइनें खोली गई हैं। इस प्रकार रेलवे के कार्य में महान् सुधार हुआ है।

इस वर्ष यह बड़े आश्चर्य की बात हुई है कि हर वर्ष की तरह किरायों में वद्धि नहीं की गयी।

रेलवे द्वारा वसूल किये जाने वाले माल भाड़े में बहुत कमी हो रही है जिसका कारण यह है कि व्यापारियों को माल के डिब्बे नहीं दिये जाते। इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करना चाहिये।

खाने की जिन चीज़ों का संभरण किया जाता है वे ताज़ी नहीं होतीं। सम्बन्धित प्राधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिये।

लोक आयोग के बारे नें बहुत शिकायतें हैं और वहां जो शिकातें भेजी जाती ह वे वहीं तक पहुंचती ही नहीं।

श्रेणी ४ में भर्ती के लिये अनुसचित जातियों के हितों को सुरक्षित करना चाहिये।

गत वर्ष २४० दुर्घटनायें रेलवे फाटकों पर हुई हैं। प्रशासन को सभी रेल फाटकों पर आदमी रखने चाहियें जिससे रेल दुर्घटनाऐं कम हों।

श्री बिशनचन्द्र सेठ: उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट के सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें आप के द्वारा रेलवे बिनिस्ट्री से निवेदन करनी हैं। मुझे इस बात का सन्तोष है कि इस समय रेलवे मिनिस्ट्री महोदय विराजमान हैं।

जहां तक माल भाड़े के बढ़ाने का सम्बन्ध है, ऊस के विषय में मुके यह निवेदन करना है कि अनेक वर्षों से जिस समय हमारे देश में रेलवे एवं जेनरल बजट आता एक क्रान्ति सी फैल जाती है। हर आदमी के मन में यह भावना आ जाती है कि रेलवे जरूर भाड़ा बढ़ायेगी और जनरल बजट जब आयेगा तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और न जाने क्या क्या बढ़ जायेगा। इस तरह की भावना मुझे देश के लिये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मालुम होती है।

एक माननीय सदस्य: हर जगह होता है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ: हर जगह होता है लेकिन श्री कनैडी ने अमरीका में जो स्टेमेंट दिया आप उस को पढ़ कर देख लीजिये।

मैं बतलाना चाहता था कि इस तरह की परिस्थिति में देश में जो भावना का सन्तुलन होना चाहिये उस का पूर्णतया अभाव हो गया है। अगर रेलवे फ्रेट बढ़ाने के प्रश्न पर हमारे मामनीय मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि वे इस को समझ लेते कि हमारे देश में

†मूल अंग्रेजी में।

किसी भी अंश में रेलवे फ्रेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट है। आज रेलवे में इतनी चोरी होती है और इतने आदमी बिना टिकट बैठते हैं जिसका ठिकाना नहीं है। इस सदन में अनेक प्रकार से उसको सूचना लाई गई, परन्तु यह सूचना वही है जो कि बिना टिकट पकड़े गये और जिन पर मुकदमे चले। इस सूचना में वे लोग सम्मिलित नहीं है जो हजारों की संख्या में सिगनल पर गाड़ियों के पहुंचने के समय उतर जाते हैं। हमारे आदरणीय रेलवे मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये कि केवल जनता पर हेवी टैक्सेशन करने से ही काम नहीं चलेगा। आप उसे चाहे जितना भी बढ़ाते जायें उस की कोई सीमा नहीं है, हमारे देश में सरकार की जितनी आमदनी होती है आमदनी करने वाले जो विभाग हैं उन में रेलवे महत्वपर्ण अंग है। अतः उस का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह अपने बजट को इस तरह से सम्भाले कि नये टैक्स का कोई बर्डेन जनता पर न लादना पड़े। परन्तु इस को सोचने के बजाय उस के पास सीधी सादी तरकीब है कि भाड़ा और किराया बढ़ा दिया जाय। कारण यह है कि रेल का कोई कम्पिटीशन मुल्क के अन्दर नहीं है। यह अमरीका तो है नहीं, जहां पर कि पब्लिक रेलवे है और काफी कम्पिटीटर लोग हैं। यहां पर सरकारी रेलवे है इस लिये उन के हाथ में है कि जितना चाहें किराया या माल भाड़ा बढ़ा दें।

मैं यहां पर एक सजेशन देना चाहता हूं और यह विनती करना चाहूंगा कि आदरणीय रेलवे मंत्री महोदय उस को नोट करने की कृपा करें क्योंकि उसका भारत में अपना बड़ा महत्व-पूर्ण स्थान होगा। इस के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि अगर केवल एक साल तक पूरी सख्ती देश में की जाय तो आदमी भी बिना टिकट सफर करने की हिम्मत न करे। आज इस चीज के चालू रहने के दो कारण हैं। पहला यह है कि टिकट क्लेक्टर जब बिना टिकट आदमियों को पकड़ना चाहते हैं तो मैं देखता हूं, जो दूसरे लोग सफर करते हैं वे भी देखते होंगे, कि उन को हिम्मत नहीं पड़ती कि वे उन को पकड़ें। अगर एक आध आदमी हुआ तब तो वे पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर वे ज्यादा हुए तो उन की बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है। आखिर आज इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इसका प्रोसीजर इतना लम्बा है और इस तरह की परिस्थिति है कि उन्हें किसी तरह से दबाया नहीं जा सकता। इस के लिये नितान्त आव-श्यक है कि कोई उचित प्रबन्ध किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। भले ही एक वर्ष में हमें २५ या ३० लाख रूपये खर्च करने पड़ जायें, लेकिन इस २५ या ३० लाख रुपये से रेलवे विभाग को बड़ा ऐतिहासिक फल मिलेगा। हर जिले में ५ या ६ वकील छांट लिये जायें जो समय पर पुलिस द्वारा मौके पर बुलाये जा सकें। उन के लिये आप २५ रुपये रोज बांध दें। इस को निश्चय करने के बाद कोई ट्रेन हो ऐसी न हो जिस की चेकिंग न की जाये। उन वकीलों को मैजिस्ट्रेटस की पावर्स दे दी जायें और वेस्वयम ट्रेन्स की चेकिंग करें। आज परिस्थिति यह है कि चन्द दिन हुए में शाहजहांपुर से कलकत्ता जा रहा था। कम्पार्टमेंट में एक मैं था और दूसरे रेलवे के कोई बड़े अधिकारी थे। दस, बारह लड़के किसी स्टेशन पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आ गये और बड़े इत्मीनान से किसी ने मेरी सुराही से पानी पीना शुरू किया और किसी ने कुछ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर यह कौन से लड़के हैं। मैं ने उस अधिकारी से पूछा कि आप तो रेलवे के अधिकारी हैं, अखिर ये सब क्या है? उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रक्खी, अर्थात बोलो मत। खैर वे लड़के किसी स्टेशन पर उतर गये। मैं बड़े आश्चर्य में था कि इतने बड़ अफसर रेलवे के और वे कुछ कर न सके। उन्होंने कहा कि मैंने इस लिए उंगली दिखाई कि वे लड़के कहीं उन की ओर मेरी ही सेवा न करने लगें। इस तरह की इनडिसिप्लिन फैलना मैं देश के लिये बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं लेकिन फिर भी इन चीज़ों को रोका नहीं जाता।

[श्री बिशन चन्द्र सेठ]

जैसा कुछ वक्ताओं ने कहा, रेलवे के अन्दर कितनी चोरी हो रही है इस का कोई हिसाब नहीं। रेलवे पार्सलों के बारे में मुझे पता है कोई भी आदमी ५०, १०० या २०० मील के लिये अपना सामान रेलों के द्वारा भेजना पसन्द नहीं करता। पहले तो स्टेशन सामान ले जाइये, उस का झगड़ा, फिर बिल्टी बनेगी। साथ ही इसका पता नहीं कि सामान कितने दिनों में पहुंचेगा। अगर कोई आदमी ट्रक लेता है तो घर पर ट्रक आयेगा, माल लादेगा और उसके बाद उसे निश्चित स्थान पर पहुंचायेगा। रेलवे विभाग को सोचना चाहिये उस के कम्पिटीटर ट्रक वाले खड़े हैं। आप को तो इस तरह की सुविधायें देनी चाहियें ताकि कस्टमर आप की तरफ आकर्षित हों। कस्टमर सीधी सी बात यह देखता है कि सामान पहुंचाने में रेलवे कम समय लेगी या ट्रक वाला कम समय लेगा। आज डिपार्टमेंट की स्थिति यह है कि वह सोचता है कि जिसे गरज होगी आयेगा। चाहे सामान जितने दिन में भी पहुंचे या चाहे जितनी दुर्दशा उस की हो, कारण कोई पूछने वाला नहीं है। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश का इतना बड़ा लास बिना टिकट चलने वालों की ओर से और सामान की चोरी से हो रहा है जिस का ठिकाना नहीं है। करोड़ों रुपयों की चोरी हर वर्ष हो रही है। रेलवे मंत्रालय के सामान की भी चोरी हो रही है जो सामान बुक होता है उस की भी चोरी होती है। उस को रोकने के लिए मैं हमारे मंत्री महोदय ने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की परन्तु सीधी सादी तरकीब यह अख्त्यार कर ली कि किराया बढ़ा दें। इस तरह की बातों से देश में बड़ा असन्तोष है।

इसके लिये मैं एक सजेशन देना चाहता हूं मेरे एक मित्र ने कहा कि उस में एक कानूनी बाधा है लेकिन मैं अपना सजेशन देना चाहता हूं कि देश में जितनी अपनी रेलवेज हैं उन सब की केन्द्रीय यूनियन होनी चाहिये और उसके नीचे हर रेलवे की अपनी एक एक यूनियन होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो देश में रेलवे का काम डिसिप्लिन के साथ चले। आज तो यह है कि कहीं कम्यूनिस्टों की यूनियन है उसे भी मान्यता मिली हुई है, कहीं कांग्रेस की यूनियन है उसको भी आपने मान्यता दे रखी है। मेरे विचार से यह गलत है। सारे देश की एक यूनियन होनी चाहिये। उस को मान्यता मिलनी चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि वह कौनसी यूनियन हो। यह मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सेंट्रल रेलवे यूनियन हो और उसके नीचे जितनी रेलवेज हैं उनकी अपनी एक एक यूनियन हो। ऐसा होने से ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा कि देश में रेलवे कर्मचारियों में डिसिप्लिन फैल जाएगा।

इसके बाद मैं रेलों के देरी से पहुंचने के बारे में कहना चाहता हूं। हम देखते हैं कि कनेक्शन के लिए एक एक घंटे का समय दिया गया है लेकिन प्रायः कनेक्शन नहीं मिल पाता। अगर साल में यह शिकायत एक दो बार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि कनेक्शन छूट जाता है। ऐसा ब्रांच लाइन्स पर बहुत होता है जिससे बड़ी असुविधा होती है, इसके बारे में बार बार कहा जाता है पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैं पूछता हूं कि हमारे यहां बोलने का क्या लाभ अगर उस पर ध्यान न दिया जाए। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ये चीजें ठीक हों। आपने जहां भाड़ा बढ़ाया है वहां यह आपका नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है कि आप जनता को संतोष दें।

हम देखते हैं कि देश के अनेक भागों तक हम सड़कों बसों या रेल द्वारा आजतक सम्बंध स्थापित नहीं कर सके। लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। हर साल बजट बनता है। खर्चा बढ़ता जाता है। मैं इस की तफ़सील में नहीं जाना चाहता, लेकिन

में निवेदन करूंगा कि हमें देखना चाहिये कि देश के किन किन भागों में अभी रेलवे नहीं पहुंची है। इस ओर विशेष ध्यान देकर उन भागों के लिए कम्युनिकेशन लाइन बनाई जाए।

इसके साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं। इस इमरजेंसी के समय में मैं दो एक महत्वपूर्ण लाइनों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस समय चीन का खतरा हमारे सामने है। मैं इस ओर विशेष रूप से अपने आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि पठानकोट से एक लाइन जम्मू होती हुई काश्मीर जानी चाहिए। कहा जा सकता है कि इस पर खर्चा बहुत आएगा। लेकिन इस में खर्चे का सवाल नहीं आना चाहिए। यह देश की सुरक्षा का सवाल है। हमको एक लाइन पठानकोट से काश्मीर को फौरन बनानी चाहिए। और दूसरी लाइन कलकत्ता से तेजपुर को ब्राडगेज की बनानी चाहिए ताकि इमरजसी के समय में हम इन सारे क्षेत्रों को कवर कर सकें। मैं देखता हूं कि देश की बड़ी शक्ति ऐसे कामों पर खर्च हो रही है जिनका इस समय तात्कालिक महत्व नहीं है। कुछ विशेष कामों को खास कारणों से हाथ में लिया जाता है जिनका महत्व इस समय नहीं है और जो देश के लिए आवश्यक कार्य है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

इसके साथ में एक और निवेदन करना चाहूंगा। चन्द दिन पहले यहां एक एक्सीडेंट की चर्चा हुई थी, उसके सम्बन्ध में मैं ने भी कुछ निवेदन किया था। आज मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं। उस दुर्घटना में कुछ लोग रेल के डब्बे की छत पर बैठे थे और एक पुल से टकरा कर मारे गए थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छतों पर बैठने में क्या तुक है। न तो छत तक जाने के लिये सीढ़ी है, न उस पर गद्दे बिछे हैं, तो फिर किसको कुत्ते ने काटा है कि जबरदस्ती अपनी जान खतरे में डाल कर छत पर जा कर बैठे। इसका कारण यह है कि आज रेलों में बैठने को जगह नहीं मिलती। इस कारण अनेक आदमी डंडा पकड़ कर लटक जाते हैं और कुछ लोग छत पर चढ़ जाते हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब आप उन से दाम लेकर उनका टिकट देते हैं तो उनके बैठने का प्रबन्ध क्यों नहीं करते। मेरा सुझाव है कि अगर आपके पास १००० आदमियों की जगह है तो उससे अधिक को टिकट न बेचा जाए और पुलिस को कहा जाए कि कोई भी आदमी बिना टिकट गाड़ी पर न चढ़ सके। मेरा निवेदन है कि इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। इस परिस्थिति का निर्माण केवल इसी लिए होता है कि हमारे पास पूरी मात्रा में डब्बे नहीं हैं हम उनका प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं। पिछले डिबेट के समय मंत्री महोदय ने कहा था कि इस भीड़ का कारण यह है कि देश में चलने वालों की संख्या बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि यह तो सौभाग्य की बात है कि अधिक लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ रेलवे का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह उनकी आवश्यकता की पूर्ति करे। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है।

इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष अवसरों पर हमारे देश में अनेक त्यौहार होते हैं जब अधिक संख्या में लोग यात्रा करते हैं जैसे गंगा स्नान के अवसर पर, और गरमी के दिनों में बहुत से लोग पहाड़ों पर जाते हैं। ऐसे अवसरों पर रेलवे का यह नैतिक कर्तव्य होना चाहिये कि वह विशेष ट्रेनें चलाए और कनशेशन टिकट जारी करे ताकि लोगों को प्रतीत हो कि यह हमारे देश की सरकार है और जनता को सुविधा पहुंचाना उसकी भावना है और उसी भावना के अन्तर्गत वह हमको ये जीवन और सुविधाएं प्रदान कर रही है। साथ

[श्री बिशन चन्द्र सेठ]

ही ऐसे अवसरों पर सुरक्षा का विशेष प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हुआ करें ।

इसी के साथ मैं अपने आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान एक और महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं । जो लाइन अंग्रेज के जमाने में थीं और जो कि पिछली लड़ाई के जमाने में उखाड़ ली गयी थीं उनको फिर से जारी किया जाए। मैं ने कई बार इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । आज फिर यह कहना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से मैलानी तक के क्षेत्र में लाइन जारी की जानी चाहिए । यह हमारे यहां एक बड़े जंगल का क्षेत्र है और यहां से बहुत लकड़ी बाहर जाती है । जो लाइन पहले यहां थी उसको फिर जारी कर दिया जाए तो यह लिंक बन जाए। इस क्षेत्र में अनेक स्थान हैं जिनको कोई कनेकशन नहीं है जैसे जलालाबाद, पुखरायां, मैलानी और अलागंज । इनका कोई रेलवे लिंक नहीं हैं । अगर उनको कर दिया जाए तो रेलवे को बहुत लाभ हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य : क्या ये आपकी कांस्टीटयूएंसी में हैं ?

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मेरी कांस्टीटयूएंसी में नहीं खन्ना जी की कांस्टीटयूएंसी में हैं ।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में एक दो बात कह कर समाप्त कर दूंगा । मैं एटा से चुनकर आया हूं । कासगंज और एटा में १७—१८ मील का अन्तर है । और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिंग लाइन नहीं है । अगर कासगंज को ऐटा से मिला दें तो बहुत अच्छा हो । उससे इन दोनों स्थानों का कनेक्शन हो जाएगा और ऐटा में जो लाइन है वह भी कनेक्टेड हो जाएगी। यह केवल १८ मील का टुकड़ा है ।

अन्त में मैं समझता हूं कि जो बातें मैं ने मंत्री महोदय के सामने रखी हैं वे उनपर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

†**श्री पू० चं० देवभंज** (भुवनेश्वर) : उत्तर पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्हें इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए । आपातकालीन दशा में जो प्रशंसनीय कार्य हुआ है, उसे देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि वह नयी परिस्थितियों का मुकाबला कर सके । रेलवे कर्मचारियो के कार्य को देखते हुए यह महसूस होता है कि वह अपने क्षेत्र में भी सैनिक हैं ।

हमारी सीमाओं पर गड़बड़ है, अतः हमें अपने साधनों को बढ़ाना है । यद्यपि रेलवे यात्री को रेलवे बजट से कुछ निराशा हो रही थी, परन्तु जब उन्होंने स० स्वर्ण सिंह के मुंह से यह सुना कि यात्री भाड़ा में कोई वृद्धि नहीं हुई तो उन्हें संतोष हुआ । जो अधिभार लगाया गया है, उससे अब १७ से १९ करोड़ रुपये की आय होगी और २ करोड़ रुपयों की आय पार्सलों से होगी । यह भी दावा किया जा रहा है इस से कुछ अधिक असर नही होगा । परन्तु मेरा विचार है कि इससे मूल्यों पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही । निर्यात योग्य वस्तुओं पर तो इसका प्रभाव होगा ही ।

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं अपनी गाड़ियों के बारे में कहना चाहता हूं। प्रत्येक राज्य की राजधानी किसी न किसी रूप में दिल्ली से मिली हुई है। इसके लिए अलग अलग रेलवे लाइनें हैं। परन्तु मेरे राज्य की राजधानी भुवनेश्वर का राजधानी से सीधा कोई लिंक नहीं है। मेरे विचार में इस प्रकार की कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिए कि समस्त राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से मिलाने की सुनिश्चित व्यवस्था करे। इससे यातायात का भी लाभ होगा और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

किसी क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर नहीं प्रत्युत अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने के भाव से मैं निवेदन करता हूं। दक्षिण पूर्वी रेलवे जिसे इससे पहिले बंगाल–नागपुर रेलवे का नाम दिया जाता रहा है, अपनी भोजन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी परन्तु अब इसकी दशा बहुत ही खराब है। इसकी भोजन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दारुपल्ला, नयागढ़, इमती, खांडपारा, बोलागढ़. बेगणिया, बाघमंडी तथा खुर्दा रोड जंक्शन पर बाह्य एजेन्सियों को चलाया जाय ताकि पार्सलों के प्रेषक खुर्दा रोड जंक्शन पर, जो कि निकटतम रेलवे स्टेशन है इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि वस्तुओं को देर से उठाने के लिए शुल्क न देना पड़े।

रेलों को देर से चलने की तो शायद बीमारी हो गयी है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। रेल गाड़ियों के देर से चलने को कम से कम करने के बारे में सावधानी बर्ती जानी चाहिए। कुछ वर्ष हुए खुर्दा, नयागढ़, दारुपल्ला, बौद्ध तथा सोन के मार्ग से खुर्दा रोड से सम्भलपुर तक रेल कड़ी के बनाये जाने के बारे में सर्वेक्षण किया गया था। परन्तु इस बात को फिर एक दम छोड़ दिया गया था। पता नहीं क्या कारण हो गया था। मेरे विचार में यह रेल कड़ी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। मेरा निवदन है कि रेलवे को इस का पुनः परीक्षण करवाना चाहिए।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : चर्चा के दौरान में बहुत से सुझाव दिये जाते हैं। सब पर हमारे मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे पाते। अतः मेरा कहना है कि सभा में दिये गये, सभी प्रकार के सुझावों का यदि चर्चा के उत्तर के दौरान सम्भव न हो तो उनका उत्तर पत्र-व्यवहार द्वारा दिया जाना चाहिए। जहां तक बजट का सम्बन्ध है, उसके लिए मैं रेलवे मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं। परन्तु इसके साथ ही मेरा यह भी कहना है कि यदि मितव्ययता तथा वह त्रुटियां, जिनके कारण रेलों को राजस्व प्राप्त नहीं होता, को दूर कर दिया जाता तो स्थिति बिलकुल ही और होती। तब भाड़ों पर अधिभार की आवश्यकता ही न रहती। फिर हम और अधिक मुबारकबाद रेलवे मंत्री को प्रस्तुत करते।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सम्बन्धों में सुधार होना चाहिए। यदि रेलवे प्रशासन ने इस ओर ध्यान न दिया तो यात्रियों में काफी असंतोष पैदा हो जायेगा। रेलों के देरी से चलने के बारे में काफी कुछ कहा गया है, इसका मैं उल्लेख नहीं करता। यह छोटी लाइन भी एक पुरानी वस्तु बन कर रह गयी है तथा उसे यथा सम्भव बन्द कर देना चाहिए। इसी तरह मीटर लाइनों का भी बदल देना चाहिए, क्योंकि उनके चलाने पर अधिक लागत आती है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह भी एक समस्या है कि मालगाड़ियों की रफ्तार में सुधार किया जाय तथा जो माल के डिब्बे बेकार पड़े हैं उन्हें प्रयोग में लाने का सुनिश्चित व्यवस्था का जानी चाहिए। जो अनियमित-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

ताओं तथा हानियां लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में बताई गयी हैं उन्हें बन्द कर देना चाहिए । सरकार उन उपायों के बारे में सूचना दे जो "बौक्स" वैगनों से कोयले की किसी चोरी के न होने देने के बारे में किये गये हैं ।

बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में विद्यार्थियों का नाम अधिक लिया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि बिना टिकट यात्रा एक सामाजिक बुराई है तथा उसे बन्द किया जाना चाहिए । विद्यार्थी भी हमारी तरह भारत के पूरे नागरिक हैं, केवल विद्यार्थियों पर इसका दोष लगा देने से समस्या हल नहीं होगी । इस लानत को सभी प्रकार से समाप्त करना चाहिए । विभागीय आहार व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए । संसद के सदस्यों की एक समिति बनाई जाय जो विभागीय भोजन व्यवस्था में हानि को रोकने की व्यवस्था करे । ठेकेदार तो लाखों कमा जाते हैं परन्तु हम ग्राय व्यय को बराबर भी नहीं कर पाते ।

मुझे यह भी शिकायत है कि रेलवे अधिकारियों का व्यवहार जनता से ठीक नहीं है । मैंने शिकायत की तो सजा गुनहगार को न मिल कर किसी और को ही दे दी गयी । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रेल अधिकारियों द्वारा जनता से व्यवहार में सुधार किया जाना चाहिए । इसी तरह पदोन्नतियों के नियमों को सख्ती से लागू किया जाय । भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए । मुझे विश्वास है कि रेलवे मंत्री मेरी इन बातों पर तनिक विचार करने का अवश्य कष्ट करेंगे ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व इस के कि मैं जो बजट आदरणीय रेलवे मंत्री जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है, उस का विरोध करूं, सब से पहले मैं रेलवे मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, कि उन्होंने संकट काल में उसने अपनी पूरी शक्ति से और सफलतापूर्वक राष्ट्र की सेवा की है ।

बजट का विरोध करते हुए सब पहले में आदरणीय रेलवे मिनिस्टर के शब्दों को ही यहां रख कर आगे बढ़ूंगा । उन्होंने कहा है कि डीजल से चलने वाला इंजिन एक गैलन में ४०० नेट टन मील इत्यादि चलेगा । ~~"It may be of interest to mention in this connection that on diesel locomotive, by utilising one gallon of high speed diesel oil, will give nearly 400 net ton miles of performance, against about 60 net ton-miles that a road truck will give for the same consumption of diesel oil.~~ इस तरह की बात उन्होंने यहां पर कही । परन्तु साथ ही साथ उन्होंने सुझाव भी दिये हैं कि वे रेवेन्यू से जो १९ करोड़ रुपया अधिक हासिल करेंगे किस तरह उस की बढ़ोतरी करेंगे । जो सामान रेलवे में जायेगा उस में ५ प्रति शत की और जो पारसल जायेंगे उस में १० फी सदी बढ़ोतरी करेंगे । एक तरफ तो उन का ऐसा कथन है कि हमारी रेलवेज में जो फ्यूएल इस्तेमाल होता है वह ट्रक्स के मुकाबले, जो कि सड़क पर चलते हैं और दूसरी कम्पनियां चलाती हैं, उसमें १ : ७ का अनुपात है और दूसरी तरफ वह उस से बढ़ोतरी करना चाहते हैं आमदनी की । आदरणीय रेलवे मिनिस्टर ने सुझाव दिया है कि जो १९ करोड़ रु० की बढ़ोतरी होगी वह रेवेन्यू से हासिल की जायेगी, और इस १९ करोड़ रु० की बढ़ोतरी इसलिये अनिवार्य है कि ४ करोड़ रु० रेट आफ डिविडेंड में बढ़ोतरी के कारण इस में से जायेगा, १० करोड़ रु० डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जायेगा और ५ करोड़ रु० डेवेलपमेंट फंड में जायेगा ।

जहां तक रेट आफ डिविडेंड के लिये ४ करोड़ रु० की बात है, मैं उस का विरोध नहीं करता, लेकिन जहां तक बाकी १५ करोड़ रु० की बात है, जिस में १० करोड़ रु० डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का और ५ करोड़ रु० डेवेलपमेंट फंड का है, उस का मैं जरूर विरोध करता हूं। उन्होंने १० करोड़ रु० की बात डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिये कही है। पिछले वर्ष ७० करोड़ रु० का फंड इस कटेगरी के लिये था। इस वर्ष ८० करोड़ रु० की बात इस के लिये रक्खी गई है। मैं नहीं समझ पाता कि यह १० करोड़ रु० की बढ़ातरी किस कारण से की जा रही है। एक तरफ राष्ट्र संकट का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ जनता जनार्दन पर बहुत से टैक्स बढ़ रहे हैं। मध्यम वर्ग के व्यापारी और उन के व्यापार की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। एक तरफ तो रेलवे यातायात के साधन का खर्च बढ़ता चला जाता है और दूसरी तरफ ५ करोड़ रु० डेवेलपमेंट फंड में देने की बात कही गई है। मैं और मेरी पार्टी इस के पक्ष में है कि निर्माण हो, लेकिन निर्माण के नाम पर विशेष व्यक्तियों, सत्ताधारी वर्ग या किसी विशेष उच्च कोटि के सरकारी नौकरों की कोठियों का निर्माण हो, उन के बंगलों का निर्माण हो, उन के बैंक बैलेन्स का निर्माण हो, इस का मैं विरोध करता हूं।

श्री शाहनवाज खां : यह गलत है।

श्री मौर्य : मैं इस के आंकड़े दूंगा, आप घबरायें नहीं।

एक माननीय सदस्य : बैंक बैलेन्स के भी।

श्री मौर्य : बैंक बैलेंस के आंकड़े भी दूंगा, यदि अध्यक्ष महोदय आज्ञा दे देंगे।

चूंकि मैं रेलवे बजट पर अपने विचार रख रहा हूं इस लिये दो तीन चीजों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो दुर्घटनाओं की ओर, दूसरे भ्रष्टाचार की ओर और तीसरे जो ट्रेनें लेट चलती हैं उन की ओर। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जो आंकड़े स्वयम् सरकार द्वारा दिये गये हैं उन के अनुसार सन् १९५९-६० में ८,९१६ दुर्घटनायें हुई, सन् १९६०-६१ में ८,८०८ दुर्घटनायें हुई हैं और सन् १९६१-६२ में ९,१८४ दुर्घटनायें हुई। अर्थात् अगर पिछला वर्ष और इस वर्ष की दुर्घटनाओं को देखा जाय तो ३७६ दुर्घटनायें अधिक हुई हैं। और जहां पर दूसरे राष्ट्र बहुत उन्नति कर रहे हैं साइंस और दूसरी बहुत सी चीजों में, वहां हमारी रेलवे मिनिस्ट्री जो रेलवे में सफर करने वाले लोग है उन की जान लेने में तरक्की कर रही है। मैं दुर्घटनाओं के दो विशेष कारण समझता हूं। एक तो रेलवे कर्मचारियों की भूल के कारण यह दुर्घटनायें होती हैं दूसरे रेलवे इंजन की खराबी या रोलिंग स्टाक के फेल हो जाने के कारण होती हैं। रेल कर्मचारियों की भूल लम्बी लम्बी ड्यूटियों या रेलवे के स्टेशन मास्टर, इंजीनियर्स और ड्राइवरस उन की लम्बी ड्यूटी के साथ बड़े काम के कारण होती है, जैसा कि अभी अभी आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन की वाइस प्रेजिडेंट महोदया ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। उन्होने कहा है कि चार स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो इंदौर-देवास-उज्जैन स्टेशनों पर तैनात थे उन्होंने २१६ घंटे तक ड्यूटी दी। फेडरेशन के अन्दर जो उन की वाइस प्रेजिडेंट हैं उन्होने इस तरह का वर्णन किया है। इस लम्बी लम्बी ड्यूटी में स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ही नहीं आते बल्कि रेलवे विभाग के ड्राइवर भी आ जाते हैं, जिन की जरा सी चूक के कारण हजारों आदमियों की जानें खतरे में पड़ जाती हैं। वे वहां पर काफी अर्से तक, दस दस, बारह बारह और चौदह चौदह घंटों तक बगैर किसी आराम के ट्रेन्स में ड्यूटी बजाते हैं। यह मुख्य कारण है जिन की वजह से दुर्घटनायें होती हैं।

दूसरे जैसा कि मैं ने कहा, यह जो दुर्घटनायें होती हैं उन में से ५० फी सदी से ज्यादा दुर्घटनायें इंजनों के खराब हो जाने से या रोलिंग स्टाक की खराबी की वजह से होती हैं, जैसा कि दिये हुये आंकड़ों से प्रतीत होता है। यह जो इंजन खराब होते हैं या रोलिंग स्टाक खराब होता है उस के लिये

[श्री मौर्य]

आज कौन जिम्मेदार है ? रेलवे के उच्च श्रेणी के सरकारी कर्मचारी। उन की भूल के कारण या उन के भ्रष्टाचार के शिकार हो जाने के कारण कह लीजिये, खराब चीजों की सप्लाई को मंजूर किया जाता है। इस के कारण एक्सिडेंट्स होते हैं

भ्रष्टाचार के बारे में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश आज की सरकार का भ्रष्टाचार जन्म जन्मान्तर का जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। वह भ्रष्टाचार को एक ऐसी देन समझती है जो कि उसे विरासत के रूप में मिला है। अभी राज्य सभा में भी इस का वर्णन हुआ। मेसर्स व्हीलर ऐंड कम्पनी के नाम से एक कम्पनी है .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी कम्पनी का नाम न लें।

श्री मौर्य : खैर, एक विशेष कम्पनी है जिस के पास ३२५ बुक स्टाल्स हैं। एक तरफ तो हम सोशलिस्टिक पैटर्न की, समाजवादी समाज की रचना, की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम एक विशेष कम्पनी या एक विशेष व्यक्ति को इतना बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। उस में कोई रोक थाम अभी तक रेलवे मंत्रालय ने नहीं की है। रेलवे की स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं। बहुत से रेलवे रेस्टोरेंट्स स्टेशनों पर हैं। अगर उन के नाम नंगा कर दे दें जायें कि उन के मालिक कौन हैं, किन को वे ठेके दिये गये हैं, तो पता चलेगा कि वे या तो सत्ताधारी पार्टी के हारे हुये एम० एल० ए० और एम० पी० हैं जो कि उम्मीदवार थे और हार गये हैं, या वे लोग हैं जो जिस समय सत्ताधारी पार्टी को वोटों की जरूरत होती है उस समय उन को नोट के बल पर वोट दिलवाते हैं। फिर वे स्वयं भी इन रेस्टोरांज को नहीं चलाते हैं। ९० फीसदी ऐसे रेस्टोरां हैं जिन के मालिक किराये पर उठा देते हैं और वे घर बैठे हुये किराया पाते हैं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? और अगर यह भ्रष्टाचार है तो इसे रोकने के लिये आदरणीय मंत्री जी ने क्या कोई उपाय निकाला है ? मैं इन के अलग अलग आंकड़े भी दे सकता हूं, लेकिन चूंकि चन्द क्षण ही मुझे मिले हैं इसलिये मैं इस में अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। बड़े बड़े ठेकेदारों ने मनोपोली बना ली है।

श्री शाहनवाज खां : अगर आप कोई सबूत दे सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप लिख कर उन को ऐसी मिसालें दें और सबूत भी साथ दे दें।

श्री मौर्य : मैं सबूत भी साथ दे दूंगा।

रेलवे की १९६३ की आडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में है। इसमें फ्राड और लासेज के बारे में पेज ३५ पैरा ४२ में यह लिखा हुआ है कि १.६९ लाख रुपये के १६ बिलों का भुगतान उस सामान के लिये एक फर्म को दिया गया था जिसके लिये रेलवे ने कोई आदेश नहीं दिया था और नाहीं वो सामान रेलवे को मिला। जिस क्लर्क ने इन सब बिलों का निरीक्षण किया उसे निलम्बित कर दिया गया है और विशिष्ट पुलिस स्थापना द्वारा जांच के फलस्वरूप उस पर मुकदमा चला दिया गया है। इस तरह एक बेचारे क्लर्क को पकड़ लिया, बिजली भी गिरी तो किस गरीब पर ?

अध्यक्ष महोदय : पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने उसको पकड़ा है और उस पर केस चलेगा। आप कहते हैं कि "बेचारे क्लर्क को पकड़ लिया" जैसे कि वह बेगुनाह हो।

श्री मौर्य : वह तो गुनहगार है ही। लेकिन यह जो दो वर्ष तक भ्रष्टाचार होता रहा और जनरल मैनेजर को इसकी जानकारी नहीं हुई या अगर उनको जानकारी हुई तो उन्होंने इसको रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया, इस भूल के लिये उन को क्या सजा दी जा रही है। यह चीज उनकी जानकारी में आनी चाहिये थी। अगर उनकी जानकारी में नहीं आयी तो इसका क्या कारण है।

इसी प्रकार विद्यार्थियों के पास का मामला है। इनको चुराकर बेचा जाता है इसमें स्टेशन मास्टर, क्लर्क और बहुत से सत्ताधारी रेलवे कर्मचारी भी शामिल होते होंगे। इस प्रकार के हजारों पास चल रहे हैं। मेरी बिनती है कि इस भ्रष्टाचार को रोका जाय। यह अभिशाप है। इसके रहते कोई भी सरकार ज्यादा दिनों जीवित नहीं रह सकती। मैं तो कहता हूं कि अगर आवश्यक समझा जाय तो इसको रोकने के लिये कैपीटल पनिशमेंट तक रखी जानी चाहिये। आज भ्रष्टाचार हमारी रग रग में घुस गया है। इसको रोकना अनिवार्य है।

अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कुछ बातें कह कर आगे बढ़ूंगा, जो पहले रेलवे मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, उन्होंने कुछ सहूलियतें दी थीं आदरणीय महात्मा गांधी की विचार धारा को पूरा करने के लिये, बाबा साहब डा० अम्बेडकर की विचारधारा को पूरा करने के लिये, हमारे पवित्र संविधान की पवित्र धारा की भावना को पूरा करने के लिये, और कहा था

"अनुसूचित जातियों के पदोन्नति में संरक्षण दिया जाय"।

इसके लिये हाई कोर्ट में और सुप्रीमकोर्ट में केस चला और फैसला शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पक्ष में हुआ कि उनको प्रमोशन में भी रिजरवेशन मिलना चाहिये। लेकिन आज इस भावना की पूर्ति नहीं हो रही है। प्रमोशन में रिजरवेशन मिलना तो दरकिनार आज उन लोगों को सजायें दी जा रही हैं। बहुत सों को निकाल दिया गया है। हजारों सरकारी कर्मचारियों को ससपेंड कर दिया गया है और उन से जवाब मांगा जा रहा है। और सैंकड़ों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं आपको उनकी लिस्ट दे सकता हूं। १२ के नाम तो मेरे पास इस समय भी हैं।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जो लोग ड्यूटी नहीं करते और भ्राष्टाचार करते हैं उनको चार्जशीट मिलता है, शिड्यूल्ड कास्ट होने की वजह से नहीं मिलता।

श्री मौर्य : मैं बगुनाहों की लिस्ट दे दूंगा।

शिड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारियों के ट्रांसफर के बारे में एक सरकुलर है जिस में लिखा है :

> "कि ऐसी शिकायत की गयी है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जिन्हें अपने घर से दूर स्थानों पर भेजा जाता है कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों का तबादला उनके अपने जिले या पास के जिलों में करना चाहिये या ऐसे स्थानों में करना चाहिये जहां सरकार उन्हें क्वार्टर दे सके"।

यह २१ दिसम्बर १९६० का सरकुलर है। इस सरकुलर की भावना को आज पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी अभी मेरे पास करीब ५० रेलवे कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन हैं जिनको मैं यहां रखना ठीक नहीं समझता। उन्होंने कहा है कि हमारे ट्रांसफर कर दिये गये और उनकी जगह ऐसे लोग रखे गये हैं जो वहीं के रहने वाले हैं और जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के नहीं हैं। मेरी आदरणीय रेलवे मंत्री महोदया से प्रार्थना है कि या तो वे इस सरकुलर को समाप्त कर दें—मैं यह नहीं कहता कि किसी की मानोपली हो – मेरा कहना है कि वह अगर इसको गलत समझते हैं तो इसको समाप्त कर दें। लेकिन अगर वह इसको सही समझते हैं तो इसकी पूर्ति की जानी चाहिये। इसको रद्दी

[श्री मौर्य]

की टोकरी में रख कर यह दिखाना उचित नहीं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट को सहूलियतें दे रहे हैं। यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता ।

एयर कंडीशंड कोचेज में अटेंडेंट रहते हैं। उनकी बड़ी भारी परेशानी है। उनकी लगातार सात दिन ड्यूटी रहती है। उनको १५० घंटे लगातार काम करना पड़ता है और १५ दिन में उनको केवल २४ घंटे आराम को मिलते हैं। इनकी तनख्वाह जनवरी सन् १९६२ से पहले ७५ रुपये से शुरू हो कर १२० रुपये तक जाती थी, अब उनको एक इनाम दिया गया है। न मालूम उनको यह सजा क्यों गयी है कि उनकी तनख्वाह का ग्रेड ६० रुपये से १३० रुपये कर दिया गया है। इसका कारण मालूम नहीं पड़ा ।

जब से मुझे पहले दरजे का पास मिला है तब से मैं देखता हूं कि जो कोरीडार अटेंडेंट रहता है उसको तीस-तीस घंटे, छतीस-छतीस और चालीस-चालीस घंटे काम करना पड़ता है लेकिन उस बेचारे के लिए वहां सोने को कोई जगह नहीं है। यह किस तरह की व्यवस्था है, यह किस तरह का निजाम है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वह उतनी ही कम तनख्वाह पाता है और जो जितनी कम मेहनत करता है वह उतनी ही ज्यादा तनख्वाह पाता है जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसको उतने ही ज्यादा संकटों में रहना पड़ता है और जो जितनी कम मेहनत करता है उसको उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। यह चीज हमारे पवित्र संविधान की भावना के विरुद्ध है।

अब मैं गैंगमेन और केजुअल लेबर के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। गैंगमैन स्टेशन से दूर रह कर काम करते है। जब ये लोग बीमार पड़ते हैं तो इनके इलाज का कोई इन्तिजाम नहीं है। और हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर वे प्राइवेट डाक्टर का इलाज करा लेते हैं तो उसको माना नहीं जाता और उनको छुट्टी तक नहीं दी जाती। बहुत से गैंगमैनों को इस लिए नौकरी से निकाल दिया गया है।

श्री शाहनवाज खां : आनरेबिल मेम्बर बिल्कुल गलत कह रहे है। गैंगमैन के लिए वैसी ही फैसिलिटीज हैं जैसी कि किसी और के लिए।

श्री मौर्य : मैं नाम दे सकता हूं, टाइम दे सकता हूं, डेट दे सकता हूं।

श्री शाहनवाज खां : तो क्यों रखे हुए हैं, देते क्यों नहीं।

श्री मौर्य : डिप्टी मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य से बहुत परे है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए।

श्री मौर्य : मैं मैडीकल ऐड के बारे में कह रहा था। प्राइवेट डाक्टर के सर्टिफिकेट को मान लेना चाहिए।

श्री शाहनवाज खां : ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। जानबूझ कर ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाते हैं और प्राइवेट डाक्टर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस तरह ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं।

श्री मौर्य : डिप्टी मिनिस्टर साहब को इसका ख्वाब में पता चला होगा। जो लेट ट्रेन चलती हैं उनके बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय हो गया।

श्री मौर्य : एक मिनट । । मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

आज ट्रेन का समय पर न पहुंचना इस बीसवीं शताब्दी में सबसे बड़ा अभिशाप है । लेकिन यहां यदि किसी दिन समय पर गाड़ी पहुंच जाए तो यह बड़े भाग्य की बात है । इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है । ट्रेनों को ठीक समय पर पहुंचना चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि अगर किसी ट्रेन के पहुंचने का समय १२ बज कर १५ मिनट है तो वह ठीक १२ बज कर १५ मिनट पर ही पहुंच जाए, वह १२–२५ पर या १२–३० तक पहुंच जाए । लेकिन ऐसा तो न हो कि दूसरे दिन १२–१५ पर पहुंचे । ट्रेन बारह बारह घंटे, तीन तीन घंटे और दो दो घंटे लेट हो जाती हैं । इस का एक मुख्य कारण है । अगर किसी जगह पहले दरजे के किसी पसिंजर को देर हो गयी या अगर कोई डिप्टी मिनिस्टर साहब सफर कर रहे हैं उनको देर हो गयी, या उनको जगह न मिली या अगर कोई वी० आई० पी० सफर कर रहे हैं उनको देर हो गयी तो ट्रेन को रोक लिया जाता है, इससे देर हो जाती है ।

एक माननीय सदस्य : डिप्टी मिनिस्टर को तो जगह मिल ही जाती है ।

श्री मौर्य : मैं प्रदेशों के डिप्टी मिनिस्टरस के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मेरी विनती है कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, उन पर ध्यान दिया जाए । भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए । और जो आपने १९ करोड़ की बढ़ोतरी की है अगर ईमानदारी से और एफिशेंसी से काम किया जाए और निजाम ठीक हो तो वह पूरी हो सकती है । और यह जो १० करोड़ रुपया डिप्रीसिएशन फण्ड में बढ़ाया गया है यह आज की संकट की घड़ियों को देखते हुए आवश्यक नहीं है ।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा) : ३१ करोड़ रुपये की बचत वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं सरदार स्वर्णसिंह को मुबारकबाद देता हूं । जिस साहस अधिकार इत्यादि लगाकर उन्होंने १९ करोड़ रुपये की और व्यवस्था की है वह भी सराहनीय है । रेलवे एशिया का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है, दुनिया भर में सरकारी उपक्रमों में इसका दूसरा स्थान है । अतः इससे बजट पर सामान्य बजटों की तरह आलोचना नहीं की जा सकती । इसका प्रशासन भी एक तरह का स्वतन्त्रत प्रशासन है ।

भ्रष्टाचार तथा बिना टिकट यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । १९६१ में बिना टिकट के मामलों की संख्या ७५,५०,०७५ है, १९६२ में यह संख्या ७९,७९,५९७ हो गयी । दिखाई देता है कि विभाग द्वारा इस पर नियन्त्रण नहीं रखा जा रहा । मेरे विचार में इस बिना टिकट यात्रा की बीमारी का एक कारण यह है कि बुकिंग तथा सीटों के रजर्व कराने में कठिनाइयां हैं जिनका यात्रा करने वाली जनता को सामना करना पड़ता है । इसके साथ ही मैं रेलवे मन्त्री से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को स्थान रक्षण के बारे में दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाये ।

आसाम में अलीपुर से फकीराग्राम तक मीटरगेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाय क्योंकि 'मीटरगेज' लाइन पर संचालन व्यय अधिक है । मैं तो कहना चाहता हूं कि गोहाटी से गारो-पहाड़ियों तक एक लाइन बनाई जाय । उत्तर लखीमपुर सुरकांगसिले लाइन को पाठीधार तक बढ़ाया जाय । एक और लाइन उत्तरी लखीमपुर से किमिंग तक बनाई जाय । नागालैण्ड के मार्ग से त्रिपुरा से मनीपुर तक भी लाइन बनायी जानी चाहिए। सीमा समस्या को देखते हुए भी यह जरूरी है। आसाम की समस्या केवल उस राज्य की ही समस्या नहीं, यह तो राष्ट्रीय समस्या है ।

श्री काशीनाथ पाण्डे (हारा) : मैं रेलवे को उसकी सफलताओं के लिए मुबारकबाद देने वालों में से हूं । रेलवे ने पिछले वर्ष कोयले के परिवहन तथा आपात की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी अच्छा कार्य किया है । इस दौरान में रेलवे कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने बहुत ही शानदार काम किया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान पर खेल जाने को तयार था । इसी देशभक्ति

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशीनाथ पाण्डे]

की भावना से प्रेरित होकर ही हड़ताल न करने का निर्णय किया गया था। परन्तु खेदकी बात है कि कर्मचारियों के कार्मिक संघ की मान्यता वापिस ले ली गयी। रेलवे बोर्ड ने उन्हें समझौता वार्ता के लिये आमन्त्रित किया था। क्या उन पर कोई ऐसे बन्धन लगाये गये हैं कि यदि उन्होंने फिर उसी प्रकार हड़ताल की तो उनसे यह अधिकार छीन लिया जायेगा ? मैं समझता हूं ऐसा नहीं किया गया। यदि फिर वही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो फिर से उन्हीं लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो चनात्मक विचारधारा के हैं।

इस आपात काल में आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिये कार्मिक संघों पर विश्वास किया जाये जो देश को प्रेम करते है जो देश की प्रगति चाहते है। मेरे विचार से वह कार्मिक संघ जिस का नेतृत्व श्री बासवाड़ा कर रहे है एक ऐसा ही कार्मिक संघ है।

आपातकाल में सेना के दस्तों को सीमान्त पर ले जाने में गाड़ियां काफी व्यस्त रहीं। अब हमें सावधानी बरतनी चाहिये। जिससे लखनऊ से बरौनी वाली गाड़ी में अधिक भीड़ न हो। मीटर गेज वाली लाइन को भी ब्रोडगेज की कर देना चाहिये क्योंकि इसी लाइन से अधिकतर सैनिक सीमान्त पर पहुंचाये जा सकते हैं।

विभाग द्वारा जो खान-पान की व्यवस्था की जा रही है वह भी सन्तोषजनक नहीं है। हाल ही में मिर्जापुर से देहली आते हुये मैंने इलाहाबाद स्टेशन पर गार्ड से चाय के लिये कहा था —उसने कहा कि यदि आपने चाय पीनी है तो रेस्टोरेन्ट में चले जाइये, गाड़ी में चाय पहुंचाने का कोई भी प्रबन्ध नही है। भोजन भी सन्तोषजनक नहीं मिलता। मेरा सुझाव है कि विभाग के कार्य की जांच की जाये। औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में जो स्थायी समझौता-वार्ता व्यवस्था बनाई गई है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। किन्तु मान लिया जाये कि कुल २०० मामले आये और उनमें से ५० अथवा ६० का निबटारा किया जाये तो शेष का क्या होगा ? मेरा विचार है कि विवाचकों की एक तालिका होनी चाहिये। नाम ऐसे हों जिन्हें कर्मचारी भी स्वीकार कर लें। यदि किसी विषय में विवाद हो तो इसके निबटारा किसी तीसरे पक्ष से करवाया जाये। यदि दोनों पक्ष सहमत हो जायें तो इसका निबटारा स्थायी समझौता-वार्ता व्यवस्था द्वारा किया जायेगा। किन्तु मतभेद वाले मामलों को निबटाने के लिये रेलवे को विवाचकों की व्यवस्था करनी चाहिये। हमें गत हड़ताल से सीख लेनी चाहिये। उनकी कुछ शिकायतें भी थीं। यह कहना कि सारा दो कर्मचारियों का ही है ठीक नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे इन लोगों की शिकायत किसी युक्तियुक्त सीमा तक दूर की जा सकें।

श्री बसवन्त (थाना) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका कारण यह है कि जब १८५३ में २० मई को रेलगाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ था तब सबसे पहले बम्बई से थाने के लिए शुरू हुआ था। थाना ही मेरा निर्वाचिन क्षेत्र होने से इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहने में मुझे खुशी का अनुभव होना स्वाभाविक है।

सुबर्बन रेल गाड़ियों के बारे में माननीय रेल मन्त्री जी ने कहा है कि ६ प्रतिशत रेलगाड़ियां सुबर्बन लाइन्ज़ में बढ़ाई गई है। लेकिन वहां जो भीड़ भाड़ रहती है, उसको देखने से पता चलेगा कि ६ परसेंट गाड़ियां बढ़ा देने से ही कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यह बात जो यात्री बिना टिकट चलते है, उनके आंकड़े देखने से सिद्ध हो जाती है। मैं आपके सामने इस सुबर्बन लाइन के आंकड़े रखना चाहता हूं। मई महीने में कोई २ लाख ४ हजार ६७० पासहोल्डर थे और मई महीने में ही ७२ लाख ६ हजार १९१ टिकट बेचे गए। इससे मालूम हो जाता है कि पास होल्डर यानी आने जाने वाले और टिकट लेने वाले ६ लाख ५० हजार १४६ आदमी एक दिन में आते और जाते थे।

सारे देश में आज हम देखते हैं कि ४४ लाख प्रवासी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल हर रोज करते हैं । यानी अभी इस सुबर्न रेलवे में कुल के आठवें हिस्से, ७० मील के फासले में, प्रवास करना शुरू करने से बहुत ज्यादा यातायात शुरू हो गया है, और उस के कारण बगैर टिकट प्रवास करना काफी बढ़ गया है । इस लिये मैं सदन के सामने टिकटलैस प्रवास के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं ।

सन् १९५५-५६ में कुल ६६ लाख, २ हजार, ११४ आदमी बगैर टिकट रेल से चले, सन् १९६०-६१ में ७५ लाख, ५५ हजार, ७५ आदमी बगैर टिकट गाड़ी में चले हैं । यानी हर साल १ लाख, ३० हजार, ५९२ आदमी बगैर टिकट ज्यादा चलते हैं ।

श्री शाहनवाज खां : वह पकड़े गये हैं ।

श्री बसवन्त : हां, वे पकड़े गये हैं । मैं अब सुबरबन रेलवे के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । सेंट्रल रेलवे में सन् १९६०-६१ में कोई १० लाख, ९६ हजार, ८०८ आदमी बिना टिकट पकड़े गये, सन् १९६१-६२ में ११ लाख, २६ हजार, ८३५ आदमी पकड़े गये । यानी एक साल में ५७ हजार, २७ आदमी बिना टिकट ज्यादा पकड़े गये । इस के माने यह हुए कि सारे भारत में जो टिकटलेस प्रवासी पकड़े जाते हैं उस में ४२ परसेन्ट सेंट्रल रेलवे का हिस्सा है और उस में भी सब से ज्यादा हिस्सा बम्बई सुबरबन रेलवे का है । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि ४२ परसेंट आदमी वहां पकड़े जाते हैं यह समझा जा सकता है कि मंत्री महोदय के मंत्रालय की ओर से चेकिंग का काम वहां ज्यादा अच्छी हालत में है । इसी लिये तो इतने ज्यादा आदमी पकड़े जाते हैं । १०-१२-६२ के दिन स्पेशल स्क्वैड ने चेकिंग की । इस सुबरबन रेलवे पर ५१ स्टेशन हैं उन में दो स्टेशनों के बीच में छः घंटे तक चेकिंग हुई । अगर वहां पर ८५९ आदमी इतने समय में पकड़े जा सकते हैं तो यह समझा जा सकता है कि ५१ स्टेशनों पर बगैर टिकट चलने वालों की संख्या लाखों की होगी ।

मैं इस सम्बन्ध में पकड़ने वालों का दोष निकालता हूं ऐसी बात नहीं है । लेकिन जब पहले गाड़ी शुरू हुई थी उस समय से बम्बई में रहने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है । देश में बम्बई सब से ज्यादा आदमियों के रहने का ठिकाना है । लाखों आदमी वहां आते हैं । जाते हैं । वहां पर सुबरबन लाइन्स तो बढ़ गई हैं लेकिन जो स्टेशन हैं वही पुराने ढंग के ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे के टाइम के बने हुए हैं । वहां पर आने जाने के रास्ते जो हैं वे बहुत तंग हैं । टिकट घर भी ऐसे हैं कि उसके सामने एक आदमी से ज्यादा नहीं जा सकता है । इस लिये वहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाता और भीड़ की चेकिंग भी नहीं हो पाती है । इस कारण भी बगैर टिकट प्रवासी काफ़ी संख्या में गाड़ियों में चलते हैं ।

एक और सूचना भी सदन के सामने रखना मैं जरूरी समझता हूं । महाराष्ट्र में जो कारखाने बढ़ते जाते हैं उन के स्थान अधिकतर सुबरबन रेलवे पर थे । और सुबरबन ट्रेन्स में काफी आदमियों का आना जाना इन इंडस्ट्रीज़ के खुलने के कारण शुरू हो गया है । रेलों पर इस का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है । इसके कारण जो लोग सुबरबन रेलवे में यात्रा करते हैं उन कोउनमें बैठने की जगह नहीं मिलती है । जहां से गाड़ी शुरू होती है वहां पर जो लोग बैठ जाते हैं वे बैठ जाते हैं लेकिन बीच के स्टेशनों पर कोई उन में बैठ नहीं सकता है । ऐसी बात कोई एक या दो दिन ही नहीं होती है बल्कि तीसों दिन सवारियों उन में चला करती हैं । इस बढ़ती हुई सवारियों की संख्या के सम्बन्ध में मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशों की तरह दादर, थाना और कल्याण में भी मूवेबल प्लेटफार्म बनाये जायें नहीं तो सवारियां बढ़ती ही जायेंगी और जो आज ४२ फी सदी आदमी बिना टिकट चलते हैं उन की

[श्री बसवन्त]

संख्या तीन चार सालों में ६० प्रतिशत तक हो जायेगी । इसके अलावा भीड़ को कम करने की कोई और तरकीब नहीं है : यह मैं इस लिये कह रहा हूं कि सुबरबन लाइन पर ही अम्बरनाथ डेवेलपमेंट एस्टेट शुरू हो रही है, कल्याण के आस पास उल्लास वैली इंडस्ट्रियल एस्टेट शुरू हो रही है और थाना के पास पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल एस्टेट शुरू हो रही है । इन के शुरू हो जाने से और कई लाख आदमियों की सवारी का प्रेशर इन स्टेशनों पर आ जाने से जो बिना टिकट चलने वाली सवारियां हैं उन के दिल और दिमाग में यह बात आती जायेगी कि चूंकि भीड़ की वजह से कोई चेकिंग नहीं होती है इस लिये बिना टिकट चलने में कोई हर्ज नहीं है । और तीन या चार बार दरवाजे से बिना टिकट निकल जाने पर उन की आदत सी हो जायेगी । इस लिये मेरा कहना है कि मंत्री महोदय जो इस भीड़ को रोकने के लिये ६ प्रतिशत गाड़ियां बढ़ा रहे हैं उन को और ज्यादा बढ़ाने का ख़याल करें। इस से हालत कुछ ठीक हो जायेगी । गाड़ियों की लम्बाई बढ़ाने से भी हालत ठीक होगी और जो टिकट घर हैं उन को बढ़ाने से भी इस काम में मदद मिलेगी । नहीं तो बगैर टिकट चलने वालों की संख्या बढ़ने की ही सम्भावना है ।

इसके बाद जो मैं आप के सामने कहना चाहता हूं वह ऐक्सिडेंट्स के बारे में है । दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मुझे आनन्द होता है कि कुंजरू समिति की रिपोर्ट को मंत्रालय ने मंजूर किया है । मगर दुर्घटनाओं के बारे में कुंजरू समिति ने जो रपोर्ट दी है, उस में जो जानवर रास्ते में आ जाया करते हैं जिन की वजह से ऐक्सिडेंट्स होते हैं, उन के बारे में कोई सजेशन नहीं दिया गया है । कुंजरू समिति ने कहा है कि १३ परसेन्ट ऐक्सिडेंटस जानवरों के रास्ते में गाड़ी के सामने आ जाने के कारण हो जाते हैं । सेंट्रल रेलवे की जो ऐनुअल रिपोर्ट हम ने देखी उस में २३ परसेन्ट है । सेंट्रल रेलवे के बारे में हायेस्ट फिगर है । फिर सेंट्रल रेलवे में जो गाड़ियां सुबरबन सेक्शन में चलती हैं तो वह दस दस बारह बारह मिनट पर वे चला करती हैं। जब भी उन के ऐक्सिडेंट्स जानवरों के कारण हो जाते हैं तो डिरेलमेंट हो जाते हैं और लाइन क्लोज हो जाती है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि कुंजरू समिति ने रेलवे ऐक्सिडेंट्स के बारे में जो कि जानवरों के सामने आ जाने से हो जाते हैं, कोई सुझाव नहीं दिये हैं। इस लिये मैं कुछ सजेशन दूंगा। रेलवे मंत्रालय को चाहिये कि जो ७० मील का सुबरबन रेल का फासला है उस के दोनों ओर वे कोई कम्पाऊंड बनायें, कोई दीवार खड़ी करें जिस से कि रेलों के टाइम टेबल के अनुसार चलने में कोई खतरा न आये । रोज ३५१ सुबरबन रेल गाड़ियां चलती हैं, इस से अन्दाजा हो जायेगा कि हर मिनट में कितनी गाड़ियां छूटती हैं । और इस का कोई ठीक उपाय करना चाहिये ।

मैं दिवादास गांव रेलवे स्टेशन के लिये भी रेलवे मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं । सन् १९६२ के साल में निर्माण के लिये २४ मील का रास्ता ले लिया गया है लेकिन दिवादास गांव की रेल अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी है । कम से कम तीसरी पंच वर्षीय योजना में कोई कार्यक्रम इस के लिये नहीं है । कोयनार प्रोजेक्ट बन गई है, वहां बिजली चली गई है, वाटर भी वहां पहुंच गया है । इंडियन कामर्स की जो रिपोर्ट है उस में कहा गया है कि वहां पर लोहा और अल्यूमिनयम काफी है इस लिये वहां रेल का बन्दोबस्त जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये । अगर यह हो जायेगा तो पिछड़े हुए लोगों के लिये यह रास्ता ठीक हो जायेगा और वहां वाटर और बिजली का उपयोग खनिज पदार्थों के लिये किया जा सकेगा ।

इस के बाद जो प्रार्थना मुझे मंत्री महोदय से करनी है वह पार्सल के रेट के सम्बन्ध में है । उन्होंने पार्सलों के जो रेट बढ़ाये हैं उन में सब्जी को छोड़ दिया है । सब्जी में केले भी

आ जाते हैं । केला जो है वह महाराष्ट्र से बहुत काफी मात्रा में उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जाता है । कम से कम ५ या ६ हजार वैगन हर साल वहां से जाते हैं । केले के कच्चे रहने पर उस का शाक लोग बनाते हैं और पक जाने पर उसे खा लेते हैं । सन् १९४२ में एक वैगन केले का रेट ५८८ रु० था । सन् १९६२ तक वह बढ़ते बढ़ते १३०० रु० तक हो गया । और आप उस के रेट को और भी बढ़ाते जायेंगे तो वह काफी मंहगा हो जायेगा । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि गर्मियों के मौसम में जो सब से सस्ती चीज है उस के ऊपर किराया न बढ़ाया जाय ।

इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे की जिस सफलता की चर्चा आज प्रायः हर तरफ़ से हो रही है वह सफलता राष्ट्र के उस लक्ष्य की भी है जिसके द्वारा भारत में समाजवादी ढंग के समाज की रचना का प्रयास हो रहा है . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रक्खें ।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, ५ मार्च, १९६३/फाल्गुन, १४, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ४ मार्च, १९६३

१३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		८९७–९२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२३	टस्कर परियोजना .	८९७–९००
२२४	स्वचालित शस्त्रों का निर्माण .	९००–०२
२२५	सैनिक पुरस्कार . . .	९०२–०४
२२६	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत डाक्टर . .	९०४–०६
२२७	खानों तथा कारखानों से सम्बन्धित कानून .	९०६–०८
२२८	गोआ की अर्थ व्यवस्था . .	९०९–११
२२९	सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण . .	९१२–१३
२३०	महालनोविस समिति का प्रतिवेदन .	९१३–१४
२३१	नेफा में सैयनिक कार्यवाही का अनुसंधान अध्ययन . .	९१४—१६
२३२	इलमेनाइट के निर्यात में कमी . . .	९१६–१७
२३३	कर्नल भट्टाचार्य . . .	९१८–१९
२३४	एमरजेंसी कमीशन अफसरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र . .	९१९–२१
२३५	गोआ में बेरोजगारी . .	९२१—२३
२३६	माहे में भूमि सुधार . . .	९२३
२३७	आकाशवाणी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर . .	९२४–२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		९२५–५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
२३८	भूतपूर्व सैनिकों की भरती . .	९२५–२६
२३९	चीनी के कारखानों में तपेदिक के रोगी . .	९२६
२४०	राष्ट्रीय आय	९२६–२७
२४१	सुपरसोनिक जैट लड़ाकू विमान के लिए जन . .	९२७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

२४२ 'टिस्को' तथा 'इस्को' द्वारा अन्तरिम सहायता का भुगतान . ९२७—२८
२४३ चीनी आक्रमण के कारण नुकसान ९२८
२४४ कृषि प्रशासन . . . . ९२८—२९
२४५ विमान ध्वंसक मिसाइलों की खरीद . . ९२९
२४६ भारतीय वैज्ञानिकों का सैनिक विज्ञान में प्रशिक्षण . ९२९
२४७ अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण . . . ९३०
२४८ हेलीकाप्टरों के लिये इंजनों का निर्माण . . ९३१
२४९ चूना उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड . . ९३१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३९१ नंगल में प्रतिरक्षा सामग्री का कारखाना . . ९३१—३२
३९२ भारत में पंचायती रेडियो ९३२
३९४ गणतंत्र दिव समारोह . ९३२—३३
३९५ केन्द्रीय श्रम अनुसंधान संस्थान ९३३—३४
३९६ विदेशों में भारतीय मिशन . . ९३४
३९७ नाइजीरिया में भारतीय सशस्त्र सेना कर्मचारियों की नियुक्ति . ९३४—३५
३९८ राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल ९३५
३९९ क्युमितांग सरकार . . ९३५
४०० संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि मंडल के लिये संसद् सदस्यों का नाम निर्देशन . ९३६
४०१ नेपाल को मिट्टी के तेल का सम्भरण . ९३६—३८
४०२ जवानों के परिवारों को सुविधाएं . . ९३७—३८
४०३ एमरजेन्सी कमीशन . ९३८
४०४ सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र . ९३९
४०५ नागालैंड में चुनाव . ९३९
४०६ कटंगा में भारतीय सैनिक . . . ९३९
४०७ इस्पात और लौह उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड . . ९४०
४०८ अणुशक्ति का शान्तिमय कामों के लिये प्रयोग . ९४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्र संख्या

४०९	ट्राम्बे में 'गामा फील्ड'	९४०–४१
४१०	रेडियो सेटों का वितरण	९४१
४११	कलिंग एयर लाइन्स . . .	९४१
४१२	राइफल प्रशिक्षण	९४२
४१३	प्रादेशिक श्रम आयुक्त	९४२–४३
४१४	बाराहोती तक सड़क . . .	९४३
४१५	नौकरी दिलाना	९४४
४१६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण . .	९४४–४५
४१७	खनिजों में ठेके पर श्रमिक	९४५
४१८	कुस्तियां (पूर्वी पाकिस्तान) में टैगोर की सम्पत्ति . .	९४५
४१९	आयु सीमा में रियायत	९४६
४२०	आकाशवाणी में सहायक इंजीनियर . .	९४६
४२१	भारतीय फिल्मों का निर्यात	९४६
४२२	मध्य प्रदेश में तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास .	९४७
४२३	भूतपूर्व एन० सी० सी० कैडट . . .	९४७
४२४	सैनिकों के लिए दुग्ध का राशन . . .	९४७
४२५	नेफा और लद्दाख में विमान से सामान गिराने का कार्य .	९४८
४२६	कोचीन पत्तन में गोदी श्रम योजना . . .	९४८
४२७	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में विमान का निर्माण .	९४८–४९
४२८	सैनिक अश्व प्रदर्शन	९४९
४२९	जबलपुर और ग्वालियर में नए ट्रांसमिटर .	९४९
४३०	पंजाब में योजना के सम्बन्ध में प्रचार . .	९४९–५०
४३१	केरल में धान की उपज	९५०
४३२	जबलपुर की गन कैरेज फैक्टरी में अग्निकांड . .	९५०–५१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ९५१–५२

श्री रामेश्वर टांटिया ने ३ मार्च, १९६३ को इलाहाबाद स्टेशन पर हुई कथित रेल-दुर्घटना की ओर, जिस में लगभग ६० व्यक्तियों को चोटें आईं, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेल उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . . .

अध्यक्ष महोदय ने सैयद मुलतान अहमद के, जो भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

उस के पश्चात् सदस्य उन के सम्मान में कुछ देर तक मौन खड़े रहे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९५२-

(१) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक १९ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२ में प्रकाशित कोयला-खान बचाव (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा २० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १६ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९६ में प्रकाशित श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

विधेयक पारित . . . . . .

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा ९५३-

रेलवे आय-व्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, ५ मार्च, १९६३/१४ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

रेलवे आयव्ययक, १९६३-६४ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा तथा स्वर्ण नियंत्रण योजना पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—2981 (Ai) LSD

P.L.S. 41. XIV. 11. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित